
श्री यशोपिश्यश

क्षेन अंथभाणा

3001619





पं० परमेष्ठीदास जैन न्यायतीर्थ-सूरत।

प्रकाशक:-

सिंघई मूलचन्द जैन मुनीम-ललितपुर (शांसी) तथा

शा० साकेरचन्द्र मगनलाल सरैया-सुरत।

[स्व० सिंघई मौजीलाल नी जैन वय छक्रितपुर और स्व० शा० मगनलाल उत्तमचन्द्रशी सरैया सूरतकी स्मृतिमें " जैनमित्र " और "वीर " के प्राहकोंको भेट**ो**

प्रथमावृत्ति 2000

वीर सं० २४६४. विक्रम सं १९९४.

विषय सूची ।

१-मरण भोजकी उत्पत्ति	••••	••••	8
२-मरणभोजकी भयंकरता	••••	••••	६
३-शास्त्रीय शुद्धि	••••	••••	९
४-शंका समाधान	•••	••••	१२
५-समदत्ति और छान	••••	••••	२३
६-मरणभोज निषेधक कानून	••••	••••	२७
७-मरणभोज विरोधी आन्दोळन	••••	••••	३ १
८-मरणभोजके प्रांतीय रिवाज	••••	••••	४३
९-इरुणाजनक सची घटनार्ये	••••	••••	५६
०-सुपिसद्ध विद्व नों और श्रीमानों के अभिप्राय		••••	६८
१-मरणभोज देसे रुके !	••••	••••	८५
२ – इविता संग्रह	••••		९२

[&]quot; जर्नावजय '' द्रिन्टिंग देस खाटिया चक्का-सूर्तमें मूटचन्द्र किसन्द्रस क पहिचाने मुद्रित किया। Shree Sudharmaswani Gyanbhandar-Umara, Surat www.umaragyaribhandar

्र अभार । क्ष

मैंने भपने पूज्य पिताजी श्री० सिंघई मौजीलालजीके स्वर्गवासः होनेपर मरणमोज नहीं किया, कारण कि मैं मरणमोजको धर्म एकं समाजका घातक एक भयं कर वाप समझता है। किन्तु मैंने यह निरुचय किया था कि पिताजीके स्मरणार्थ एक ऐसी पुस्तक किस्ती जाय जो 'मरणभोज' के विरोधमें अच्छा आन्दोलन कर सके। इसके लिये मैंने तथा मेरे पूज्य बडे माई सिंघई मूलचंदजीने १००) के दानका संकल्प किया था। उसमें से २०) के रजत चित्र (भग-वान पार्चनाथस्वामी और म० महावीर स्वामीके) ललितपुर स्नीर महरीनीके मंदिरोंमें विराजमान किये थे। ८०) इस पुस्तकमें लगा दिये हैं। इसके भतिरिक्त ३५) के मूल्यकी ४० प्रतियां चारुदक्त चरित्रकी भी वितरण की हैं।

हमारे मित्र श्री० साकेरचन्द मगनकाक सरैवा-सूरतने भी अपने स्व० पिता श्री० मगनलाल उत्तनचन्द सरैयाके स्मरणार्थ इसमें ८०) प्रदान किये हैं । और हमारे मित्र पं० मंगलप्रसादजी शास्त्री कलितपुरने भी अपनी स्व० भावी (धर्मपत्नी सि० रामप्रसादजी) के समरणार्थ २५) प्रदान किये हैं। इस प्रकार यह पुस्तक प्रगृटः होकर 'जैनमित्र' और 'वीर' के ब्राहकोंको भेट दीजारही है। इसल्यि में अपने आर्थिक सहयोग देनेवाले इन मित्रोंका आभारी हूं।

साथ ही मैं उन सभी सज्जर्नो हा भी आभारी हूं जिनने इस पुस्तकके लिये सची घटनायें तथा अपनी सम्मतियां और कवितायें आदि भेजकर मेरे इस कार्यमें सहयोग दिया है।

इस पुस्तकके विवेकी एवं उत्साही पाठकोंसे मेरा सामह निवे-दन है कि भाव इसे वढ़ कर जनतामें 'मरणभोज' विरोधी विचारोंको फलायें और ऐसा प्रयत्न करें निससे भोड़े ही समयमें इस भयंकर मथाका नाश होजाय। मरण बोजरी प्रथा जैन समाजका एक करुंक है। जो भाई बहिन इस पुस्तक श्री सहायता लेकर इस कलंकको मिटानेका प्रयत्न करेंगे उनका भी में भाभारी होऊंगा ।

निवेदकः---





स्वर्गीय श्रीमान् सिंघई मौजीलालजी जैन वैद्य-का जन्म यु० पी० के झाँसी जिलान्तर्गत महरौनी नगरमें आधिन विक्रम संबत् १९३५ **में हुआ** था। आपके पिताजीका नाम श्री० र्सिघई दयाचंद्रजी था।

भावके तीन पुत्र हुए। अपने लघु पुत्र पं० परमेष्ठीदासजीके जहन, प्रतिमा, उत्साह और कर्मठतासे उन्होंने इस जास्युत्थान और धर्म प्रभावनाकी खातिर मर-मिट-जाने-के-अरमान-वालेको पहिचान लिया। चुनांचे, अपने बहे लड़कों की मुलाजमत ललितपुर में होने के कारण जब ये महरौनीसे लिळतपुर सकुटुम्ब तशरीफ़ ले आए, भौर वहां व्यापारिक भसफलतासे उत्पन्न भार्शिक सङ्कटके वावजूद हर हाकतमें परमेष्ठीदासजीको पढ़ाना जारी रखा, जिसका मुवारिक नतीजा यह निकला कि भाज जैन कौम भपने इस फ़रज़न्द पर नाज़ करती है। जैन समाजके इस Whip ने हमेशा धर्मके दायरेमें रहकर प्रेस और हेटफार्मसे समयोचित क्रांतिके नारे बुकन्द किये। जिनवाणी माताके दामनको "चर्चासागर" जैसी नापाकीजुगीसे पङ्किल होनेसे बचानेमें, 'दस्साओंको पूजाविकार' दिलानेमें, जैनागम-सम्मत ' विजातीय-विवाह ' का प्रोपेगेण्डा करने में ' जैनधर्मकी उदारता ' का दिम्दर्शन करानेमें, उन्होंने जिस शक्तितस् संलग्नताके साथ काम किया है उसे क्या कभी सहदय-विचारक जैन समाज भूक सकेगी ?

पर इन पं० परमेष्ठीदासजीमें धर्म-सेवाकी यह स्पिट फूँकने-वाले थे महरौनीके सुविख्यात सिंघई वंशके चमकते हुए सितारे श्री० मौजीलालजी टर्फ '' दाऊजू '' ही। भापकी भारमा घर्म-भावनाओंसे निरन्तर सरशार रहती, प्रतिदिन दर्शन, स्वाध्यायादि धर्म कार्य करते। खुद समाज-सुधारक तो थे ही। वे अपने लघु पुत्र पं० परमेष्ठीदासजीके तमाम आन्दोळनों, विचारों, लेक्चरों, लेखों वगैरह प्रवृत्तियोंसे न सिर्फ सहमत रहते बल्कि प्रोत्साहन भी देते रहते।

परोपकारी सिंघडं जी सफल वैद्य थे। औषिघयाँ बनाते और सत्पात्रोंको मुफ्त तक्रसीम करते । जिंदगीके भाखिरी रोज भी एक मरीज़को देखने गये, औषधि देकर छौटे, और उसी दिन आधिन बदी १३ वि० सं० १९९३ (ता०१५-१०-३६) की रात्रिको निराकुळतापूर्वक स्वर्गवासी होगये ।

संवत् १९८८ में भापके ज्येष्ठ पुत्र श्री० वंशीघरजीका मात्र ३२ वर्षकी आयुमें स्वर्गवास होगया । लेकिन आपने साहसपूर्वक उनका "मरणभोज" करनेसे साफ इन्कार कर दिया।

भावके द्वितीय पुत्र सिं० मूकचन्द्रजी जन लिखपुरकी एक समिद्ध पेढीपर कार्य करते हैं। और अधुपुत्र श्री० पं० परमेष्ठी-दासजी न्यायतीर्थ सुरतमें जैनमित्र कार्यालयके मैनेजर हैं। और "वीर" का संपादन भी करते हैं।

सन्तोषकी बात है कि सिंघईंजीका 'मरणभोज' न करके उनके इमरणार्थ यह पुस्तक प्रगट की जारही है। मेरी भावना है कि यह कितान सहदय वीरोंके हृदयमें "मरणभोज" की नर्वर प्रथाके खिलाफ बोशकी ऐसी ज्वाङा भड़काये जो रुद्धिमक्तों और दिकियानूसोंके बुझाये न बुझे ।

(२)

स्वर्गीय श्री० सगनलाल उत्तमचन्द्रजी सरैयाका जनम स्रतमें विक्रम सं० १९४८ में हुआ था। आप नृसिंहपुरा दि० जैन थे। आपने गुजरातीका सामान्य ज्ञान प्राप्त करके सरैया (गंधीगिरी) का व्यवसाय गुरू किया। और उसमें अच्छी कामि-याबी हासिल की। आपको पुस्तकें लिखने और स्वाध्याय करनेका बढ़ा शौक था। आपका स्वर्गवास मार्गशीर्ष गुक्का १० सं० १९७४ में असमयमें ही होगया था।

भापके दो पुत्रियां और एक पुत्र हुआ। उनमेंसे वर्तमानमें पुत्र श्री० साकेरचन्द मगनलाल सरैया हैं, जो अत्यन्त उत्साही, व्यवसायी युवक हैं। भापने देशसेवा करते हुए जेलयात्रा भी की है। एक सच्चे सुधारकके मानिन्द भापने अपना अन्तर्जातीय (दि० जैन मेवाड़ा जातिमें) विवाह किया है। भापने अपने पिताजीके स्मरणार्थ इस पुस्तकके प्रकाशनमें ८०) प्रदान किये हैं।

(₹)

श्री० पं० मंगलप्रसाद्जी जैन शास्त्री लिलतपुर सुधारक युवक विद्वान हैं। भाषके हो माई श्री० रामप्रसादजी सिंघईंकी धर्मपत्नीका कुछ ही समय पूर्व असमयमें ही स्वर्गवास हो गया है। भापने उनका मरणभोज नहीं किया और इस उपयोगी पुस्तकके प्रकाशनार्थ २५) प्रदान किये हैं। निवेदक—

नारायणप्रसाद नैन B Sc.

समर्पण !


पूज्य पिताजी !

आपके स्वर्गवासके बाद "मरणभोज" जैसे रूदिबाद और पाखण्डोंकी विशाल सेनाने मुझ पर भयंकर आक्रमण किया। किन्तु आपके जात्युत्यान एवं समाजसुधारके आदशौंसे ओत-प्रोत यह सिपाही इस 'महानाश' के आगे तिलभर भी झुकनेवाला नहीं था। और अन्तमें यही हुआ भी। यह पुस्तकनिर्माण भी उसीका ग्रभ फल है।

पर मूलरूपमें आप ही तो इसके प्रेरक हैं, अतः यह तुच्छ कृति आपकी स्मृति स्वरूप आपको ही सादर तथा श्रद्ध।पूर्वक समर्पित है।

-परमेन्त्री ।





स्व० सिंघई मौजीलालजी जैन वैद्य लिखितपुर।

जन्म-सं० १९३५ आश्विन ।

स्वर्गवास-सं० १९९३ आश्विन ।

श्रीवीतरागाय नमः।

मरणभोज ।

जैनागमविरुद्धोयं मृत्युभोजो निवार्यताम् । रूढिरेषोऽतिघोराऽस्ति दशमप्रागनाशिनी ॥ १॥ गृहहीनाः महाक्रेशाः असंख्या बिधवा यया । संजाताः स महाव्याधिः शीघ्रमेवापसार्यनाम् ॥ २ ॥ अमंगलो मृत्युभोतः ओतस्तेत्रोऽपहारकः। अधिव्याधिसमापूर्गः दुरंतोइन्तसंततिः ॥ ३ ॥ शास्त्रानुमोदितो नैव तव युक्ति प्रमर्थित: । मृत्युभोजो बहिष्कार्थः कथं श्रेयस्करो भवेत् ॥ ४ ॥ सम्बरहृष्टिपरित्यक्तं निध्याहृष्टिसमर्थितं । पुष्णंति ये मृत्युभोजं ते नरा न नराः खराः ॥ ५ ॥ - चेनसुखदास जैन न्यायतीर्थ।

मरणभोजकी उत्पत्ति।

मिरणभोजक! अर्थ विसी मृत व्यक्तिके नामसे या उसके निमिन त्तमे जाति, समान या किसी समुदको भोजन कराना है। इसे नुक्ता, बारमा, काज या मौसर भी कहते हैं। यह अमःनुषिक प्रथा कब, कैसे, किसके द्वारा और वर्यों कर उत्तत्त हुई यह न तो मैं स्वयं जानता हूं और न सौ विद्व नों हो पत्र देनेपर उनहे ही कोई संनोक

कारक उत्तर कहींसे मिला है। इसलिये मैं मानता हूं कि जैसे चोरी, व्यभि नार, इत्या या अन्य ऐसे ही अत्याचारों का कोई इतिहास नहीं, डसी प्रकार मरणभोजकी अमानुषिक प्रथाका भी इतिहास नहीं मिलता।

हां, भारमजागृति कार्यालय जैन गुरुकुक-व्यावरसे प्रगट हुई पुस्तक ' मुखी कैसे बर्ने ?' में किरियावर (मरणमोज) की उत्पत्तिके सम्बन्धमें लिखा है कि "किसी सेठके पुत्रने पिताकी मृत्युके रंजसे भोजन छोड़ दिया, तो चार वुटुं वियोंने उसके घरपर भोजनकी थाली के सत्याग्रह किया कि आप खाओ तो हम खायेंगे। इससे सादा भोजन तो शुरू हुआ किन्तु वह सेठका पुत्र मीठा भोजन नहीं खाता था, उसे शुरू करानेके लिये पुनः मिठाई बनवाकर थाली परोसकर बैठ गये भौर मीठा खाना शुरू कराया। इससे कई लोग पिताभ-कि भी प्रशंसा करने लगे। यह देख दुसरोंने भी नकल करना चाही और चारकी जगह दस बुटुग्बी अध्ये, फिर तीसरेने २५को बुलाया, ्किं सैक्डों और अब तो हजारोंको बुळाकर मरणभोज होने लगे।"

जो भी हो, मरणभोजकी उत्पत्ति चाहे इस तरह हुई हो या किसी दूपरी तरह, किन्तु यह है बहुत ही भयानक। ब्रह्मणोंने तो इसे धर्मका महान अंग वताया और यह गरीक अमीर सभी हिन्दु-ओंग्रें पचिलित होगई। जिय गरीवते जिल्दगीमर कभी मिष्टान न स्वाया होगा वह भी अपने घरके लोगोंकी मृत्यु होनेपर जातिके लोगोंको मिष्टाल भोजन करता है। कारण यह है कि उसे बाह्मण न्देहितों द्वारा यह विश्वास दिलाया जाता है कि मरणभोज करनेपर ्डी सृतात्माको शान्ति एवं सद्गति मिलेगी। विता मःणभोनके सृता- त्मा स्मशानकी राखमें ही कोटता रहता है। उसे राखसे निकालकर मुक्तिमें पहुंचानेका एक मात्र उपाय मरणभोज है। यह विश्वास अशिक्षितोंमें ही नहीं किन्तु शिक्षित हिन्दू घरानोंमें भी बहुतायतसे याया जाता है।

किन्तु सबसे बड़ा भाश्चर्य तो यह है कि सत्यकी उपासक, कर्मीके बन्ध मोक्षकी व्यवस्था जाननेवाली तथा जनमगरणसे सिद्धान्तसे परिचित जैन समाजमें भी भनेक जगह यही मूदवापूर्ण विश्वास छाया हुआ है। जबकि जन शास्त्र फहते हैं कि मरण होनेके बाद क्षणभरसे पहले मृतात्मा दूसरी योनिमें पहुंच जाता है और उसपर किसी अन्यके किये हुये कार्योका कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो भी भनेक मूढ़ जैन लोग जैनेतरोंकी मान्यतानुसार मरणभो जसे शुप गतिमें. जःने या तरनेकी शक्ति मानते हैं।

में यहांपर मरणभोज सम्बन्धी हिन्दू शास्त्रीके सारहीन कथनकी समालोचना नहीं करना चाहता, किन्तु मुझे तो यहां मात्र इतना ही कहना है कि कमसे कम जैन।चारकी दृष्टिसे तो मरणभोज करना घोर मिथ्यात्वका कार्य है। इसे जो आवस्यक कृत्य मानकर करता है वह सचा जैनी नहीं है। हमारे एक भी जैन आर्ष शास्त्रमें मरणभोजका कोई विधि विधान नहीं है। जैनाचार्योके द्वारा निर्माण किये गये श्रावकाचारों**में** जैन गृहस्थकी साधारणसे साधारण कियाओंका कथन किया गया है, किन्तु किसी भी आचारशास्त्रमें मरणमोजका विधान नहीं है। फिर भी मृढ़तावश जैन छोगोंमें यह प्रथा चाछू है, यह खेदकी बात है।

जैन समाजमें दो कियाकोश प्रचलित हैं, एक स्व० पंहितप-वर दौकतरामजीका और दूसरा पं० किशनसिंहजीका । इनमेंसे पं• दौलतरामजीका कियाकोश अधिक प्रमाणीक माना जाता है। उसमें स्तकपातककी विधिका वर्णन करके भी कहीं मरणभोजका कोई विधान नहीं किया है। एक वात यह भी है कि जैन कथाग्रनथोंमें महापुरु मोंका विस्तृत जीवनपरिचय दिया गया है। उनमें उनके जीवनमरणकी छोटीसे छोटी घटनाओं एवं कियाओंका उल्लेख है। किन्तु नया कोई बतला सकता है कि किसी महापुरुषने अपने पूर्वनोंका या किसी महापुरुषका उनके कुटुम्नियोंने मरणभोज किया था ? सच बात तो यह है कि मरणमोज न तो जैन शास्त्रानुकूल है और न इसकी कोई भावश्यक्ता ही है।

मैंने मरणभोज सम्बंधी ५ पश्चोंके १०० कार्ड छपाकर जैन समाजके १०० अप्रगण्य विद्वानोंके पास मेजे थे, उनमें एक प्रश्न यह भी था कि क्या मरणभोज जैन शास्त्र और जैनाचारकी दृष्टिसे डचित है ? किन्तु कुछ सज्जनोंने निषेधात्मक उत्तर ही दिये, मगर **अ**न्य कट्टर रूढ़िचुस्त पण्डितोंका इसका यथार्थ उत्तर देनेका साहसः ही नहीं हुआ। हो भी कहांसे ? वे किसी भी तरह मरणभोजकों शास्त्रानुकूल सिद्ध कर ही नहीं सकते।

स्थितिपालक दलके नेता पं० मनखनलालजी शास्त्रीके सम्पा-दक्तत्वमें निकलनेवाले जैनगजट वर्ष ४२ अंक ७ (ता०२८-१२ - ३६) में मा० ज्ञानचंद जी जैनने एक विज्ञ प्ति छपाई थी कि "मरणभोज शास्त्रसम्मत है, इसपर विद्वानोंसे प्रार्थना है कि वे अपना

मत सप्रमाण गजटमें प्रगट करें, ताकि शंका निवारण हो।" किन्तु इस भावइयक प्रश्नका उत्तर देनेका साहस न तो गजटके सम्पादकजी ही कर सके और न कोई दूसरा। इसका भी कारण स्पष्ट है कि कहीं भी मरणभोजकी शास्त्रसम्मतता नहीं मिल सकती।

ताल्य यह है कि मरणभोजका विधान न तो जैन शास्त्रोंभें **है** भीर न जैनाचारकी दृष्टिसे ही यह कार्य उचित है। जैनोंमें तो इसका प्रचार मात्र अपने पड़ौसी हिन्दुओंसे हुआ है, उन्हींका यह अनुकरण है। यही कारण है कि आजसे सौ-पचास वर्ष पूर्व प्रायः सारी जैन समाजमें मरणमोजके साथ ही उसकी आगे पीछेकी तमाम कियायें हिन्दू कियाओंके समान ही कीजाती थीं, जिनका निषेध करते हुये पं० किशनसिंहजीने अपने कियाकोषमें लिखा है कि:-

द्गध क्रिया पाछें परिवार, पाणी देय सबै तिहिवार। दिन तीजेसो तीयों करे, भात सराई मसाण हूँ धरे ॥ ५७ ॥ चांदी सात तवा परि डारि, चंदन टिपकी दे नरनारि। पाणी दे पाथर षडकाय, जिनदंसण करिके घरि आय॥ ५८ 🛭 सब परियण जीमत तिहिंवार, वांवां करते गांस निकार। सांज टर्गे तिनि ढांक रिषाय, गाय बछा कुं देय पुवाय ॥ ५२ ॥ ए सब किया जैन मत मांहिं, निंद सक्ट भाषे सक नाहि।

इस प्रकार मागे भी तमाम मिथ्या कियाओं हा वर्णन करके ज़ैनोंको उनके त्यागनेका उपदेश दिया है। और स्वष्ट लिखा है कि एक दो या तीन समयमें तो जीव अन्य भवमें पहुंच जाता है, फिर व्यर्थ ही क्यों आडम्बर रचते हो ? उसके निमित्तसे ग्रास (अछूता-पिण्ड) निकालना, पानी देना आदि सब पिथ्यात्व है। कारण कि

मृतात्मा फिर उसके उपभोगके लिये न तो वापिस आता है और न राखमें पड़ा रहता है. न मरण स्थानपर मंडराता रहता है। इसलिये तमाम मिथ्या कियाओंका त्याग करो। ५९ में छन्दमें परिजनोंके जीमनेकी रुद्ध दि बताकर उसे भी निंद्य कहा है।

किन्तु हम आज देखते हैं कि जैनोंमें प्रायः तमाम मिथ्या कियायें प्रचलित हैं। मरणभोजके छिये शक्ति न होनेपर भी अनाथ विधवार्थोंके गहने बेचे जाते हैं, उनके मकान बेच दिये जाते हैं, सारी सम्पत्ति स्वाहा करदी जाती है और तक्का किया जाता है। ऐसान करनेपर उसकी निन्दा होती है अपोर कहीं कहीं तो मरणभोज न करनेवालोंको जातिबहिष्कृत भी कर दिया जाता है। यह सब बातें भावको भागे करुणाजनक घटनाओंके प्रकरणमें देख-मेको मिलेंगी।

मरणभोजकी भयंकरता।

मरणभोजकी राक्षमी प्रथाके कारण अनेक विषवायें बर्बाद होगई. अनेक बचे दाने दानेको तरस रहे हैं, अनेक ऊंचे घर कर्ज करके मिट्टीमें मिल गये हैं। इस भयंकर प्रथाकी पुष्टिके लिये कई गृह-स्थोंको घर जायदाद वेचना पड़ी, गहने वर्तन बेचना पड़े और अपना जीवनतक बेच देना पहा, किन्तु निर्देशी पंचोंने जीवन रुकर भी जीमन नहीं छोड़ा ।

निर्देयताके साथ ही साथ यह कितनी भयंकर असभ्यता है कि माता मरे या पिता, भाई मरे या भौजाई, काका मरे या काकी,

पुत्र मरे या पुत्री, पति मरे या परनी किन्तु तस्काल ही मोदक उड़ा-नेकी तैयारी होने लगती है। इसी विषयमें एक सज्जनने लिखा है कि 'मरणभोजभोजियोंने सहानुभ्तिको संखिया दे दिया, कृतज्ञताको कौड़ीके मोल बेच दिया, समवेदनाकी भद्रताको भट्टीमें झोंक दिया, मुदेंके मालपर गीध और कुत्तोंकी तरह टूट पड़े, खूनसे सने सीरेको हड़पने करो, लोहू मरी लपसी डकार गये, रक्तसे कथपथ रबड़ीको सबोड़ गये, कराहते हुये आत्मीयों के कृदनको सुननेके लिये कान फोड़, आगापीछा मूज चटोरी जिह्नाके चाकर बन गये।" क्या यही दया और अर्हिसाका स्वरूप है ? क्या यही आर्य सभ्यताकी निशानी है ? भोजनमक्त नरिशाचो ! तिनक अपनी हियेकी आंखें खोलो भौर इस पाशवतापर विचार करो !

जरा मरणभोजके दश्यको तो एइवार देखिये:-एक तरफ कफन खरीदा जारहा है तो दूपरी ओर मरणभोजकी तिथि तय की जारही है, इधर जनाजा निकल रहा है तो उधर पकवान उड़ानेकी मतीक्षा होरही है, इचर चितापर मुर्दा नक रहा है तो उधर निमंत्र-णकी फहरिक्त बनाई जारही है, इघर विचवा सिर और छाती कूट कर हाय हाय कर रही है तो उधर लड्डुओंकी तैयारी होरही है, इधर पितृहीन बालक आहें भर रहे हैं तो उधर पंच लोग नुक्तेकी चर्चामें तल्लीन हैं, इधर घरके लोग आंसू वहा रहे हैं भीर जोर बोरसे चिल्ला रहे हैं तो उघर हृदयहीन स्त्री पुरुष लड्डू गटक रहे हैं। यह कैसा दयनीय एवं निष्ठुरतापूर्ण कृत्य है, जिसे देखकर दया तो किसी अन्धेरे कीनेमें खड़ी हुई रोती होगी।

सबसे अधिक दु:खकी बात तो यह है कि माणभोजकी करुणताको जानते हुये भी भान कितने ही भोजनभट्ट, पेटार्थू और ्धर्मके ठेकेदार बननेव ले हृदयहीन व्यक्ति इस निर्देयतापूर्ण मरण-भोजकी पुष्टि करते हैं। उनके पास न तो कोई धर्मशास्त्रोंका प्रमाण है और न कोई बुद्धिगम्य तर्क। फिर भी वे अपने हठवादको पुष्ट करते रहते हैं। यदि उनके पास कोई प्रमाण है भी तो एक मात्र ्त्रिवर्णाचार हो सकता है। वया कोई मरणभोज समर्थक विद्वान किसी कार्षप्रन्थमें मरणमोजका प्रमाण बता सकते हैं ?

जिस त्रिवर्णाचारका प्रमाण दिया जा सकता है वह ग्रन्थ ंशिथिलाचारका पोषक है, उसमें योनिपृजा, पीपलपूजा, श्राद्ध, तर्पण न्त्रीर ऐसी ही अनेक मिथ्याख पोषक बातोंका विघान है, जो जैनल-सम्यक्तको नष्ट करनेवाली हैं। इसमें तो तीसरे दिनसे लगाकर बारहवें दिन तक बराबर भोजन करानेका विधान किया गया है और हिन्दू शास्त्रींके आधारसे श्रद्धः तर्पण, पिण्डदानका पुरार वर्णन करके उन्हें जैनोंके लिये विधेय बताया है। ताल्पर्य यह है कि भट्टा-्रक सोमसेनके त्रिवर्णाचारमें जैनियोंका जैनत्व नष्ट करनेवाले **अनेक** विधि विधान भरे पड़े हैं। उसीमें मरणभोज भी एक है। इसके अप्रतिरिक्त कोई भी प्राचीन या अर्वाचीन जैनशास्त्र मरणभोजका समर्थन नहीं करता।

प्रत्युत पण्डितप्रवर सदासुखदासजीने रत्नकरण्डश्रावकाचार इलोक २२ की टीकामें मरणभोज, श्राद्ध, तर्पण आदिको लोकमू-कता बताया है।

त्रिवर्णाचार तथा ब्रह्मसूरि कृत प्रतिष्ठातिलक्षमें एक दी तरहके अक्षरशः नकल किये हुए कुछ इलोक ऐसे भी हैं जिनका तालर्थ यह है कि यदि दुष्ट तिथि, दुष्ट नक्षत्र या दुष्ट वारमें अथवा दुर्भिक्ष, रास्त्र, अभिपात या जलपात आदिसे मरण हो तो कुटुंबीजनोंको प्रायश्चित (तद्दोषपरिहारार्थे) के हेतुसे अन्नदानादि देना चाहिये । इससे यह ज्ञात होता है कि पहले मरणभोजकी अथा प्रायश्चित्तके हृ वर्षे प्रारम्भ हुई थी । उस समय मात्र पांच युगकोंको अन्नदान देनेकी (पश्चानां मिधुनानां तु अन्नदानं) विधि थी। फिर भी यही घीरे घीरे बढ़कर सैकड़ों हजारोंको कड़ड़ -खिलानेके रूपमें परिणत होगई। और भव तो सभी प्रकारके मर-णोपलक्षमें बृहत् भोज किया जाता है तथा उसमें हजारों रुपया खर्च किये जाते हैं। जबतक यह प्रथा बन्द न होगी तबतक न तो समाजकी दयनीय दशा सुघर सकती है और न समाज अमानुष-कताके कलंकसे ही मुक्त हो सकती है।

शास्त्रीय शुद्धि।

हिन्दू स्मृतियोंकी नकल करके सोमसेन भट्टारकने मरणशुद्धिके लिये भोजन कराना भावइयक बताया है, तब भाचार्य गुरुदासने प्रायश्चित्तंप्रह चूलिकामें किखा है कि:--

> जलानलप्रवेशेन भृगुपाताच्छिशावपि । बालसन्यासतः प्रेते सद्यः शौचं गृहित्रते ॥१५२॥ अर्थात्-जरुमें डूबने, भिम्नें जरुने, पर्वतसे गिरने, बारू-

क्क मरने या बाल (मिथ्यादृष्टि) सन्याससे मरने पर तत्काल ही राद्धि होजाती है।

किन्त इस आर्षवाक्यके विरुद्ध सोमसेन त्रिवर्णाचारमें गौदा-नादि तथा भोजन करानेपर शुद्धि मानी गई है। ऐसी स्थितिमें भायश्चित्त समुच्चय ग्रंथको ही प्रमाण मानना बुद्धिमानी है। कारण कि '' सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषो बलवान भवेत्।'' अर्थात् सामान्यः शास्त्रकी अपेक्षा विशेष अधिक प्रामाणिक होता है। इसलिये शिथि-लाचारी मिथ्याप्रचारी भट्टारक सोमसेनकृत त्रिवर्णाचारकी अपेक्षा पायश्चित समुचय अधिक प्राप्ताणिक शास्त्र है । और फिर त्रिवर्णा-चार तो कोई शास्त्र भी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि हम पहले बता चुके हैं कि जक-पातादिसे मरनेपर तो तत्काल ही शुद्धि होजाती है और वैसे सामान्य मरण होनेपर अमुक दिन बाद स्वयं शुद्धि होजाती है। यथा-

> ब्राह्मणक्षत्रियविट्शूद्रा दिनै: शुद्धयन्ति पंचिभिः। दश द्वादशभि: पक्षाद्यथासंख्यप्रयोगतः ॥ १९३॥ —प्रायश्चित्त संग्रह चूलिका ।

भर्थात् - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय भौर शूद्ध किसी स्वजनके मर जानेपर क्रमशः पांच, दस, बारह और पन्द्रह दिनके वीतनेपर स्वयमेव शुद्ध होजाते हैं। इससे वह स्पष्ट सिद्ध होजाता है कि जैनोंकी पातक शुद्धि १२ दिन वीत जानेपर स्वतः होजाती है। इसिलिये मरण-भोजसे शुद्धि होना मानना एक मात्र मिथ्यात्व है। मरणके बादकी पातकश्चित्र तो कानश्चिद्ध है।

इसिछिये अमुक्त काल व्यतीत होजानेपर स्वयमेव शुद्धि होजाती है। यदि इसके लिये मरणभोज करना भी आवश्यक होता तो आचार्य गुरुदास उसका भी उल्लेख भवश्य करते। किन्तु उनने ऐसा न करके मात्र कालशुद्धि ही बताई है। व्यवहारमें भी यही देखा जाता है कि तेरहवें दिन (कहीं कहींपर १० दिनमें ही) शुद्धि होजाती है, और विना मरणभोज किये ही लोग देवदर्शन तथा पूजादि कार्य करने लगते हैं। इससे सिद्ध होगया कि मरणभोज शुद्धिके लिये भी अनावइयक है।

मुलाचारके समयसाराधिकारमें भी सूत्रका उल्लेख है और उसकी शुद्धिके लिये लौकिक ग्लानिके त्याग करनेका उपदेश दिया है। यथाः—

" छोक्ट्यवहारशोधनःर्थे सूतकादिनिवारणाय छौकिकीजुगुप्सा परिहरणीया । "

अर्थात् - लोकव्यवहारकी शुद्धिके लिये सूतकादिके निवारणके लिये लौकिक ग्लानिका त्याग करना चाहिये। इसीको स्पष्ट करते हुये विद्वज्जनबोधकमें कहा है कि '' लोक व्यवहारमें ग्लानि नहीं डपजै तैसें प्रवर्तन करना, याहीतें छोकमें सूतकादिके ध्याज्य दिन जे हैं तिनमें स्वाध्याय पूजन नहीं करते हैं, सो भी धर्मका ही विनय निमित्त ग्लानिरूप दिनका त्याग है।"

इससे भी स्पष्ट सिद्ध है कि मात्र ग्लानिका त्याग कर बंद की हुई स्वाध्यायादि धार्मिक कियाओंका प्रारम्भ कर देना ही लौकिक शुद्धि है। इसीसे सूतक-पातककी अशुचिता मिटकर ग्रानि मिट जाती है। यहांपर 'स्तृतकादिके त्याज्य दिन जे हैं" कहकर कालशुद्धि पर ही भार दिया है। इसके लिये मरणभोज भादिकी भावश्यक्ता नहीं है। भन्यथा उसका उल्लेख भी यहां अवश्य किया जाता। इससे भी सिद्ध है कि मरणभोजका न तो शास्त्रीय विधान है और न उसकी कोई भावश्यक्ता ही है। फिर भी जो मरणभोज करते हैं वे भज्ञान, अविवेक, हठ और मान बढाईके भुखे हैं यही समझना चाहिये।

राङ्का समाधान ।

मःणभोजके सम्बंघमें लोग जो विविध शंकायें किया करते हैं वे प्रायः इसप्रकारकी हुआ करती हैं। उन्हें यहांपर लिखकर साथ ही उनका उत्तर भी दिया जाता है।

(१) द्यांका—क्या हमारे पूर्वंज मूर्ख थे जो वे अभीतक नुक्ता (मरण भोज) करते आये हैं? हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिये।

समाधान—गहली बात तो यह है कि प्रथमानुयोग या अन्य इतिहाससे यह सिद्ध नहीं होता कि हमारे प्राचीन पूर्वज मरणभोज करते थे। किसी भी चक्रवर्ती राजा महाराजा या महापुरुषके मरण-भोजका कहीं कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। कई विदेशी यात्री मारतमें आये जिनने भारतके छोटेसे छोटे रीतिरिवाजोंका वर्णन किया है, किन्तु उनने भी कहीं मरणभोजका कोई उल्लेख नहीं किया। इससे सिद्ध है कि हमारे पाचीन पूर्वज मरणभोज नहीं करते थे।

हां, अर्वाचीन छोगोंमें इसका रिवाज अवश्य चल पड़ा है। किन्तु हमारा उसी समयसे पत्न भी खूब हुआ है। मरणभोज आदि कुरीतियोंके कारण सारा देश नष्टभृष्ट होगया है। इसलिये यदि हमारे 🗠 पहलेके लोगोंने ऐसी मूढ्ताका पारंग किया था तो क्या हमें भी उसका अनुकरण करना आवश्यक है ? हमें कुछ विवेकसे भी तो काम लेना चाहिये। क्या जिसके पूर्वन चोरी करते थे उसे भी चोरीका अनुकरण करना चाहिये ? जिसके पूर्वज इत्या, व्यभिचार, **अनाचार आदि दु**ष्क्रत्य करते थे क्या उनको भी यही दुष्कृत्य करना च।हिये ? यदि पेटार्थू किया हाण्डियोंने पूर्वजों हो घोखेमें डाल-कर मरणमो नकी प्रथा च लू करादी और उनने इसीमें मृतात्माकी 🐒 मुक्ति मानकर उसे पारंभ भी करदी तो क्या आज इसका इतना मयं इर परिणाम देखते हुये भी हमें यही करना चाहिये ?

अज्ञान एवं परिस्थितिके वशीभूत होकर पूर्वजीने तो बाकवि-बाहकी प्रथा भी चाल करदी थी और वे दुवमुँहे बालकवालिकाओंके विवाह करते थे, तो क्या हमें भी उनका अनुकरण करना चाहिये 🏋 निनके पूर्वज पशुवज्ञ करते थे, विध शओं को अभिचितामें जलाकर सती बनाते थे, क शी करवत गर जाकर आत्महत्या करते थे यदि उनकी संतान अपने पूर्वजों की दुहाई दे और कहे कि क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे, तो क्या यह क्रत्य भाज भी उचित माने जायंगे? यदि नहीं तो मात्र मरणभोजके लिये ही क्यों पूर्वजोंकी दुहाई दीजाती है ? पूर्वजोंके सभी कार्य अनुकरणीय नहीं होते, किन्तु उनमें यथा-र्थता और अयभार्थताका विचार करना चाहिये तथा हिताहित भी सोचना चाहिये।

(२) शंका-प्रम्बन्धीकी मृत्युमे जो शोक होता है उसे भुलानेके लिये नुक्ता (मरणभोज) करना आवश्यक है। मरणभोज करनेसे पंच लोग तथा जातिके स्त्री पुरुष अपने घर आते हैं और सान्त्वना देकर दुःख हलका करते हैं, इसलिये मरणभोज करना आवश्यक है !

समाधान-यह भी अज्ञानतापूर्ण दलील है। सम्बन्धीके मरनेपर यदि मरणभोज करनेसे ही लोग सान्त्वना देने आते हैं अन्यथा नहीं आयेंगे तो ऐसी भाइती सान्त्वना प्राप्त करनेकी भाकांक्षा रखना भयं कर भूळ है। जो छोग मरणभोजके लोभसे तो सान्त्वना देने आवें और उसके विना नहीं आवें ऐसे नीच पुरुषोंका तो मुंह देखना भी पाप है।

्दू नरी बात यह है कि मरणभोज करनेसे यह उद्देश्य भी तो नहीं सरता। कारण कि मरणभोजके दिन तो घरके स्त्री पुरुष और मी क्दन करते हैं तथा मरणभोजके बाद भी महीनोंतक दुखी बने रहते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु जिन गरीव घरोंसे या अनाथ विधवासोंसे शक्ति न होनेपर भी मरणभोन कराया जाता है और वे बिरादरीके भयसे अपना मकान तथा गहनेतक बेचकर मरणमोज करती हैं उनकी सान्त्वना तो क्या होती है, उल्टी जिन्दगी ही बिगड़ जाती है। वे जीवनमरके लिये दुस्ती होजाती हैं। इसलिये मरणभोजसे सान्स्वना मिलनेकी दलील व्यर्थ है।

हम देखते हैं कि जिनके यहां मरणभोज नहीं होता या जहां चालीस वर्षसे नीचेका मरणभोज करनेका प्रतिबन्ध है बहां भी तो

दु:खशान्ति होती ही है और उनके यहां भी लोग समवेदना बतानेके क्रिये भाते ही हैं। इसिलिये भी मरणभोज करना व्यर्थ सिद्ध होता है।

(३) शंका-एत व्यक्तिके बाद पंचींको भोजन करानेसे मृतात्माको शान्ति मिलती है और समदत्ति (दान) का भी अवसर मिलता है।

समाधान-जैन सिद्धान्तानुसार मृतव्यक्तिके बाद भोजन कराने या न करानेसे मृताःमाका कोई संबंध नहीं रहता । वह जीव तो एक दो या तीन समयमें ही परभवमें पहुंच जाता है। इसलिये मरणभोजसे मृतात्माकी शान्ति मानना महामूद्ता या घोर मिथ्यात्व है। रही समदत्तिकी बात, सो यह भी अज्ञानकी द्योतक है। इस विषयमें में आगे 'समइत्तिपकरण' में लिख्ंगा।

(४) शंका-हम अभीतक दूपरोंके यहां मरणभोजमें जाकर कड़ड़ खाते रहे हैं तो अब अपने यहां मौका आनेपर विना बदला चुकाये कैसे बन्द करदें ?

समाधान-इस शंकामें अंधानुकरण और कायरता है। यदि अभीतक हम अपनी मूर्खतासे इन अमानुषिक कृत्यमें भाग लेते रहे हैं तो क्या आवश्यक्ता है कि मात्र बदल। चुकानेकी गरजसे इस मुर्खताकी परम्पराको चालू रखा जाय? जबकि अब मरणभोजकी घातकता माळूम होतुकी है तब उसे तःकाल छोड़ देना चाहिये और उसका प्रारंभ अपने घरसे ही करना चाहिये।

यदि इस शंकामें कोई दम है तो फिर किसीसे कोई भी व्य-सन नहीं छुद्दाया जासकता। वयों कि व्यसनी भी तो यही शंका कर

सकता है। वर्तमानमें जिन प्रान्तोंमें शराबका पीना कानूनन बन्द हुआ और होरहा है बढांके पियकड़ छोग भी तो यह कह सकते हैं कि अभीतक हम दुसरोंकी बहुतसी दावतोंमें आकर शराब पीते रहे हैं, अब हम अपने यहां अदसर आनेपर कैसे बंद करदें? तब क्या कोई भी बिवेकी इसी दलीलपर शराब पीना चालु रखना उचित मानेगा ? यदि नहीं तो यह दलील मात्र मरणभोजपर कैसे कागू होसकती है ?

द्रन्री जात यह है कि जब घीरे घीरे मरणभोजकी प्रथा उठ जायगी तब यह प्रश्न स्वयमेव हरू होजायगा। पारंभमें सहनशक्ति, साहस और भटलता चाहिये। यदि कोई अभीतक दूसरोंके मरणभी-जमें शामिल होता रहा है तो अब अपनी मूदताको स्वीकार कर सबके सामने स्पष्ट कह देना चाहिये और भविष्यमें अपनेको मरणभोजमें शामिक न होनेकी घोषणा कर देनी चाहिये।

(५) হাকা-দূর व्यक्तिकी यह अंतिम इच्छा थी कि उसके बाद उसका मरणभोन अवस्य ही किया जाय। इसके लिये वह कुछ-रुपया भी निकालकर रख गया है। तो क्या हम उसकी आंखें बन्द होनेपर उसकी इच्छाको बुच र डालें और उसके द्रोही बनें ?

समाधान-मृत व्यक्तिकी अयोग्य इच्छाकी भी पूर्ति करना उचित नहीं है। हां, उसके संकल्पित द्रव्यका सदुपयोग किया जा सकता है। उस द्रव्यको धर्मप्रचार, समाजसुधार और ऐसे ही हित-कारी कार्योमें लगाइये जिससे मृत व्यक्तिका नाम चिरस्थायी रह सके। एक दिनके भोजन करा देनेसे किसका कर्याण होनेवाला

है ? और फिर मरणभो नके भयं कर परिण!मको देखते हुये मृत व्य-क्तिकी अज्ञानमयी इच्छाकी पूर्ति वर्योक्तर करनी चाहिये? विवेक भी तो कोई बस्तु है। प्रत्येक क र्थमें उसका उपयोग करना चाहिये।

(६) **डांका** - मरणभो नके समय अपने नगर और बाहरके भी कोग आकर एकत्रित होते हैं, उनसे दुःख हकका होता है और परिचय तथा सहानुभूति भी बढ़ती है।

समाधान-गरिवय और सहानुभूतिके तो और भी अनेकः भवसर तथा साधन मिल सकते हैं तब इस राक्षसी रुट्धिके नामगर क्यों ऐसी आशा रक्खी जाती है ? रही लोगोंके एकत्रित होनेकी बात, सो जिसे सची सहानुभूति होगी वह मरणभोज न होनेपर भी दु: लके अवसरपर आ जायगा और सची समवेदना प्रगट करेगा। किन्तु जो लड्डुओंके निमित्तमे ही दौड़े भाते हैं, उन स्वार्थी कोगोंकी बनावटी सहानुभृतिमे भी क्या लाम ? उनकी सहानुभृति दुखियासे नहीं किन्तु लड्डुओं से होनी है। अन्यथा क्या कोई बतायगा कि कभी मरणभोज-भोजियोंने उस विचारी विधवासे पूछा भी है कि तूने मरणभोजका प्रबन्ध कहांसे किया? गहने और मकान बेनकर अब क्या करेगी ? तेरा और तेरे बर्ची हा पालन कैसे होगा ? जब भावश्यक्ता पहे हम रंशी मदद करेंगे । इत्यादि । भना जो लोग रक्तके लड्डू खाते हैं उनमें इतनी मानवता आये भी कहांसे ? वे तो उल्टे उस विश्वाके मधानको कुई कराने, बिस्वाने और उसे मिटानेमें शामिल हो जाते हैं।

(७) दांका-जिनके पास धन है वह मरणभोन करें, और

जिनके पास नहीं है उनसे जबर्दस्ती कीन करता है ? गरीब लोग मात्र अपने कुटुम्बीजनोंको या पांच पंचोंको जिमा दें तो किया हो जाती है। यह तो अपनी अपनी शक्तिके मुताबिक करना चाहिये। उसमें क्या हर्ज है ?

समाधान-ऐसी दलीलें कहा स्थितिपालक पण्डितोंके मंहसे भी सुनी जाती हैं। कितने ही मुखिया पंच लोग भी ऐसा ही कहते सुने गये हैं; किन्तु यह मात्र शब्दछल है। कारण कि किसी भी क्रवमें ऐच्छिक या अनैच्छिक मरणभोजकी प्रथा चालू रहनेसे यह अयंकर अत्याचार नहीं मिट सक्ता। शक्ति अशक्ति तथा इच्छा भनिच्छाकी बातें करनेवाले लोग उस मृत व्यक्तिके कुट्रम्बको इतना श्चर्मिन्दा भौर विवश बना देते हैं कि गरीबसे गरीब लोगोंको भी मरणभोज करना ही पड़ता है। जो मरणभोज नहीं करता उसे बद-नाम किया जाता है, उसके आगे पीछे बुगहयाँ की जाती हैं, विविध करूरनायें की जाती हैं, असहयोगकी धमकी दी जाती है. बहिष्कारका भय दिखाया जाता है, विवाह-शादियोंमें अड्चनें पैदा की जाती हैं औ। इस तरह मज़बू कर दिया जाता है कि घरमें कलके लिये खानेको न होनेपर भी मरणभोज करना पड़ता है।

कहीं कहीं तो ऐसा भी श्विज़ है कि जब मरणभोज करने-बालेको मारी व्याज देने पर भी उध र रुपया नहीं मिलता तब पंच कोग उससे दण्डश्वरूप चिट्ठी लिखा लेते हैं । जिसका अर्थ यह है कि गांवके लोग तुम्हारी शादी मादिमें वेवल इसी शर्त पर शामिक होंगे जब कि तुम भाने जार चढ़े हुये मौसरका व्याज प्रतिमास ५) के हिसाबसे पंचोंकी पूंजीमें जमा कराते रहोगे। ऐसा अनिवार्थ मरण-भोजका कानून कई गांवोंमें पाया जाता है। तब फिर गरीबोंकी मर्जी पर छोड़नेकी बात तो सर्वथा असत्य और छलपूर्ण है।

(८) शाङ्का-यदि मरणभोज नहीं किया गया तो जैनेतर समाज हमसे घुणा करेगी और हमें नीच मानेगी।

समाधान-यह भय भी व्यर्थ है। और संभवतः इसी भयको · लेकर ही जैन समाज**में** मरणभोजका पारम्भ हुआ हो । किन्तु यह प्रबल आन्दोलनके साथ बंद किया जासकता है। और सर्वत्र ही मरणभोजके बन्द होनेपर तथा जैनेतर जनताको यह मारूम होजाने पर कि मरणमोज जैनधर्मके विरुद्ध है-कोई भी विरोध नहीं करेगा।

जैन कोग हिन्दुओं के देवी देवताओं को नहीं पूजते, उनकी तरह श्राद्धादिक नहीं करते और उनके आचार विचारसे जैनोंका आचार विचार भिन्न ही रहता है। ऐसी स्थितिमें जैनेतर लोग जैनोंसे किसी प्रकारकी घृणा नहीं करते। इस प्रकार जैन समा-जमें सार्वत्रिक मरणभोज बन्द होजानेपर कोई किसी प्रकारकी घुणा नहीं करेगा। अभी भी जो छोग मरणमोज नहीं करते या जिन आमोंमें ४० वर्षसे कम भायुवालोंका मरणभोज पंचायतने बन्द कर दिया है बहांपर जैनेतर जनता जैनोंसे घृणा नहीं करती। कारण कि बह जानती है कि इनकी समाजको यह कार्य मंजूर नहीं है और यह इनके धर्मके खिराफ है। तब घृणादिका कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि किसीके भयसे हमें धर्मविरुद्ध और बुरे कार्य नहीं करना चाहिये।

(९) शंका-जब कि मरणभोजकी प्रथा उठा दी नायगी तो फिर मरणशुद्धि-सूतक आदिकी भी क्या जरूरत है ! उसका कथन भी तो शास्त्रोंमें नहीं है।

समाधान-मरणभोजसे शुद्धिका कोई संबन्ध नहीं है। मरण शुद्धिकी आवश्यका तो प्रत्येक बुद्धिमानके ध्यानमें आ सक्ती 🛢 । कारण कि मरणके कारण स्वाभाविक अशुचिता हो ही जाती 🛢 । पं० दौलतरामजीके कियाकोषमें भी शुद्धिका विधान है। और बदि नहीं भी होता तो भी बुद्धि इतना स्वीकार किये बिना नहीं रहती कि मरणशुद्धि करना नहाना घोना आदि आवश्यक है। किन्तु मरणभो जका इस शुद्धिके साथ गंठजोड़ा कर देना उचित नहीं है ।

(१०) शंका - तेरहवें दिन मरणभोज करके शुद्धि होती है और तभी गृहस्थ पूजा तथा दानादि देनेका अधिकारी होता है। मरणभोजके बिना उसमें पूजा दान।दिकी पात्रता कैसे आसकती है ?

समाधान-तेरहवें दिन शुद्धि होना तो कालशुद्धि कहलाती है। मरणभोजमें शुद्धि करनेकी शक्ति नहीं है। यूदि मरणभोजः करनेसे ही शुद्धि होती है तो इसका स्पष्ट अर्थ यही हुआ कि भरणभोजमें जो लोग जीमनेको आते हैं वे अगुद्धिमें जीमते हैं औ<u>र</u> उनके जीम लेनेपर शुद्धि होती है। तब तो पंच लोग अशुद्धिमें जीमनेके कारण पाँपके भागी होंगे।

यदि कोई यों कहे कि शुद्धि तो तेरहवें दिन हो ही जाती है उसके बाद मरणभोज होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्धि करनेमें मरणभोज कारण नहीं है, कारण कि वह शुद्धि होनेके बाद ं होता है। ऐसी स्थितिमें (तेरहवें दिन स्वयमेव शुद्धि होजानेपर) यदि कोई मरणभोज न करे तो क्या वह अशुचिता पुनः लौटकर उसके घरमें घुस आयगी ? तनिक बुद्धिसे भी तो विचार करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि कहीं कहींपर १०-११-१२ वें दिन भी मरणभोज किया जाता है। तो क्या मरणभोजमें ऐसी शक्ति है कि वह जब भी किया जाय तभी अशुचि दूर भाग नाती है ? कई जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि एक घरें कर मरणभोज है, सब रसोई तैयार होगई, और भाज रात्रिको उसी घरमें किसी दूसरे आदमीकी मृत्यु होजाती है। फिर भी उसे फ्रंक कर दूसरे दिन ही मरणभोज किया जाता है भौर शुद्धिके ठेकेदार दयाहीन जैनी वहां जीमने चले जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या वहाँ पर अशुचिता नहीं लगती ? क्या अपवित्रतामें ऐसा विभाग हो सकता है कि यह तो अमुक आदमीके मरणकी अपवित्रता श्री जो दूर होगई, खौर अब दूसरेकी प्रारम्भ होती है जो हमारे लड्डुओं पर असर नहीं कर सकती ? इसे स्वार्थ, गृद्धपन या लड्डूभक्तिके सिवाय और क्या कहें ? पाठक आगेके प्रकरणोंमें ऐसी घटना-ओंको देखेंगे।

एक बात और भी है कि कई जगह तेरहवें दिन, कई जगह महीने दो महीने, वर्ष दो वर्ष या बारह वर्ष बीत जानेपर भी मरण-मोज किया जाता है। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास मीजूद हैं और समाज भी जानती है। तब क्या उन लोगोंको इतनी लम्बी अवि-क्षेष्ठ अञ्चल्क ही माना जाता है ? नहीं, वे मरणभोज न करनेपर भी

तेरहवें दिन स्वयमेव शुद्ध होजाते हैं और दानपूजादि सत्कर्म करने लगते हैं।

जहांपर मरणमोजकी कतई बंदी कर दी गई है या जहां ४०-४' वर्षके पूर्वका मरणमोज नहीं होता वहां भी तो तेरहवें दिन (मरणभोज न करनेपर भी) स्वयमेव गुद्धि होजाती है और वह दान पूजादिका अधिकारी होजाता है। वर्तमानमें भी ऐसे वर्रोमें मुनिराज आहार लेते हैं और वे लोग पूजादि करते हैं। तालर्थ यह है कि यह कालशुद्धि है जो तेरहवें दिन स्वबमेव होजाती है। इसमें मरणभोज कार्यकारी नहीं है। शास्त्रोंमें भी कालशुद्धिपर ही जोर दिया है और लिखा है कि:---

ब्राह्मणक्षत्रियविद्शूदा दिनै: शुद्धधन्ति पंचिभि:। दश द्वादशभिः पक्षाद्यथासंख्यप्रयोगतः ॥ १५३ ॥ - प्रायाधित्तसंप्रह चूलिका।

भर्थात् - ब्राह्मण क्षक्षिय वैदय और शूद्र अपने किसी स्वजनके मरजाने पर क्रमसे यांच दिन, दश दिन, बारह दिन और पंद्रह दिन बीत जानेसे शुद्ध होते हैं। (टीकाकार पं० पत्रालालकी सोनी)

इससे बिलकुल स्पष्ट है कि वैश्य लोग १२ दिन वीत जानेसे स्वयमेव शुद्ध होजाते हैं। मरणभोज आदिकी मिथ्यारू दि तो डोंगी कड्डू छोलुपियों द्वारा चलाई गई है और ऐसे लोग ही इसकी प्रष्टि करते रहते हैं।

यहां तो मात्र १० शंकार्ये उठाकर ही उनका यथायोग्य समा-बान किया गया है। किन्तु भीर भी जो भाई इस सम्बन्धमें किसी तरहकी शंका करेंगे उनका मैं यथाशक्य समाधान करनेके लिये तैयार हूं। मैं देखता हूं कि समाजमें मरणभोजके विषयमें प्रायः ऐसी या इस प्रकारकी ही शंकार्ये बहुधा की जाती हैं जिनका उल्लेख भौर समाधान किया जाचुका है। आशा है कि इनसे मरणभोज भोजियोंका कुछ समाधान अवस्य होगा ।

समदत्ति और लान।

जैन समाजके किये यह दुर्भाग्यकी बात है कि उसके पीछे अनेक विनाशक रूढ़ियाँ लगी हुई हैं। जिस मरणभोजके विषयमें मैं भभी लिख भाषा हूँ उतने मात्र हीसे समानका छुटकारा नहीं होने पाता; किन्तु कई प्रांतोंमें मरणोपलक्षमें लान भी बांटी जाती है। भौर इसका अधिकतर रिवाज़ खण्डेलवाल जैनोंमें है। दूसरी कई जैन जातियोंमें भी इसका रिवाज़ है। इस रिवाज़ने भी जैन समाजकी खुब दुर्दशा की है। इस गर भी दु:ख तो इस बातका है कि इसे हमारे कुछ मरणभोजिया पण्डित धर्मका अङ्ग और सम-दित्तका रूप बताते हैं, जिससे भोली जनता उसे नहीं छोड़ सकती।

हमारे कई पाठक संभवतः 'लान' को नहीं जानते होंगे। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके उपलक्ष्यमें वह स्थानोंपर वर्तन भादि बांटनेका रिवाज है। उसे लान (लाण या लानी-लाणी) कहते हैं। इस मिथ्य। वाहवाहीमें हजारों रुखा। बर्बाद किये जाते हैं। गरीबोंको भी देखादेखी यह कार्य करना पहता है और वे ऐसा करके सदाके छिये मिट जाते हैं।

कुछ त्रिवर्णाचारी पण्डित जैसे मरणभोजको आवश्यक किया बताते हैं वैसे लानको भी धर्मका आवश्यक अंग श्रोर समदत्ति कहते हैं। इस प्रकार आर्षाज्ञाका विचार न करके केवल रूढ़िको ही धर्म मान लेना कितना भयंकर अज्ञान है! ब्रह्मणों और कुछ भोजनभट्ट भट्टारकोंकी क्यासे जैन समाजमें मरणभोज ही नहीं; किन्तु श्राद्ध, तर्पण, गौदान, पीगल पूजा, पिण्डदान और ऐसी ही अनेक मिथ्या मान्यतायें घुस गई हैं। और वे सब त्रिवर्णाचारादि रचकर धर्माज्ञाके रूपमें सामने रखीगई हैं। उन्होंमें से मरणभोज और मरणो-पक्षमें लान बांटना भी है। लेकिन सचमुचमें लान या मरणभोज श्राद्धका रूपनतर है जोकि जैनशास्त्रानुसार मिथ्यास्व माना गया है।

में मरणभोज और लानको श्राद्धका रूपान्तर इसिछये कह रहा ह कि वह मृत व्यक्तिके उद्देश्यसे दिया जाता है जो कि मरणभोजिया पण्डितोंके कथनानुसार समदित्त-दान कहा जाता है। ऐसे दानका निषेध पं० आशाधरजीने सागारधर्मामृत अध्याय ५ इस्रोक ५३की टीकामें किया है। उनने लिखा है कि—

" श्राद्धं मृतिपित्रासुद्देशेन दानम्।"

अर्थात्—मृत पितादिके उद्देश्यसे दान करना श्राद्ध है और वह ''न द्यात्'' नहीं देना चाहिये। उनने ऐसे श्राद्धको (सुदृग्दुहि श्राद्धादौ) सम्यक्तका घातक बताया है। इसलिये लानके नामपर वर्तन बांटना या समदित्तिके नामपर मरणभोज देना एक प्रकारका श्राद्ध है और सम्यक्तका घातक होनेसे त्यांज्य है।

यहां पर कोई यह कह सकता है कि जब मरणोपलक्षमें वर्त-

चादिका दान (लान) देना मिथ्यात्व है तब आपने अपने स्व० पिताजीके नामपर यह पुस्तक क्यों वितरण की ? इसका समाधान तनिक ही विवेकपूर्वक विचार करनेसे होजाता है। लान (बर्तन) बांटना एक प्रकारका परिमह देना है। किन्तु पुस्तकादि परिमह नहीं है। परिग्रहपूर्ण दान देनेका जैनाचार्योने निषेव किया है। यथा:--

> जीवा येन निहन्यन्ते येन पात्रं विनश्यति । रागो विवर्द्धते येन यस्मात् संपद्यते भयम् ।। ९-४४ ॥ थारम्मा येन जन्यते दु:स्वितं यच जायते । धर्मकामैन तद्देयं कदाचन निगद्यते ॥ ९-४५॥ अमितगति श्रावकाचार।

अर्थात्-जिससे जीवोंका घात हो, पात्रका विनाश्च हो, राग बढ़े, भय उत्पन्न हो, आरम्भ हो, दुस्ती हो वह वस्तु धर्मवांछक पुरुषों द्वारा नहीं दीजानी चाहिये।

यहांपर परिमहकारी द्रवन-वर्तन आदि देनेका निषेध किया है। किन्तु पुस्तकों-ग्रंथोंका वितरण करना न तो आरम्भ परिप्रहकारी है भौर न वह अनर्थकारी-दुखदायी है। ग्रंथोंको तो अपरिग्रही मुनिराज भी ग्रहण करते हैं। इसलिये यदि किसीको मृत व्यक्तिके स्मरणार्थ द्रव्य व्यय करना है तो वह 'श्रास्त्रदान' कर सकता है। किन्तु 'समदत्ति'की ओटमें' 'लान' नहीं बांट सकता। वह तो सरासर मिथ्यात्व है। शास्त्रदानको 'लान' नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो स्वतंत्र शास्त्रदान है जो चार दानोंमें से एक है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचारमें '' द्रव्यदानं न दातव्यं सुपुण्याय नरैः कचित " कह कर द्रव्य दानका निषेघ किया है, किन्तु साम्र दानका कहीं भी निषेच नहीं किया गया।

जैन समाजका यह दुर्भाग्य है कि कुछ दुरामही छोगोंकी कृपासे यहां मरणभोज तथा लान आदिका दौरदौरा है और उसे समदित्त दान कहकर धार्मिकताका चोला पहनाया जाता है। किन्तु उन्हें इसका विचार ही नहीं कि वह धार्मिकता किस कामकी जिससे सैकड़ों घर बर्बाद होजांय और लोग जीवनभर चिन्ताकी चितामें जलते रहें। सहदयतासे विचारिये कि मरणमोज और लान समदित्त है या जीवनदत्ति ?

कुछ लोग मरणभोज और लानको ''पात्रदित्त '' भी कहते हैं। किन्तु यह भी सरासर मूर्खता है। कारण कि शास्त्रोंमें पात्र-दान करना पुण्य और सद्भाग्यका विषय बताया है। ऐसी स्थितिमें यदि किसीका पुत्र या पित मर जावे तो क्या उसकी माता और पत्नीको पुण्योदय या सौभाग्यका विषय मानना चाहिये ? क्योंकि उसे पात्र-दिक्ता पुण्यावसर मिला है! यदि नहीं तो मरणभोज और लानको पात्रदित्त कहनेवाले अपने दुराग्रहको क्यों नहीं छोड़ देते ?

पात्रदत्ति तो वह है जिसमें दाता पात्र अपात्र कुपात्रकी परीक्षा करे और सत्पात्रको ही दान दे! किन्तु लान या मरणमोजमें तो पात्रादिका कोई विचार नहीं होता। वह तो जैन और जैनेतर सभी व्यवहारी जनोंको दिया जाता है। इसलिये भी इसे पात्रदत्ति कहना भयंकर भूल है। दूसरी बात यह है कि लान और मरणभोजमें शामिल होनेवाले जैन कोई भिक्षक तो हैं नहीं कि उन्हें दान दिया जाय। यह तो अदले बदलेका व्यवहार चला आरहा है। और जब यह आज समाजके लिये घातक सिद्ध होरहा है तो इसे सहर्ष छोड़

मरणभोज निषेधक कानून।

यदि समाज इस मयंकर प्रथाका स्वेच्छासे त्याग नहीं करेगी तो वह समय दूर नहीं है जब उसे यह प्रथा कानूनन छोड़ना पड़ेगी। विचारी गरीब भीर विघवाओंको शक्ति न होने पर भी देखादेखी, नाक रखनेके क्रिये, पंचोंके भयसे अपने पित भीर पुत्रोंका मरणभोज करना पड़ता है तथा 'लान' में हजारों रुपया बर्बाद कर देना पड़ते हैं। यदि समाजका यह पाप जल्दी दूर नहीं हुआ तो इसके लिये जल्दीसे जल्दी कानून बनाया जाना भावश्यक है। समाज-हितैषियोंको इस भोर शीध ही विचार करना चाहिये।

यहां कोई यह कह सकता है कि हमारे सामाजिक एवं व्यक्तिगत कार्योमें कानूनी दखलकी कोई आवश्यक्ता नहीं है। किन्तु यह
तो मात्र पनोकलाना है। जब जनता ऐसी रूढ़ियोंमें फंसी रहती है
जिनसे उसका विनाश होता रहता है तब उनसे छुटकारा दिलानेके
लिये कानूनकी आवश्यक्ता होती है। शारदा एक्ट हमारे सामने
है। अपने लड़के लड़कीका विवाह कब कहां और किस आयुमें
करना यह माता पिताका व्यक्तिगत कार्य है। किन्तु जब समाजने
मूढ़तावश छोटे छोटे बच्चोंका भी विवाह रचाना शुरू कर दिया और
बह अनेक सामाजिक आन्दोलन होनेपर भी नहीं रुका तब समाजके सामूहिक हितकी दृष्टिसे शारदा कानून बना। इसी प्रकार यदि
समाजने मरणभोजकी घातक प्रथाको नहीं छोड़ा तो यह निश्चित है
कि उसे रोकनेके लिये कानून बनाया जायगा। हर्षका विषय है

िक कुछ देशी राज्योंका ध्यान इस ओर गया है और उनने इस मकार कानून बनाये हैं।

(१) ज्वालियर स्टेट-मैंने तारील २७ जून सन् १९३६ के म्वालियर गज़टमें प्रतट हुआ 'मुसन्विदा कानून नुक्ता' देखा था। वह किस रूपमें पास हुआ सो तो मुझे मालून नहीं, किन्तु उसका सारांश यह है कि-'' चूंकि वफातके बाद या उसके सिलिसिलेमें जो कौमी खाने ऋदीमी रिवाज़की बिना पर दिये जाते ं हैं और फिजूलसर्ची की जाती है उस पर जब्त कायम किया जाये नाकि भावामकी तरफसे फिजूलखर्चीकी रोक हो और उनकी आर्थिक हालत सुधरे । इस लिये हुक्म फरमाया जाता है कि-नुक्तामें वह स्वाना शामिल है जो मृन व्यक्तिके उद्देश्यसे (मौसर, तेरहवीं, चालीसवां) दिया जाता है । हां, जिन्हें इस विषयमें धार्मिक विश्वास है उसकी रक्षाके लिये इस कानूनमें अपने खानदानके अधिकसे अधिक ५१ आदिमियोंको जीमनेकी छूट रहेगी। मरणो-पलक्षमें लान (वर्तन आदि) बांटना भी कानूनके खिलाफ होगा। इस कानूनका पाळन करनेपर यदि कोई पंचायत किसी प्रकारकी धमकी दे, दबाव डाले, बहिष्कार करेया दंड देगी तो वह अपराधी ठहराई जायगी। तथा जो व्यक्ति इस कानूनका भंग करेगा उसे ५००) जुर्माना और एक सप्ताइ तककी सजा होगी।

यदि ऐसा खिलाफ अमळ कोई जाति या पंचायत करेगी तो उसका प्रत्येक मेम्बर अपराधी माना जायगा । किसी भी मिनिष्ट्रेटको ्रइत्तला मिलनेपर कि कोई नुक्तादिकी तैमारी कर रहा है तो वह उसे Shree Sudharmaswami Gyanbhandar-Umara, Surat www.umaragyanbhandar.com

ऐसा न करनेको नोटिस देगा। फिर भी यदि कोई उसका उल्लंघन करेगा तो उसे १०००) जुर्माना और एक माह तककी सजा होगी। नुक्ता करनेवालेके विरुद्ध यदि कोई दावा दायर करे और उसमें 🛹 अपराधी सजायाव हो तो अदालत उसके जुर्मानेमेंसे आधी रकम दावा करनेवालेको इनाम दे सकेगी और गळत साबित होनेपर १००) तक दण्ड भी कर सकेगी।"

(२) होल्कर स्टेट-इन्दीर नुका कानूनकी स्वीकृतिः होल्कर स्टेटके लिये महाराजा सा०ने १० जून सन् १९३१ को दी भी और ता० १५ जून ३१से उसका अमल किया जारहा है। इस कानृनका सार यह है-'' नुक्ता शब्दमें मोसर, चहल्लम, बरसी, 🖟 छमासी मृत्यु संबन्धी रसोई, व इतर ऐसे भोजोंका समावेश होगः जो किसी मनुष्यकी मृत्युके उपरुक्षमें किये जायं। कोई भी व्यक्ति भपने यहां किसी नुक्तेमें १०१ से अधिक मनुष्योंको भोजन नहीं जिमा सकेगा। मार्थिक परिस्थितिकी चौकसी करके जिलाघीश ४०० व्यक्तियों तकके जिमानेकी स्वीकृति दे सकेंगे। इस संख्यासे अधिक किसी स्रतमें भी नहीं जिमाये जा सकेंगे। इस संख्यामें उन रिश्तेदारीका समावेश नहीं होगा जो मृतकके कुटुम्बियोंके साथ समवेदना प्रगट करनेके लिये भाये हों। बशर्ते कि उन्हें नुक्तेका निमंत्रण भेजकर न बुरुाया हो ।

कोई भी व्यक्ति किसी मृत्युके संबंधमें लान या दीगर नामसे भारती जातिमें बार्तन नहीं बांट सकेगा। किसीको यह अधिकार न होगा कि वह दूसरे किसी व्यक्तिको वज्ञरिये दवाव या धमकी या

नसीहतके या किसी दूसरे तरीकेसे नुक्ता करने या कान बांटनेकी. उत्तेजना दे। जो इसके खिलाफ कार्य करेगा उसे ५००) तक जुर्माना या एक हफ्तेकी सजा या दोनों सजायें दी जावेंगी। इस कानूनके खिलाफ कार्य होनेकी इत्तला यदि मिल्रिष्ट्रेटके पास पहुंचे तो वह उसे रोकनेके लिये नोटिस देगा। और यदि उसका पालन न किया गया तो १०००) जुर्माना या एक महीनेकी सजाया ्दोनों सजायें दी जा सकेंगी। कानूनके खिलाफ काम करनेवालेकी इत्तला भारालतभे देनेवालेको जुर्मानेकी भाषी रक्षम तक दी जासकेगी।"

इसी प्रकार अलवर और जोवपुर आदि स्टेटोंमें भी नुक्ता निषेत्रक कानून बनाये गये थे, किन्तु वे अधिक समय तक नहीं चले। कारण कि उनमें बहुत ढील और छूट थी तथा उस ओर ंविशेष ध्यान भी नहीं दिया गया। ग्वालियर और <mark>होल्कर</mark> स्टेटके कानून भी यद्यपि बहुत ढीले हैं, फिरभी कुछ न कुछ तो प्रतिबंध रहेगा ही । मुझे जहांतक माछूम हुआ है इन्दौरमें कोग मरणभोज न करके जरुयात्रा, रथयात्रा, स्वामिवत्सल भादिके नामपर जिमाते हैं इसिछिये कानुनका ठीक अमरु नहीं होने पाता । दूसरी बात यह है कि घार्मिक दृष्टिका विचार कर मरणमोज भोजियोंकी संख्या मी निश्चित की गई है, जो इन्दौर स्टेटमें तो बहुत ज्यादा है। फिर भी इन कानुनोंसे जो जितना प्रतिबन्ध हो सके उतना ही ठीक है।

इन कानुनोंमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि किसीको भी कान ' बांटनेकी छूट नहीं दी गई है। और मरणभोज विरोधी फरवाद करनेवालेको (मुकदमेमें दण्ड होनेपर) इनाम देनेकी घोषणा की गई है। इसकिये युवकोंको साहसपूर्वक इन कानूनोंका उपयोग करना चाहिये। यदि इसी प्रकार या इससे भी कड़ा कानून बृटिश भारतमें बन जाय तो देशका बहुत भला हो । मरणभोजके बोझसे भारतीय समाज मरी जा रही है। देश हितै वियोंका कर्तव्य है कि वे उसे शीव ही बचा कें। जैन समाजमेंसे तो यह पाप सबसे पहले निकक नाना चाहिये। इसके लिये हमारी परिषद धादि संस्थाओं और जीवित युवक संघोंको प्रयत्न करना चाहिये। प्रयत्न और आन्दोलनका प्रभाव तरकालन होकर भी धीरे घीरे तो अवदय होता है। इसलिये हमें प्रयत्न करना चाहिये कि जनमत मरणभोजके विरुद्ध हो जाय।

मरणभोज विरोधी आन्दोलन ।

जब तक समान किसी कार्यके हिताहितको नहीं जान पाती बहां तक उसे छोड़ नहीं सकती। इसिलये अन्य कुक्क दियोंकी मांति मरणभोजके विरुद्ध भी प्रवल आन्दोकन होनेकी आवश्यका है। कुछ वर्षीसे हमारी सामाजिक सभाओं और युवक संघों आदिका इस ओर ध्यान गया है। भौर उनने मरणभोज विरोधी प्रस्ताव करके या भरणभोजकी अमुक आयु निश्चित करके इस पापको कुछ हरूका किया है।

जैन समाजमें सबसे पुरनी सभा भा० दिगम्बर जैन महासभा 🕏, किन्तु दुर्भाग्यकी बात है, कि उसने मरणभोजके विरुद्ध कोई प्रयस्न नहीं किया। वहं करती भी कैसे ! कारण कि आब भी उसके

कर्ता वर्ता मरणभोजको वार्मिक, आवश्यक, समदत्ति, पात्रदत्ति और न जाने क्या क्या समझते हैं। किन्तु अन्य जातीय समाओं, युवक संघों, पंचायतों तथा परिषद आदि द्वारा कभी कभी प्रयत्न होता रहा है. जिसके परिणाम स्वरूप भाज समाजके कुछ भागमें मरणभोजके प्रति घृणा उत्पन्न होगई है।

परवार सभाका प्रयत्न-

दिगम्बर जैन समाजमें 'परवार सभा ' यद्यपि जातीय सभा थी, किन्तु उसने मरणभोजके विरुद्ध खूब मान्दोलन किया था। सन् १९२५ में उसके परीशक अष्टमाधिवेशनमें श्री० सिंघई कुंबरसेनजी सिवनीने न्यायाचार्य पं० गणेशप्रसादजी वर्णीके सभापतित्वमें एक प्रस्ताव उपस्थित किया था। प्रस्ताव रखते हुवे आपने कहा कि:---

परवार समाजमें जो मरण जीवन गरकी प्रथा है वह इस प्रकार है ' जिसका अभिसंस्कार हो उसकी जीवनवार अवस्य हो।'' किंतु माजकल तीस वर्षसे कम उमरकी मृत्यु संख्या अधिक होती है और इनकी जीवनवारोंमें जो लोग भोजन करने जाते हैं उन्हें अपना कलेजा परश्रका ६ रता पड्ता है। घरमें रोना पीटना होरहा है, जीमनेवाले दिरुमें रोते हुए भोजन करते हैं। जीवनवारकी प्रथा कोई शास्त्रोक्त नहीं, इसके बन्द करनेमें धर्मका नादा नहीं। आज भी अनेक दिगम्बर जैन जातियोंमें जीवनवारकी प्रथा बन्द है। अपने यहां भी जिस बालकका मृतक संस्कार होता है उसकी जीवनवार नहीं होती। इन सब बातोंपर बक्ष्य करके यह

प्रस्ताव पास किया जावे कि-' ४० वर्षसे कम उमरकी मृत्कु होनेपर उसका जीवनवार बिलकुल न हो । ''

यद्यपि यह परताव बहुत सीधा सादा था और इसमें ४० वर्षकी ही हद रखी गई थी. फिर भी कुछ लोगोंने उसमें ऐसे संशोधन पेश किये जो जैन समाजको कलंकित करनेवाले हैं। इनसे इत होजायगा कि जैन समाजमें मरणभोजका कितना जक्क्य मोह है। उन संशोधनोंके कुछ नमूने इनप्रकार हैं-

१-कुछ कन्याओंको तो जिमाना ही चाहिये। २-जितने छोग अरथीके साथ रमञ्चान जावें उन्हें जिमाना चाहिये। ३-- वन्द्रह वर्षसे भिधिक भायुके मृत व्यक्तिका मरणभोज किया जाय। ४-ध्वविवाहितकी जीवनवार न करके विवाहितोंका मरणभोज किया जाय। ५-यह पुरानी प्रथा है, धर्मसे इसका सम्बन्ध है (?) इसलिये इसे नहीं तोड़ना चाहिये । ६-चाळीस वर्ष अधिक होजाते हैं, इसिकये वीस वर्ष तककी ही आयु रखनी चाहिये । इत्यादि ।

जहां इसप्रकारके विचित्र संशोधन पेश किये गये थे वहां हमारे बुन्देलखण्डके अनेक विचारशीक श्रीमानोंने इन मंशोधनों इह डटकर विरोध भी किया और निर्भीकतापूर्व हइसप्रकार अपने विचार प्रगट किये थे:-

(१) सिंघई कुँबरसेनजी सिवनी-धर्मशालों नेग्हें वे दिन केवल शुद्धिका रहेख है, उसका जीवनवारसे कोई संबंध नहीं है। शुद्धिके लिये भोजन भावस्यक नहीं है। इसे घार्मिक ऋहकर अहंगा न लगाना च!हिये । इस रु ढ़ि ह चान्त्र रहनेसे समाजशी

बड़ी हानि होरही है। वई जैन जातियोंने यह रूढ़ि बन्द भी कर वी है। इसिलये अपनी समानमें यह रूढ़ि बन्द करना नई बात नहीं है। इसका शीघ्र ही बन्द किया जाना जरूरी है।

- (२) बाबू कस्तूरचन्दजी वकील जबलपुर-यह -समा तेरईकी वर्तमान प्रवृत्तिको निन्दनीय समझकर घृणाकी दृष्टिसे देखती है, इमलिये बन्द की जावे।
- (३) सेठ पन्नालालजी टड़िया लिलतपुर-यह प्रथा बहुत भद्दी है। एकवार हमारे यहां चौधरीजीके घर ऐसा मीका आ पढ़ा था कि घरवाले शोकके मारे रो रहे थे, उघर भोजन करने-वालोंको सिर्फ अपनी ही चिन्ता थी। वास्तवमें यह प्रथा बहुत बुरी है। हमें उनकी बातोंपर बहुत रंज होता है जो ताना मारमारकर भोजन खाते हैं। जो विपत्तिमें फंपा हुआ है उसके यहां भोजन करना ताना मारना है। यह सर्वथा अनुचित है।
- (४) सेठ मूलचन्द्जी बरुआसागर-सिर्फ कमीनोंको खिलाना चाहिये। छोगोंगर इस बातका अक्षेत्र न किया जावे कि इसने तेरई नहीं दी।
- (५) पं० मौजीलालजी सागर-ये कैसे क्टोर हृदय हैं जो कहते हैं कि दम वर्ष तकका मरणभोज न किया जाय। भरे! यह तो इतनी भद्दी पथा है कि किसीका भी नुकता न करना चाहिये, चाहे गरीव हो या भमीर। सभीको एक नरहका व्यवहार करना चाहिये।
- (६) सेठ लालचन्दजी दमोह-इमारी जातिमें यह

एक रुद्धि होगई है। इसे बन्द कर देना चाहिये। पंगत करनेकी कोई भावश्यक्ता नहीं है।

- (७) सेठ चन्द्रभानजी बमराना-में सिंबई कुंवर-सेनजीके पस्तावका समर्थन करता हूं, अर्थात् यह नुक्तेकी प्रधा बन्द करदी जावे।
- (८) श्री ब्बेनीप्रसाद्जी-जो सेठजी साहबने कहा वही पास करना चाहिये।
- (९) बाबू गोकुलचन्द्जी वकील-यह लड्डुओंकी बात है, जरूदी न छूटेगी, नहीं तो यह प्रथा इतनी भद्दी है कि विना प्रस्ताव पास किये ही छूट जाना च। हिये थी। एकवार हमारे यहां (दमोहमें) पंचींने एक मनुष्यसे कहा कि तुम्हें चारों प्राकी वंगत देना पहेगी । किन्तु समय थोड़ा था, इसलिये रात रातभर तैयारी करना पड़ी । और बेसन पीसनेवाली स्त्रियां अपना समय काटनेके छिये रातभर भानन्दके गीत गाती थीं। जरा विचारनेकी बात है कि घरमें तो मातम है, किन्तु इस भोजके पीछे आनन्दके गीत गाये जाते हैं। यह लज्जित करनेवाली प्रश्ना है।

बुन्देलखण्डके इन मुखिया श्रीमानीके उद्घार पढकर किसे संतोष और हर्ष न होगा? यदि सचमुच ही उक्त मुखिया लोग अपने बचनोंका पालन करते कराते तो कमसे कम बुन्देलखण्ड प्रान्तसे तो यह पाप कमीका टठ जाता । किन्तु बुन्देलखण्ड प्रान्तका यह दुर्भाग्य है कि वहीं मरणभोजकी अति भयंकर एवं दयनीय घटनायें होती रहती हैं।

स्वानुभव।

कहींपर यदि मरणभोजके लिये मृत व्यक्तिकी अमुक्त आयुकी इद गांधी गई है, फिर भी उसपर चळना तो कठिन ही है। कोई व्यक्ति मरणभोज न करना चाहे तो उसकी नगरमें चर्चा होती है, उसकी बुराई की जाती है और उसपर विविध रूपमें ऐसा दबा डाला जाता है कि उसे मरणभोज बलात् दरना ही पड़ता है 🖡

मेरे जीवनमें ऐसे तीन अवसर आये हैं। एक तो नवम्बर सन्ह १९२८ में मेरी माताजीका स्वर्गवास होगया था। उस समय चारों. तरफ़से दबाब डाका गया था । मैं उस समय विद्यार्थी था। लोगोंकी बातोंमें तथा कुटुंबियोंके दबावमें भाकर माताजीका मरणभोज करना -पड़ा। यदि सच पूछा जाय तो उस समय मुझे घरके कार्य करने घरनेका अधिकार ही क्या था? इसिछिये वह मेरे द्वारा नहीं किया गया था, फिर भी मैं डटकर विरोध नहीं कर सका। फिर नवम्बर सन् ३१ में हमारे बढ़े भाई श्री० बंशीघरजीका ३२ वर्षकी आयुमें ही स्वर्गवास हुआ। उस समय भी कुछ लोगोंने मरणभोजके लिये मुझे दबाया, मगर मैं दढ़ था ! कुछ सज्जन मुझे साहस और साथ देनेके लिये भी तैयार थे। मैं इससे पूर्व ही निश्चय कर चुका था कि न तो मैं मरणभोज करूं ता और न ऐसे पापकृत्यमें सम्मिलित ही होऊँगा । इसलिये मैंने सबसे दढ़तापूर्वक कह दिया कि यह मरणभोज कदापि नहीं होगा। तब इस सम्बंधमें खब चर्चा होती रही।

विरोधी चर्चा होते देखकर मैंने मुखिया लोगोंसे मिकना गुरू

किया। उनसे पूछा कि क्या आप लोग ऐसे मरणभोजके लिये भी तैयार हैं कि वृद्ध पिता जीवित है और युवक पुत्र मर गया है ? तब मुझसे सबने परयक्षमें तो इंकार कर दिया, लेकिन भीतर ही भीतर विरोधी चर्चा चलती रही । सबसे अधिक कठिनाई तो यह ्रश्री कि मेरे कुटुम्बीजन स्वयं मरणभोजके लिये आग्रह कर रहे थे। कारण कि उन्हें नाक रखनेकी पड़ी थीं! किन्तु हमारे पिताजीके विचार मेरे साथ मिळते जुलते थे। वे वृद्ध होकर भी वर्तमान समाजसुवारको पायः पसंद करते थे । बस, फिर क्या था ? मेरा दिरु दूना होगया स्नीर भाईका मरणभोज नहीं होने दिया।

उघर ललितपुरकी विचारशीक पंचायतने भी यह प्रस्ताव कर किया कि ४० वर्षसे कम स्नायुवालेका मरणभोज न किया जाय। इस सभामें हमारे नगर (लिकितपुर) के मुखिया स्व० सेठ पन्ना-लालजी टदैयाने बड़ा ही प्रभावक भाषण दिया और साफ साफ कह दिया कि मरणभोजकी प्रधा घ।र्मिक नहीं है, किन्तु समाजपर यह एक भारी बोझ है। अपने पूर्वजोंकी सभी बातोंका अनुकरण नहीं करना चाहिये। हमें कुछ विवेकसे भी तो काम लेना चाहिये। कमसे कम ४० वर्षके नीचेका मरणभो न नहीं किया जाय। और ४० वर्षसे ऊपर भी मृतव्यक्तिके कुटुम्बियोंकी इच्छापर रक्खा जाय । इसी विषयपर अनेक भाषण हुये थे और श्री० टहैयाजीके कथनानुसार प्रस्ताव सर्वे सम्मतिसे पास होगया था ।

उस प्रस्तावका लिलतपुरमें अधिकांश पालन हुआ, किन्तु ४० वर्षसे उपरकी मृत्युके भोज बन्द नहीं हुये। लेकिन जब गत वर्ष

अवद्भवर १९३६ को हमारे पिताजीका स्वर्गवास हुआ तब इम्रारे अपर कई लोगोंने दबाब डाका कि वृद्धपुरुषका तो मरणभोज करना ही चाहिये। किन्तु में युवा या बृद्धके मरणभोजको ही नहीं, मरणभोज मात्रको अमानुषिक भोज मानता हूं। इसिक्ये मैंने तो सबसे ं साफ इंकार कर दिया। और मःणभोज नहीं होने दिया। दैवयोगसे लिलिपुरमें कुछ माई मेरे अनुकूल भी थे और कुछ मध्यस्थ भी रहे। **भास्तिरकार मरणभोज नहीं हुआ और** यह चर्चा गांवमें बहुत दिन तक चलती रही।

कहनेका तात्पर्य यह है कि जबतक खूब डटकर मरणभोज विरोधी प्रचार नहीं होगा तबतक यह मरणभोजकी प्रथा नहीं मिट सकती। मनुष्योंकी परम्परागत मावनाका मिट जाना सरल नहीं है। प्रस्ताव, प्रचार और भनेक उपाय होनेपर भी लोगोंकी रूढ़ि नहीं बदलने पाती। वे तत्काल प्रभावित भले हो जायं मगर समय आनेपर फिर जैसेके तैसे होजाते हैं। जिसके घर मृत्यु होजाती है वह दढ़तापूर्वक डटा रहे तथा चारों तरफके विविध भाक्रमणों एवं छोगोंकी टीका टिप्पणियोंको सहता रहे, यह सरल कार्य नहीं है।

हमारे पिताजीकी आयु करीब ६० वर्षकी थी, इसल्ये कुछ शोग तो मुझसे अधिकारपूर्वक कहते थे कि तुम्हारे बापकी मृत्यु तो वृद्धावस्थामें हुई है और तुम दोनों भाई कमाते हो, फिर लोभ किस बातका ? कोई कहता था कि भाई! तुम्हें ऐसी प्रथा पहले अपने भरसे पारम्भ नहीं करनी चाहिये। कोई हितेभीके रूपमें कहता कि बड़े रूपमें नहीं तो सावारण तौरपर ही करदो। इतना ही नहीं,

किन्तु कुटुम्बीजन तो मुझे खूब भला बुग कहते थे और कई तरहसे मुझे अभिंदा करते थे। कुछ विवेकी सज्जन मुझे इस विरोधमें भी टिके रहनेके लिये प्रोत्साहित करते रहते थे।

तात्क्ये यह है कि में स्वानुभवसे इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यदि कोई क्यक्ति मरणभोज न करना चाहे तो उसे इस तरह शर्मिन्दा किया आता है कि उसका टिका रहना अशक्य सा होजाता है। इसलिये में सध्झता है कि ४० या कम बढ़ वर्षकी कोई मर्यादा न रस्तकर मरणभोज साञ्च बन्द कर दिया जाय, चाहे वह जवानका हो या बूढ़ेगा । जैनसमाजपर लदे हुये इस भयानक पापको जल्दीसे जल्दी मिटानेका प्रत्येक युवक और संस्थाओंका कार्य है।

परिषदका प्रयत्न।

हमारी तमाम जैन संस्थाओं में से भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषदने मरणभोजके विरुद्ध सबसे अधिक भान्दोलन किया है। उसके अनेक उत्सर्वोमें मरणभोज विरोधी प्रस्ताव होते रहे हैं। समानवर इस आन्दोलनका यहिंकचित् प्रभाव भी पड़ा है। किन्तु सतनाके गत १३ वें अधिवेशनमें इस अमानुषिक प्रथाके विरुद्ध जो अमली कार्य हुआ था वह समाजके शुम भविष्यका सूचक है। मैंने दूपरे दिन (ता० १२ – ४ – ३७) की बैठकमें इसप्रकार पस्ताव रखा था:-

''मरणभोजकी प्रथा जैनधर्म स्नीर जैनाचारके सर्वथा विरुद्ध तथा अनावस्यक एवं असभ्यताकी द्योतक है, इसिकये यह परिषद् पुनः प्रस्ताव करती है कि इस घातक प्रथाको शीप्र बंद कर दिया। जाय । और समाजसे अनुरोध करती है कि वह किसी भी आयुके स्त्री पुरुषका मरणभोज न करे और ऐसे घातक कार्यमें कतई भाग न ले। साथ ही मरणोरलक्षमें माजी व लान न बांटे।"

इस प्रस्तावके विवेचनमें मैंने अनेक करुणाजनक सच्ची घट-नार्थे पेश की भौर इस अत्याचारपूर्ण प्रथाके विनाशके किये जन-तासे अपील की । घटनाओंको सुनकर श्रोताओंका हृदय कांप उठा। जिसका परिणाम यह हुआ कि करीन एक हजार स्त्री पुरुषोंने उसी समय मरणभोज त्यागकी प्रतिज्ञा करली । मेरे प्रस्तावके समर्थनमें श्री० चिरंजीकालजी मुंसिफ भलवर, सेठ पदमराजजी जैन रानीवाले करुकता, पं० अर्जुनलालभी सेटी आदि अनेक विद्वान नेताओंने भाषण दिये थे।

श्री० सेठ पदमराजजी जैन रानीवालोंने कहा-यह कितने दु:खकी बात है कि भाज इस युगमें भी जैमोंमें मरण-भोजकी अमानुबी पथा प्रचिकत है। आजमे १५ वर्ष पूर्व मैंने अपने मित्र समूद सहित इसपर खूर विचार किया और कार्यवाही की थी। किन्तु अभीतक यह प्रथा बन्द नहीं हुई ! समाज सुचार क्रिपनेसे नहीं होगा। स्पष्ट कहिये कि हमारे समाज सुधारमें बाधक कीन हैं ? उत्तरमें कहना होगा कि वे पंच नामधारी पुतले ही बाधक हैं जिनके दुश्चरित्रोंका नाम तक लेते नहीं बनता। हमें उनकी परवाह न करके साहसपूर्वक आगे बढ़ना चाहिये। और इन समा-नघातनी प्रधाओं का शीघ्र ही विनाश करना चाहिये।

श्री० पं० अर्जुनलालजी सेठीने कहा:-मभी परमे-

श्रीदासने नरकोंका वर्णन (मरणभोजकी करुणापूर्ण घटनायें) सुनाया है। पंचोंने यह नरक कहानी तैयार की है। इसलिये तुम इन नार-कियोंमें शामिल मत होना और मरणभोजकी प्रथाका जल्दी ही मुंह काला करना ।

इसी प्रकार कई विद्वानोंने अपने उद्गार प्रगट किये। जिसका प्रभाव यह हुआ कि उसी समय करीब १०० अग्रगण्य स्त्री पुरु-बोंने तो स्टेजपर आकर विवेचन किया और प्रतिजायें की कि अब हम मरणभोजमें कतई भाग नहीं हैंगे। सेठ घरमदासजी और दयाचंदजी सतनाने घोषणा की कि हमारे सतना नगरमें किसी भी जैनका मरणभोज नहीं होगा । सेठ घरमदासबीने अपनी माताका मरणभोज न करनेकी प्रतिज्ञा की और १५०) परिषद्की दान दिये । अनेक नगरोंके वृद्ध तथा युवकोंने प्रतिज्ञायें की कि हमारे यहां अब मरण-भोज नहीं होगा। करीब १००० स्त्री पुरुषोंने मरणभोज विरोधी प्रतिज्ञापत्रोंपर अपने दस्तखत किये, जो इसप्रकार है:-

'' मुझे विश्वास होगया है कि मरणमोजकी प्रथा जैन धर्म भौर जैनाचारके सर्वथा विरुद्ध तथा अनावश्यक एवं असभ्यताकी चोतक है। इसलिये मैं प्रतिज्ञ। करता(ती) हूं कि अब मैं कभी किसी भी भाय वालों (स्त्री या पुरुष) के मरणभोजमें भाग नहीं छंगा (गी) और मेरा सर्वदा यह प्रयत्न रहेगा कि हमारे यहांकी पंचायतसे भी मरणभोज बन्द कर दिया जाय तथा इस घृणित प्रथाका सर्वेथा नाश होजाय।"

परिषदके बाद भी यह "प्रतिज्ञापत्र" हजारोंकी संख्याचे मरे

गये हैं। आज भी लोग उन्हें मंगाकर भरकर भेजते हैं। अभी भी जो व्यक्ति, युवकसंब या संस्थायें यह कार्य कर सकें वे '' काका तनसुखरायजी जैन मंत्री दि० जैन परिषद—देहली '' से यह फार्म मैगार्के या स्वयं अपने हार्थोसे क्रिलकर उनपर लोगोंके दस्तस्वत करावें । प्रयत्न करने पर इस डायनी प्रथाका अवस्य ही विनाश हो जायगा।

पुरुषोंकी भांति विवेकशील स्त्रियां भी इस भयंकर प्रथाका नाश चाहती हैं। सतना परिषदके समय श्रीमती लेखवतीजी जैनकी अध्यक्षतामें 'महिला सम्मेलन' भी हुआ था। उसमें करीइ १००० बहिनें उपस्थित थीं। उसमें भी मैंने करीब १५ मिनिट मरणभोज विरोधी भाषण दिया था । जिसके फलस्वरूप सभी बहि-नोंने मरणभोजमें सम्मिकित न होनेकी प्रतिज्ञा की थी। उस समय अभिन्ती लेखवतीजीने बहे ही मार्मिक शब्दोंमें कहा:-

''पण्डितजी तो आपसे मरणभोजमें भाग न लेनेकी बात कहते हैं, किन्तु मैंतो कहती हूं कि जहां मरणभोज होता हो वहां आप सत्याग्रह करें, दर्वाजे पर लेट जावें और किसीको भी भीतर न जाने दें। फिर भी जिन निष्ठुर पुरुषोंको मरणभोजमें जाना होगा वे भले ही तुम्हारी छाती पर कात रखकर चले जावें । हमें इस निर्देयतापूर्ण प्रथाका शीघ्र ही विनाश कर देना चाहिये।"

इस भाषणका स्त्री पुरुषों पर काफी प्रभाव पड़ा। यदि इसी प्रकार मरणमोज विरोधी भान्दोळन चाळू रहे तो एक वर्षमें ही समस्त जैन समाजसे इस प्रथाका नाम निशान मिट जाय । कई युक्कसंघों, समाओं भीर पंचायतों द्वारा इसके लिये प्रयत हुये हैं। भभी भी प्रवलताके साथ इसके विनाशका प्रयत्न होनेकी भावश्यक्ता है। जिस दिन जैन समाजसे मरणमोजकी प्रथा मिट जायगी उस दिन हमारी सभ्य समाजके सिरसे एक बड़े भारी कल्कका टीका मिट जायगा। मैं वह शुभ दिन बहुत जल्दी ही देखना चाहता है।

मरणभोजके प्रान्तीय रिवाज ।

यह तो मैं पहले ही लिख चुका हूं कि मरणभोजकी प्रथा धार्मिक नहीं है। यदि यह धार्मिक होती तो उसमें इतना अधिक प्रांतीय रिवाज़-मेद नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मरणभोजके सारे कियाकाण्ड पर ब्राह्मण संस्कृतिकी खासी छाप है। इससे सिद्ध है कि मरणभोज जैन शास्त्रानुमोदित नहीं किंतु पड़ोसियोंकी देखादेखी अपनेमें शामिल दर लिया गया एक पाप है। इसके विविध प्रान्तीय रिवाजोंको देखकर किसे आश्चर्य न होगा कि जैनोंमें मरणभोज कसे आया ?

श्रद्धेय पं० नाथुरामजी प्रेमीने बुन्देलखण्ड और मध्यप्रांतके मरणोत्तर कियाकाण्डके सम्बन्धमें इस प्रकार अपने अनुभव पगट किये हैं—

"इस तरफ खास तौरसे देहातके जैनोंमें, मरणके उपरांत जो कियाकर्म किये जाते हैं वे लगभग वैदिक रिवाजोंके अनुसार ही होते हैं। मरनेवाला जितना ही धनी मानी होता है, उसके उपलक्ष्यमें वे कियायें उतने ही ठाठसे की जाती हैं। प्रायः तीसरे दिन

मस्थिशेष, जिसे कि यहां 'खारी' कहते हैं, उठानेके लिए कुछ लोग चितापर जाते हैं भौर उसे बटोरकर भामतौरसे किसी पासके जलाशयमें छोड़ भाते हैं; परन्तु जो लोग समर्थ होते हैं वे पवित्र गंगाजलमें छोड़नेके लिए ले जाते हैं, और प्रयाग पहुंचकर पंडोंको ्दान-दक्षिण। भी यथाशक्ति देते हैं । शामको घीका दीपक लेजाकर चिताभूमियर जला भाते हैं। यह प्रतिदिन तबतक जलाया जाता है, जब तक कि दिन तेरहीं नहीं होजाती है। स्मशान-भूमिके निजन भन्वकारमें मृतव्यक्तिके लिए प्रकाशकी व्यवस्था कर देना ही शायद इसका उद्देश्य है। 'खारी' उठ चुकनेपर जितने कुटुम्ब-परिवारके कोग होते हैं उन्हें भोजन कराया जाता है। इसके बाद तेरहवें दिन मृत श्राद्ध किया जाता है, जो सर्वपरिचित है और जिसमें जातिके पंचोंके सिवाय दूसरी जातिके उन व्यक्तियोंको भी खूब खर्चीका भोज दिया जाता है, जो दाइ-क्रियामें 'लक्क्डी' देने जाते हैं।

यह तो इतना आवस्यक है कि गरीबसे गरीब अनाथ विधवायें भी इस खर्चेसे छुटकारा नहीं पा सकर्ती-कर्ज काढ़कर भी उन्हें यह करना पड़ता है। इसके बाद छ:मासी (षाण्मासिक श्राद्ध) और बरसी (वार्षिक श्राद्ध) भी की जाती है; परन्तु ये सर्वसाघारणके छिए आवश्यक नहीं हैं, घनी मानी ही इन्हें करते हैं। फिर भी नामवरीके लोभमें दूसरोंके द्वारा पानी चढ़ाये जानेपर असमर्थ भी बहुघा कर डाळा करते हैं । स्वयं मेरे सालेकी मृत्यु पर, जो बहुतही गरीब थे, उनकी पत्नीने तीनों आद्ध करके अपना जन्म सार्थक किया 🖁 । इन तीनों श्राद्धोंसे तो मैं परिचित था; परन्तु अवकी बार यह

भी पता कगा कि बहुतसे घनी तीन वर्षके बाद पितरों में भी मिलाये जाते हैं: । अर्थात् तीसरी मृत्यु-तिथिको मोज होजानेके बाद वे पितजनोंकी पंक्तिमें शामिक कर किये जाते हैं-वहां परलोकमें ैं 'अपांक्तेय' नहीं रहते हैं। माखूम नहीं 'पितरोंमें मिलाने 'का उक्ता वास्तविक अर्थ हमारे जैनी भाई समझते हैं या नहीं; परन्तु वे अपने पुरस्वोंको इस अधिकारपर आरुद जरूर किया करते हैं. यद्य पि विंड-दान नहीं करते।

इस तरफके जैनोंमें 'पितृ पक्ष' भी पाका जाता है। कुँवार वदीके १५ दिनोंमें औरोंके समान ये भी अपने पुरस्तोंके नामपर पकाल सेवन करनेसे नहीं चूकते । माता, पिता, पितामह, मातामह भादिकी मृत्यु-तिथियोंके दिन जिन्हें 'तिथि' ही कहते हैं, स्त्रियां पहले उनके नामपर कुछ पकाल कढ़ाई में से निकाल कर अलग रखा देती हैं, जिसे 'मछूता' कहते हैं और तन दूनरोंको देती हैं। यहः 'अल्लूता' पितृपिंडका ही पर्यायवाची जान पड़ता है।

इस तरह यह जैननामधारी समाज इस विषयमें वेदानुयायी ही है; फर्क केवल इतना ही है कि इसने पुरखों और अपने बीचके दलालों या भाइतियोंको धता बता दिया है, और अपनी विणक बुद्धिसे पुरस्तोंके साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ लिया है। माछ्म नहीं, इस ब्राह्मणविरहित श्राद्धसे उन्हें तृप्ति होती है या नहीं !

हमारा यह सब आचार इस बातका प्रमाण है कि कोई भी समाज हो, वह अपने पढ़ौसियोंके आचार-विचारोंसे प्रभावित हुए विना नहीं रहता, और साधारण जनता तत्त्र और सिद्धान्तोंकी

बारीकियोंको उतना नहीं समझती जितना बाहरी आचार-विचा-्रोंको । इसीलिए कहा गया है कि "गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः।"

इस विषयमें एक बात और लिखनेसे रह गई। मैं एक देहातमें था। वहां तड्बन्दी थी। कूटनीतिज्ञ मुखियोंकी कृपासे वहांके एक ही कुटुम्बके दो घर दो तहों में विभक्त हो रहे थे। दैव-योगसे एक घरमें एक व्यक्तिकी मृत्यु होगई और नियमानुसार उसे तेरहीं करनी पड़ी; परन्तु चूंकि दूसरी तड़वाला घर उस मृत्यु-भोजमें शामिल न होसका, अतएव वह शुद्ध न होसका-उसका स्तुतक (पातक ?) न डतरा भौर तब उसे लाचार होकर जुदा मृत ६-भोज देना १ड़ा। बहुत समझानेपर भी पंच-सरदार न माने। यह बात उनकी समझमें ही न आई कि एक कुल-गोत्रवाला वह द्रमराघर विनाश्राद्ध किये कैसे शुद्ध हो सकता! सो कहीं कहीं एकके मरनेपर दो दो तीन तीन तक श्राद्ध करने पड़ते हैं । बहुतसे गांवोंमें यह हाल है कि यदि कोई मृतश्राद्ध न करे, विशवरीवालों, 'लक्डी 'देनेबार्को भौर कमीनोंको भोजन न दे, तो उसे सार्व-जनिक कुर्ओपर पानी नहीं भरने देते हैं, वह एक तरहसे अस्प्रस्य होजाता है।

ं भामतौरसे यह भी रिवाज़ है कि जिसके यहां मृखु होजाती है, उस घरके छोग तेरहीं होजाने तक मंदिर नहीं जाते हैं। सूत्यु-भोजके दिन भोननीपरांत घरके मुखियाको पंचजन पगद्दी बांधकर जिनदर्शनको लिवा जाते हैं, और इसके बाद उसे मंदिर जानेकी छुट्टी होजाती है। बहां सक में जानता हूं, अन्यत्रके जैनोंमें यह रिवाज नहीं है।"

यद्यपि बुन्देलण्डके शहरोंने भव इतना कियाकाण्ड नहीं रहा है, फिर भी देहातोंमें तो वह सब क्का किया जाता है।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रांतोंमें भी जो रिवाज प्रचलिन हैं उनमें से जितने पांतोंके मुझे पास होसके हैं वह नीचे दिये जाते हैं:-

्यू० पी० में-मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर सुरादाबाद तथा दिली आदिमें अब मरणमौत्रकी प्रथा स्माभग बिलकुल बन्द होगई है। कहीं २ किसी वृद्ध पुरुषकी मृत्यु होनेपर कोई२ खांडकी टिकड़ी बांट देता है। मगर यह भी बहुत कम। पहले इन नगरों में वृद्ध पुरुषका माणियोज होता थी, वह भी अब बन्द होगया है। अलीगढ तथा हाथरस आदिमें अभी भी मरणभोज होता है, कारण कि वहां स्थितिपालकोंका अड़ा है।

सी० पी० में-कटनी, जबकपुर, सिवनी, नागपुर, अमरा-वती आदिमें पहले तो मरणभोजका स्वासा दौर दौरा था, और बुंदेळखण्ड शांतकी मांति ही तमाम रीतिरिवाज एवं मूढ़ता प्रवैलित थी, किन्तुं अब यह रिवाज कम हो हा है और कई जगह ३७-३५-४० वर्षसे नीचेका मरणभोज नहीं होता । किन्तु जनती मरणभोत्रका नामनिशान न मिट्र जाय तबतक संबर सुधार नहीं कहा जासकता।

मारवाड प्रान्तमें-मरणभोजकी प्रथा सबसे अधिक भयं-कर है। किसी पुरुषके मरनेपा उसारी विषयाको कई सिपैंकि बीयमें

खड़ी होकर छ।ती कूटना पड़ती है। फिर उसके सौभाग्यचिद्व भलग किये जाते हैं। फिर विषवाको १४ माहतक घरसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता । शौचादि मकानमें ही करना पहता है। कुटुंबी तथा सम्बंधीजन १२ दिन तफ उसीके घरपर भोजन करते हैं, फिर तेरहवें दिन खांदिया करते हैं, उसमें सैकड़ों बादमी जीम-नेके लिये आते हैं। इसके बाद तेरई तो अलग करना ही पहती है। जो तेरहवें दिन मरणभोज नहीं देपाता वह कोगोंकी निगाहोंमें गिर जाता है, फिर भी उसे महीनों या वर्षों के बाद ही सही मरण-भोज तो देना ही पहता है। साथ ही 'कान' वर्तनादि बांटनेका भी रिवाज है। तारार्य यह है कि मरणभोज और उसकी किया-स्रोंके पीछे अच्छेर घर भी बर्गाद हो जाते हैं, तब गरीज घरोंकी तो पूछना ही क्या है ?

मालवा प्रान्तमें भी इन्हींसे मिलते जुलते रिवान हैं। यहां वर्षी बाद भी मःणभोज लिये जाते हैं और हजारों रुपयोंकी 'कान' बांटी जाती है। मिध्यात्वका रिवाज भी खुब है। मालवा और मारवाड़ पांतमें कहीं र बाह्मणोंको जिमानेका भी रिवाज है। इसके विना शुद्धि ही नहीं मानी जाती।

गुजरात प्रान्तमें-मरणोत्तर रिवाज कुछ और ही प्रकारके हैं। यहांपर जब किसीकी मृत्यु होती है तब घर कुटुम्ब और मुहल्लाकी तथा तमाम व्यवहारी स्त्रियां आकर इकट्टी होती हैं और मकानके बाहर सङ्कपर सब एक गोरू घेरेमें खड़ी होजाती हैं तथा बीचमें विषवा स्त्री खड़ी रहती है। फिर एक गानचतुर स्त्री 'रानिया' गाती है जिसे सब स्त्रियां मिलकर तालबद्ध '' राजिया '' गाती हैं और चक (लगाती रहती हैं। गानेके साथ ही साथ वे सब स्त्रियां अपने दोनों हाथोंसे छ।ती ठोकती (छ।जिया लेती) जाती हैं। डनमें जो मृतव्यक्तिकी विधवा या निइट संबंधिनी स्त्रियां होती हैं वे तो इतने जोरसे छाती ठोकती हैं कि उनकी छ ती सूझ जाती है। किसंकि तो खून भी निकलने लगता है। कुछ दिन हुये इसी प्रकार छाती। कूटते कूटते शिकारपुरमें एक वकील पत्नीका मरण होगया था।

यह छातीका कूटना और 'राजिया' गाना मात्र घरके दर्वाजे पर ही नहीं होता, किन्तु चौराहे पर और बीच मार्गमें जाकर भी इसी प्रकार निर्देयत। पूर्वक छाती कूटी जाती है ! जो जितने जोरसे छ!ती कूटती है वह उतनी ही अधि ह दर्दमन्द्र मानी जाती है! यदि सच पूछा जाय तो गुजरातको कर्लकित करनेवारी यह सबसे भर्य-कर एवं दयाजनक प्रथा है। यह शीघ्र ही बन्द होनेकी आवश्यक्ता है। इस सुधरे हुये प्रान्तमें इस मूर्ल अपूर्ण प्रथाको देल कर मेरे आश्चर्य और दुः सका ठिकाना नहीं है। इस प्रकार रोते, छाती कूटने और राजिया गानेका कप बहुत दिनों तक जारी रहता है। जब जब बाहरसे स्त्रियां मिलने या बैठने अथवा फेरेके लिये अर्ताः हैं तब तब यही विधि करना ५६ती है। न जाने गुजरातकी यहः कलंकमय प्रथा कब मिटेगी?

सूरतमें मृतव्यक्तिको स्पश्चान ले जाते समय एक और भी भयंकर प्रथा है, जिसे सुनकर पाटकोंका दिल दुखी हुये विना नहीं रहेगा। शनको स्पशानमें ले जाने गले सभी कोग आधी दूर

पहुंचने पर विश्रानित स्थान (जो खास इसीलिये बनाया गया है) में ठहरते हैं। वहां पर मृतव्यक्तिके घरके लोग बिही पान सुपारीका प्रबंध करते हैं और अधिकांश लोग खाते हैं। फिर स्मशानमें जाकर मुर्दा जलाया जाता है। उधर मुर्दा जलता है और इधर हमशानमें जानेवाले लोग मृतव्यक्तिकी ओरसे चाम बिड़ी पीते हैं और ताश आदि खेलते हैं। और इभीर तो नहानेके पूर्व मीठाई तक उड़ाई जाती है।

मरणभोजसे भी भयंकर इस प्रथाको देखकर किसे अध्यर्थ न होगा ? विचारे मरनेवालेके घरवालोंको मुर्देके साथ ही साथ मिठाई सादिका भी प्रबंध करना पड़ता है जो स्मशानमें लेजाई जाती है और मानों मुदेंकी छ।तीपर बैठकर ख'ई जाती है। यह भी मरण-भोजका एक भयंकर प्रकार है। अब तो कई जैनोंमें मिठई खानेकी प्रथा बन्द होरही है. फिर भी कुछ जैनोंमें यह प्रथा चालू है। मुझे स्वयं ३-४ वार स्मशान जाना पड़ा और मैंने जब यहांके लोगोंकी इस अमानुबी प्रथाको देखा तब मेग हृदय घृणासे भर माया । कुछ छोगोंसे इसके विरोधमें कहा भी किन्तु जिस प्रकार माणभोजिया लोग अपना हठ नहीं छोड़ सकते वैसे यह लोग भी वयों छोड़ने लगे ? हाँ, यदि किसीकी समझमें आगया तो मिठाई न स्वाकर मात्र चाय पीकर ही संतोष करते हैं। यह है मरणभो नका दुसग भयंकर चित्र।

स्मशानके बाद गुनरातके जैनोंमें एक ही मरणभोज नहीं होता, किन्तु ग्यारवाँ, (११वें दिन) बारवाँ (१२वें दिन) और तेरवाँ (१३ वें दिन) भी होता है। इतना ही नहीं किन्तु कहीं कहीं तो ४-५ दिन तक मरणमोज दिया जाता था। इस प्रकार मृत व्यक्तिके घरकी बरबादी कर दी जाती है। स्रतमें भी ३-४ दिन तक जीमनेका रिवाज़ था, मगर अब धीरे धीरे वह बन्द हो गया है। और अब तो मात्र एक ही दिन मरणभोज देनेकी पथा रही है। वह भी अब कगमग मिट गई है। अब यहांके कोग बारहवां तेरहवां आदि कुछ नहीं करते। किन्तु कोई कोई पूजा पाठ कराके उसके बहानेसे धर्मभोज देते हैं, जो लगभग मरणभोजका ही रूपान्तर है। किन्तु गुनरातके प्रामोंमें तो अभी भी मरणभोजकी प्रथा ज्योंकी त्यों चालू है।

काठियाचाड़ प्रांतमें—भी गुजरातकी मांति ही छाती कूटने, राजिया गाने, और बारहवां तथा तेरहवां करनेका रिवाज है। वहां भी जैनाचारहीन कियाकाण्ड किये जाते हैं भीर निःसंकोच मरणमोज किया जाता है।

इस तरह मरणभोजके प्रान्तीय और जातीय रिवाज़ विविध प्रकारके पाये जाते हैं। किसीमें मिथ्यात्वका भसर है तो कोई महामिथ्यात्वरूप है और कोई भत्याचार, दवाव, रुज्जा, या जाति-भयके कारण किया जाता है तथा किसीमें मात्र गतानुगतिकता या वाहवाही ही कारण होती है। पूर्व लिखित प्रकरणोंसे पाठक मली मांति समझ गये होंगे कि जैन समाजमें मरणभोजकी राक्षसी प्रथाने घर करके उसे कितना बर्बाद कर दिया है। फिर भी हमारी जातीय पंचायतें उसे भभी भी जहमूकसे नाश करनेका साहस नहीं करतीं।

बह मथा किसी न किसी रूपमें अनेक प्रांत और वहांकी जातियोंने पाईँ जाती है।

नागपुरके एक सज्जनने लिखा है कि इस प्रान्तमें १-बघेरवाळ जातिमें मरणभोज करना अःयावश्यक न होनेपर भी कई लोग गृह्युद्धिके लिये करते हैं। २-खण्डेलवाल जातिमें तो मरण-भोजकी पथा खूब जोरोंसे प्रचलित है। ३- परवार जातिमें भी इस प्रधाका अर्धरूप पाया जाता है। ४-पद्मावती पुरवाल जातिमें यह प्रथा अभीतक चाल है। प्रायः वे लोग १३ वें दिन भोजन कराके तेरहवीं करते हैं। ५-सैतवाक जातिमें यह प्रथा पद्मावती पोरवार्लोकी भांति ही प्रचलित है। खंडेलबालोंमें ला॰ रतनकाकजी बाकलीवालने भपनी माताका मरणभोज न करके १२५) दान किये। यह उनका सर्व प्रथम साहस है।

एक न्यायतीर्थजीने प्रामानुसार अपना अनुभव किखकर भेजः है कि १-विल्रसी (बदायूँ) में समझाने बुझानेपर मरणभोन बंदीका प्रस्ताव तो कराया गया, फिर भी वहांके कई जैन तेरहवें दिन कमसेकम १३ ब्राह्मणोंको भोजन करा देना अभी भी आव-इयक समझते हैं । २-रचुरई-(सागर) में न्यायाचार्य पं० गणेश-प्रसादजी वर्णीके प्रयत्नसे बालक भौर युवकोंका मरणभोजसे बंद होगया है। इसका अर्थ यह है कि जैनसमाजके सर्वमान्य पूज्य बिद्धान न्यायाचार्यजी भी मरणभोनको धर्मसंगत, आवश्यक, शुद्धिकः जादू या श्रावककी किया नहीं मानते । अन्यथा वे अमुक आयुके स्त्री-पुरुषोंका मरणमोज कैसे बंद कराते ? इस लिये जब युवकोंके मरणकी अञ्चिद्ध योंही दूर होजाती है तब सभी आयुके मरणकी भशुद्धि भी स्वयमेव दूर हो ही जायगी। भतः मरणभोज सर्वेशा बंद कर देना चाहिये।

३-भोपालमें भा० दि० जैन परिषदके प्रयत्नसे अब मरणभोज बन्द होगया है। सेठ गोकुळचन्दजी परवारने अपनी पत्नीका मरणभोज न करके ७०००) दान देकर जैन कन्या पाठ-शाला स्थापित की है। इसी प्रकार सेठ सुन्दरलालजीने अपनी माताजीका मरणभोज न करके विमानोत्सव किया और विद्वानोंको एकत्रित करके भाषण कराये थे। यह है आदर्श कार्य।

एक सज्जन लिखते हैं कि तलवाड़ा (ड्रंगरपुर) में तथा सारे वागड प्रांतमें मरणभोजकी भयंकर प्रथा चालू है। पत्येक परि-णीत व्यक्तिका (चाहे वह १५-२० वर्षका भी हो) मरणभोज किया जाता है। पंचींका यह कानून भटल है। यदि शक्ति या स्विधा न हो तो माह, दो माह, वर्ष दो वर्ष या कई वर्ष बाद भी पंच लोग मरणभोज लेकर ही छोडते हैं।

शोपुरकलांके एक सज्जन लिखते हैं कि यहांपर मरणके तीतरे ही दिन कुटुम्बियोंको हल्लवा, पूरी और चने खिलाये जाते हैं। पन्द्रह वर्षसे ऊपरके सभी स्त्री पुरुषोंका मरणभोज किया जाता है। यहां यह आवश्यक कार्य समझा जाता है। यदि कोई न कर सके तो लोग उसे बुरी नज़रसे देखते हैं और ताना देते हैं। बारह दिनके बाद मरणभोज करना पड़ता है। स्त्रीके मरनेपर भगुवा कपड़े बांटे जाते हैं स्रोर समधी ब्याहीको वस्त्रोंकी पहरामनी दी जाती है।

मरणभोजके समर्थकोंको विचारना चाहिये कि १५ वर्षके लड़का लड़ कियोंका भी मरणभोज खानेवाले कितने निष्ठुर हृदय होंगे। जहां मरणोपलक्षमें पहरावनी बांटी जाती है वहां मानवताका कितना अधः पतन होचुका है। मारवाड़ प्रान्तके एक न्यायतीर्थ विद्वान लिखते हैं कि हमारे नगरमें तो ९ वें या १३ वें दिन मरणभोज होता है और प्रत्येक जातीय घरमें एक एक रुपया तथा मिठाई भेजना पड़ती है। यदि कोई ८ वें या १३ वें दिन मरणभोज न कर सका हो तो विवाहके समय पितरोंके उपलक्षमें मरणभोज करना ही पड़ता है। पाठक देखेंगे कि मरणभोजके नामपर रुपया और मिठाई आदि बांटकर अत्याचारको और भी कितना अधिक बढ़ाया जाता है।

एक सुप्रसिद्ध वैद्यराजजीने अपने अनुपव लिखे हैं कि मैंने पंजाब, राजपूताना, माळवा, मेवाइ, यू० पी० और सी० पी० आदिमें रहकर देखा है कि वहां किसी न किसी रूपमें मरणभोजकी प्रश्रा प्रचलित है। अजमेर, उदयपुर, सुजानगढ़, इन्दौर और पछार आदिमें तो कान (वर्तन) भी बांटी जाती है। सुजानगढ़में जैनोंके अतिरिक्त बाह्मणोंको अकग भोज कराया जाता है। इसके अलावा तिमासी, छहमासी और वर्षी भी की जाती है।

मुद्दी पर मिठाइयाँ खाना—रावक विण्डी शहरमें करीन २५० घर द्वेताम्बर जैनोंके हैं। वहां पर पहले इतनी भयंकर प्रथा भी कि किसीके घरमें मृत्यु होगई हो तो उसके घरपर पंचलोग इकड़े होकर पहिले मिठाइयां उड़ाते थे और मुद्दी वहीं रक्खा रहता था। मिठाई खानेके बाद वह मुद्दी स्मशान लेजाया जाता था। देखिये, है न यह मानवताका लीकाम ? दैवयोगसे वहां एक जैन साधुका चातुर्मास हुआ। और उनने उपदेश देकर इस घृणित प्रथाको बंद कराया। इसे वंद हुये करीब १० वर्ष हुये हैं। किन्तु उससे पहले तो वहां के जैन कोग उसे भी अत्यन्त आवश्यक किया मानते थे और उसे छोड़नेमें धर्म कर्मका नाश हुआ मानते थे। यही दशा मरणमोजके सम्बंधमें है। अब वहां तो मरणमोज (तेरई) भी कतई बंद है। हां, रावलपिंडी छावनीमें अभी भी मरणभोज प्रचलित है।

द्मोह-मभी भी कई रू दिचुस्त लोग मरणभोज नहीं छोड़ना चाहते। हां, कुछ सुधार प्रेमियोंने इस प्रथाको हलका कर दिया है। हटारसी-में ४० वर्षसे कम आयुक्ते मृत व्यक्तिकी तेरई नहीं होती है। शेषकी की जाती है।

इसी प्रकार दूसरे प्रांतोंमें भी अनेक प्रकारके रिवाज हैं। किसी भी प्रांतके जैनी इस वलंक प्रथासे नहीं बचे। फिर भी अब कई बड़े नगरोंमें और अग्रवाल जैन आदि कुछ जातियोंमें मरणमोजकी प्रथा कर्तई बन्द होगई है। कई जगह ३०-३५-४० ४० वर्षकी अवधि रखी गई है। वह भी आन्दोलन चालू रहनेपर बिलकुल मिट जायगी। मरणभोजके नामपर धर्मकी दुहाई देनेबालोंसे में पूछता हूं कि क्या इन लोगोंको वे धर्मकियाहीन मानते हैं! सचा सम्यक्ती और सचा जैन तो वह है जो स्वयं मरणभोज नहीं करता और दूसरोंको इस पाप कर्मसे रोकता है।

करुणाजनक सची घटनायें।

मरणभोजकी प्रथा कितनी भयंकर है, कितनी पैशाचिक है खोर कितनी समाजवातिनी है यह बात आगे दी जानेवाळी सच्ची घटनाओंसे स्वयं ज्ञात होजायगी। यहां जो घटनायें लिखी जारही हैं उनमें एक भी कलिश्त या अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, फिर भी उनमें किसीका नाम आदि न देनेका कारण इतना ही है कि इन घटनाओंसे संबंधित व्यक्ति ऐसे पापकृत्य करके भी अपनेको अप-मानित हुआ। नहीं देखना चाहते।

में समझता हूँ कि किसीका नाम आदि न देनेसे घटनाओंकी वास्तविकता नष्ट नहीं हो सकती, और जिन्हें विश्वास न हो उन्हें कमसे कम इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि मरणभोजके परिणाम स्वस्तप ऐसी घटनायें होना असंमव नहीं हैं। इन घटनाओंके प्रेवक जैन तमाजके सुपसिद्ध विद्वान और श्रीमान हैं। मैं उन सबका आभारी हूँ। अब तनिक उन 'कहणाजनक सच्ची घटनाओं' को हृदय थाम कर पढ़िये।

१-अफीम खाकर मर जाना पड़ा-पन्ना स्टेटके एक
ग्राममें एक परवार जैन सिंधई थे। उनकी समाजमें भच्छी प्रतिष्ठा
थी। उनने वई बढ़ेर कार्य किये थे। किन्तु दैवयोगसे गरीबी
आगई। उधर उनकी पत्नी मर गई। मरणभोज करनेकी सिंधईजीके
पास सुविधा नहीं थी। इसिलिये इज्जत बचानेके लिये उनने अफीम
खाली और उन्हें मृत्युमोजकी वेदीपर स्वयं मृत्युका मोज बनना पड़ा।
२-पीस कूटकर गुजर करती हैं-उज्जैनके पास एक

नगरमें जैन युवक २५) की नौकरी करता था। उसके घरमें माता, पत्नी, पुत्र और स्वयं, इस प्रकार चार व्यक्ति थे। वह जैसे तैसे **भ**पनी गुजर चलाता था। दैवयोगसे उसकी नौकरी छूट गईँ। उसे चिन्ताने आघेरा, किसीने कोई सहायता न की। आखिर वह चिन्तःकी चिन्तामें जल प्रशा पंचीने उसकी पत्नी और मातासे मरणभोज करनेके लिये आग्रह किया। उनने अपनी अशक्ति बताई। तब लोगोंने उन्हें विरादरीसे अलग कर देनेकी घमकी दी। इस भयंकर शस्त्रसे डाकर उनने अपने हाथ पैरके जेवर वेचकर पंचोंको लड्डू खिला दिये। और अब वे दूसरोंकी रोटी करके तथा पीस कूटकर अपनी गुजर चळाती हैं।

३-कन्याको वेचकर मरणभोज किया-मुंगावलीसे १० मीलकी दूरीपर एक प्राम है। वहांकी यह सन् १९३३ की रोमांचकारी घटना है। वहां एक जैन हलवाईकी मृत्यु हुई। पंचीने उसकी स्त्री सीर लड़केसे तेरई करनेके लिये आग्रह किया। किंतु उनने अपनी साफ अशक्ति प्रगट की । और कहा कि हमारे पास कलके खानेको भी नहीं है। पंचींने अपनी बहिष्कारकी तोप उठाई और इकवाई जीके लड़केको पंचायतमें बुलाकर उसके सामने रखकर कहा कि या तो अपने बापकी तेरई करो या फिर कलसे तुम लोगोंका मंदिर बन्द है ! इस अत्याचारको देखकर वहांकी पाठशाकाके पण्डितजीने विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें नौकरीसे हाथ घोना पहे । उधर पंचोंमेंसे एक सज्जन (१) ने लड्केको एकांतमें बुलाकर कहा कि तुम्हारी बहिन विवाहयोग्य है, उसकी सगाई कुछ ले देकर करको उसमें जो रूपया आवे उससे तेरई और विवाह दोनों होजावेंगे।

जाति बहिष्कारके भयसे लड्का और उसकी मांने यह स्वीकार कर छिया। दलार्लोने प्रयत्न करके दमोहके पास एक माममें एक ४५ वर्षके जैनके साथ लड़कीकी सगाई करा दी। १२००) तय हुवे । ५००) पेशगी छिये । उनसे खूब डटकर तेरई की गई। १५-२० गांवसे आसपासके व्यवहारी जन भी भाये और खूब चकाचक उड़ी। चैत्र सुदी ३को उस बड़कीका विवाह होगया । वर महाशयका यह तीसरा विवाह था। वे एक वर्ष बाद ही स्वर्ग सिधार गये । स्नीर उस १६ वर्षीया लड्कीको विधवा बना गये। आज वह मः णभोजिया पंचोंके नाम पर ऑसू वहः रही है।

१-कुल्हाड़ीसे मारडाले गयेका भी मरणभोज-कलितपुरके पास एक प्राममें किसी विद्वेषीने एक जैनको कुल्हाड़ी मारी, जिससे वह मर गया और मारनेवालेको फांसी हुई। फिर भी कुल्हाड़ीसे मरे हुये व्यक्तिके घरवाळोंको मरणभोज करना पड़ा और उसमें गांवके तथा आसपासके ग्रामोंके जैनी भी शामिक हुये थे।

५-गहने बेचकर मरणभोज किया-जबपुर स्टेटके एक प्राममें ३० वर्षीय युवक बीमार हुआ । घरमें पत्नी स्नीर एक छोटा कड्का था। दरिद्रताके कारण इलाज कराना भशक्य होगया। वैद्यने मुफ्तमें इलाज करनेसे साफ इंकार कर दिया । तब उसकी यत्नीने अपने हाथका गहना गिरवी रखकर वैद्यको ४०) दिये। इकाज होनेपर भी युवककी मृत्यु होगई । तब उस दयाछ वैद्यने वे ee Sudharmaswami Gyanbhandar Umara, Surat www.umaragyanbhandar.com

४०) बापिस दे दिये। तीसरे दिन पंच लोग उस मृतकके घर एकत्रित हुये भीर विधवासे मरणभोजके लिये भाग्रह किया। उसके हजार इंकार करनेपर भी बहादुर पंचींने उस गरीब विधवासे नुक्ता करवा ही डाला। इस नुक्तेने उस विधवा भीर उसके बचेपर जो विपत्ति ला पटकी उसकी कहानी भत्यन्त मर्मान्तिक वेदना उत्पन्न करनेवाली है।

६-बारह वर्ष बाद भी नुक्ता करना पड़ा-जयपु-रक पास एक प्राममें एक कुटुम्बहीन व्यक्ति था। उसके मांवापको मरे करीब १५ वर्ष होचुके थे। फिर भी पंचोंने उसका पीछा न छोड़ा। वह बिचारा गरीब नौकर था। १६—२० वर्षमें वह २००) एकत्रित कर सक्ता था। छोगोंके आग्रहसे उसने एक रुपयाके व्याज पर २००) छिये और २००) अपनी २० वर्षकी कमाईके मिला-कर मां-वापका पुराना उधार मरणभोन कर डाला। पंच लोग लड्डू उड़ाकर चले गये। आज वह युवक कर्ज़में फंसा है और भरपेट भोजन तक नहीं पाता। ऐसी स्थितिमें लड्डू खानेवाले पंचोंमेंसे अब कोई उसकी खबर नहीं लेता।

७-अठारह वर्षका भी मरणभोज—राजपूताने के एक प्राममें एक अठारह वर्षके युवककी मृत्यु हुई। फिर भी पंचोंने उसका मरणभोज कराया। उसकी १५ वर्षीया विषवा हृदय—विदा-रक रुदन कर रही थी और निर्दयी पंच लड्डू गटक रहे थे। यह है हमारी अहिंसाका एक नमृना!

८-सुर्देकी छातीपर मरणभोज-राजपूतानेके एक

अ।ममें एक मरणभोज होरहा था. सब जैन लोग जीमने बैठे थे, इतनेमें दैवयोगसे मृतव्यक्तिके दूबरे भाईकी भी आघात पहुंचनेसे मृत्यु होगई, मगर मरणभोजिया पंच लोग निश्चक होकर पत्तलोंपर डटे रहे और लड्डू उड़ाते रहे । यह है मानवताका लीलाम !

९- मृत बालककी लादा पर मरणभोज—मारवाड़ पान्तके एक प्राममें एक ३५ वर्षीय युवककी मृत्यु होगई। उसकी विधवाने मरणभोज करनेकी अशक्ति प्रगट की, मगर पंचलोग कव छोड़नेवाले थे। दो वर्ष बाद भी उस विधवासे मरणभोज कराया गया। इसी बीचमें मरणभोजके दिन हृदयको चीर देनेवाली एक दु:खद घटना घट गई। और वह यह थी कि उक्त विधवाका १२ वर्षका लड़का एकाएक बेहोश होकर जमीनपर गिर पड़ा और देखते ही देखते अनाथिनी माताको अथाई शोकसागरमें डाल अनंत निन्द्रामें मम होगया। उस समय उसकी विधवा माताकी क्या दशा हुई होगी सो उसे तो सहद्यी ही समझ सकते हैं। वह बिचारी उस असह वेदनाको दवाये माथा कूट रही थी, किन्तु उधर निर्दयता और निर्ल-ज्ञताक अवतार मरणभोजिया लोग लड्डू गटक रहे थे। उस समय न शुद्धिका विचार था और न दयाका।

१०- एक भाईके मरणभोजमें दूसरेका मरणलितपुरसे कुछ मील दूर जहां गजरथ चल चुके हैं एक ग्राममें एक
युवक भाईकी मृत्यु होगई। तेरहवें दिन मरणभोजकी तैयारियां होरही
थीं, पूरियां बन चुकी थीं। दूसरी सामग्रीकी तैयारी होरही थी कि
अपने युवक भाईकी मृत्युके आघातसे दूसरे युवक माईकी भी मृत्यु

होगई। सारे घरमें हाहाकार मच गया। शत्रुओंकी आंखोंने मी भांसू भागये। मगर मरणभोजिया छोगोंको तैयार भोजनकी फिकर थी। उनने बने हुये भोजनको ढांक मूंदकर रख दिया। ं और उस मुदेंको जलाकर दूसरे दिन ही सब छोग लड्डू पूड़ी उड़ाने बैठ गये। घमें दो युवती विधवार्ये हाहाकार मचा रही थीं, सर्वत्र महाशोक व्यास था, मगर भोजनभट्ट कोर्गोको इसकी चिन्ता नहीं थी । मैं पूंछता हूं कि जिस घरमें कल ही मृत्यु हुई है वह घर भाज पंचोंके भोजनके योग्य होजाता है ? और जो पण्डित कोग यह कहते हैं कि तेरहवें दिन भोजन कराने पर शुद्धि होती है उनका ज्ञान विज्ञान ऐसे मौके पर कहां चळा जाता है?

११-पण्डितजीका मरणभोज-सागरके एक उदासीन पण्डितजीकी मृत्युके रूड्डू भी वहांके जैनोंने नहीं छोड़े और वह भी ऐसी स्थितिमें जबिक उनके घरमें एक दिन पूर्व ही एक स्त्रीकी मृत्यु होगई थी । पण्डितजीका मरणभोज सोमवारको था. किन्तु उसी दिन उनके घरमें दूसरी मृत्यु होगई। फिर भी मंगलवारको नुक्ता कर डाला गया । किहेये, कहां गई वह निपोचियोंकी शुद्धि और कहां गया वह सारा पाखण्ड? सच बाततो यह है कि रुड्डुओं के सामने सभी कुछ क्षम्य है।

१२-**डबल मरणभोज-**मारवाड् प्रान्तके एक प्राममें एक गरीब जैनकी मृत्यु हुई। घरमें भवेली विधवा थी। पंचोंने मरघटपर ही मरणभोजकी चर्चा शुरू कर दी और तीसरे दिन उस विधवासे मरणभोजके छिये कहा । उसने अपनी साफ अशक्ति प्रगट

की। मगर पंच लोग नहीं माने। उनने कहा कि तूघर बेचदे, गहने बेच दे मगर नुक्ता कर, अन्यथा तेरा अब पंचींसे कोई संबन्ध नहीं रहेगा। वह बिचारी जाति बहिष्कारसे घबराई और मरणभोजकी स्वीकृति दे दी । इतनेमें एक महाशय बीच**में** ही कूद कर बोले कि इस पर पहलेका एक नुक्ता उधार है, जब तक यह उसे नहीं करेगी, तब तक यह नुक्ता भी नहीं हो सक्ता, इस लिये दो नुक्ता ्होना चाहिये । यह खबर विघवाके पास पहुंचाई गई । इसे सुनकर वह सुन्न हो गई, बहरी हो गई और अपना सिर कूटने लगी। मगर पंचलोग नहीं माने । उसका घर और गहने विकवा कर डबल - मरणभोज कराया गया ।

यह घटना जिन शास्त्री पण्डित जीने लिख कर मेजी है, वे छिखते हैं कि मैं भी इस मरणभोजके जिमकड़ोंमें से एक था। इम कोग जीम रहे थे और सामने ही विषवा बेसुद पड़ी थी। उसकी आँखोंसे आँसओंकी सविरल घारा बह रही थी। मगर पाषाणहृदयी यंचोंको उसकी कोई चिन्ता नहीं थी। यह दृश्य मुझसे नहीं देखा गया और उसी दिनसे मैंने मरणभोजमें न जानेकी प्रतिज्ञा करछी। वह विधवा बर्बाद होगई, उसकी खबर लेनेवाला आज कोई नहीं है।

१३- इारीरके दुकड़े होजाने पर भी मरणभोज-·ग्वालियर राज्यके एक प्रसिद्ध नगरकी घटना है। एक २४ वर्षके युवककी मृत्यु पुटास निकालते समय आग लग जानेसे होगई। श्चारीरके टुकड़े इधर उघर उड़ गवे । २० वर्षकी विधवा और ५५

वर्षके मां बाप हृदयविदारक रुदन कर रहे थे। फिर भी मरणभोज - कराया गया और उसमें करीब ४०० आदमी जीमने भाये।

१४-मरणभोज करानेवाली चक्की पीसती है-🗲 म्वालियर राज्यके एक नगरमें ३० वर्षीय युवक १॥ वर्षके बचेको और अपनी विधवाको छोडकर मरा। गरीबी होनेपर भी पंचोंने मरणभोज कराया, ३०० भ.दमी जीमने भाये । फलस्वरूप पंचौंद्वारा छूटी गई वह अनाथिनी चक्की पीसकर भी अधपेट खाना खाकर जीवन विता रही है।

१५-शीलधर्म वेचना पड़ा-मालियर स्टेटके एक प्राममें २५ वर्षीय युवककी मृत्यु हुई । शक्ति न होनेपर भी उसकी २० 🖟 वर्षीया विधवासे मरणभोज कराया गया । गइना और घर वेचकर उसने नुक्ता किया । ५०० आदमां जीमने आये । वह बर्बाद हो गई । पेटकी गुजर होना भी कठिन होगई । लड्डू-मक्तोंने उसकी कोई सबर नहीं ली । आखि(कार वह किसी दूसरे आदमीके साथ हो ली ! पंचोंने उसे जातिसे अलग कर एक ठंही सांस ली। वह बिचारी आज भी जैन समाज है निर्देयी पंचों को कोसती है।

१६-माता पागल होगई-आगरा जिलेके एक पद्मावती पुरवाल कुटुम्बकी यह घटना है। एक युवककी तमाम प्रंजी उसके पिताके मरणभोजमें लगवा दीगईं। जिससे उसे ५) महीने पर मज़-दूरी करना पड़ी । इसी चिन्ता और दुःखमें वह घुरू घुरु कर मर गया। उसकी मां विक्षिप्त होकर पंनोंका गालियां देती थी कि इन लोगोंने मेरे जवान बेटेको बेमौत मार हाला ।

१७-वचे बरबाद होगये-एटा जिलेके एक ग्राममें एक गरीब विषवासे उसके पतिका मरणभोज कराया गया। जिससे वह बर्बाद होगईं। विचारी थोड़े ही दिनोंमें घुल घुसकर मर गई और अपने अनाथ बचोंको छोड़ गई जो आज आवारा फिरते हैं। उन बिचारोंकी भी जिन्दगी बर्बाद होगई।

१८-पंचोंको जिमाकर दर दर भटक रही हैं-दमोहसे पं० सुन्दरलाल जी जैन वैदा कि खते हैं कि यहां की धर्म-शाकामें एक जैन विषवा अर्ह । उसके साथ तीन छोटी र लड़कियां र्थी । किसीके तनपर एक भी कपड़ा नहीं था । वह स्त्री मात्र एक फटी घोती पहने थी। उसने रोते हुये अपनी कथा सुनाई कि मैं सागर जिलेके प्रामधी परवार दि॰ जैन हं। एक वर्ष पूर्व पतिकी मृत्यु हुई है। पंचोंने चौथे दिन ही मुझसे तेरईका आग्रह किया और कहा कि सिंघईजीके नामके अनुसार अच्छी तेरई करो ! मैंने कहा कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तब पंचीने घमकी देकर मेरे जेवर उत-रवा लिये और खूब डटकर नुक्ता किया गया। तेरईके बाद ही कर्जवाले (जैन) मेरे ऊरार भाटूटे । मुझे अपनी जमीन और मकान देदेना पड़ा। अब मेरे रहने और गुजरका कोई साधन नहीं रहा। तब भेंने पंचोंसे प्रार्थना की । उनने जवाब दिया कि हमने तुम्हारी परवरिशका कोई ठेका तो लिया नहीं और न कोई तेरा दैनदार है। तब मैं निराश होइर इस भूखे पेटको और इन भूखी बिचर्योको लेकर घरसे निकल पड़ी। मैंने बहुत चाहा, मगर न तो मुझसे मरते बनता है और न अष्ट होते ही बनता है। इसलिये अब यहां आई

हं। " इससे पाठक समझ सकेंगे कि मरणभोजिया पंच इस प्रकार न जाने कितनोंका जीवन बर्बाद कर देते हैं।

१९-शादीके रूपया मरणभोजमें लग गये-मेकसाके पास एक गांवमें एक बुढ़िया थी। उसका एक ही गरीब पुत्र था। वह वंजी करके जैसे तैसे गुजर करता था। माताकी तीन इच्छ। थी कि वह अपने पुत्रका विवाह कराये और बहुको देखकर मरे। इसिक्ये उसने जैसे तैसे १५०) इन हे करके छिपा रखे थे मगर गरीबको कन्या कौन देता? आखिर वह बुढ़िया मर गई। बहू देखनेकी इच्छासे जीवनभरमें संचित किया गया वह धन पंचोंने मरणभोजमें लगवा दिया और उसका बिवारा गरीब पुत्र कंगालका कंगाल और अविवाहितका अविवाहित रहा ! जिस प्रकार पंच लोग मरणके लड्डू खानेसे नहीं चूकते उसी तरह क्या कोई कभी गरीबोंके शादी विवाहकी भी चिन्ता वरता है ? नहीं, उन्हें इससे क्या मतलब ?

२०-मरणभोज न करनेसे नौकरी छोड़ना पड़ी-जैन समाजके एक सुप्रसिद्ध लेखक विद्वान शास्त्री लिखते हैं कि मेरी पत्नी मात्र १८ वर्षकी आयुमें हर्ग सिवारी । मरनेके पूर्व उसने मुझसे कहा था कि मेरा मरणभोज मत करना । मैंने ऐसा ही किया। तब गांवके छोगोंने कहा कि यह स्वार्थी है, मतरबी है, खुदगरज़ है, पढ़ा लिखा होनेपर भी उस्लू है। मैंने यह सत्र गालियां प्रनकर भी नुक्ता नहीं किया। आखिरकार मुझे पाठशालाकी नौकरीसे हाथ घोना पहे।

२१-विधवाको धर्मकार्योसे भी रोक दिया-विजावर स्टेटके एक शाममें एक पण्डितजीका स्वर्गवास हुआ। वे बहुत गरीन थे। उनकी विधवा नुक्तः न कर सकी, इस**लिये गांवके** और भासपासके जैनोंने उसका तमाम व्यवहार बंद कर दिया। कुछ दिन बाद उसी गांवमें जलयात्रा हुईं। किन्तु उस विषवाको -मरणभोज न करनेके कारण जलयात्रा-धर्मकार्यमें भी शामिल न होने दिया, आखिर वह गिड़गिड़ाकर बोली कि मेरे पास दी मानी कोदों हैं। इन्हें बेचकर तेरई कर लीजिय। गार मेरे जीवनका कोई सहारा न रहेगा । यह सुनकर एक पण्डितजीको दया आगई और उनने पंचोंको समझाकर उसे जलयात्रामें शामिल होने दिया ।

२२- मरणभोजमें करुणा-क्रन्दन-धर्मे व पं० दीप-चन्द जी वर्णीने अपना अनुभव लिखा है कि "२५ वर्ष पूर्व में अपदने संबन्धीके एक नुक्तेमें गया था। २५ वर्षका जवान कमाऊ लड्का मर गया था। उसकी स्त्रीके जेवर बेचकर तेरई कीगई थी। सब लोग जीमने बैठे । मृतकका बुड्ढा बाप और उसके लड़के भी जीमनेको बैठाये गये। सबने एक एक प्राप्त उठाया ही था कि बुडढा भीर उसके लड़के बड़े ही नोरोंने रो उठे। वे रोते रोते कह बहे थे- 'हाय, चना बर गये, मुंगई लग गई और ऊगरसे हाथ भी बर गये ! इम तो सब तरहसे छुट गये । कमाऊ लड़का मर गयो, भरको छप्पर मिट गयो । दवाई**में** खर्च हो गये सो कछ न लगी **पे** बहुकी बचोखुचो गानौ भी छट गयो। हायरे हाय, हम तो सब तरहसे छुट गरे !!!

इतनेमें ट्रेनका समय होनेसे बाहरके कुछ आदमी आपहुंचे। बूढ़े पिताने उठकर उनके सामने सिर कूट किया, छातीमें मुका दे मारे, जमीनपर गिर पड़ा। उधर स्त्रियां करुणा-कृन्दन कररही थीं। फिर भी पंच लोग लड्डू गटकर रहे थे। मगर मुझसे नहीं खाया गया । और तभीसे मैंने मरणभोज त्यागकी प्रतिज्ञा की और कई जगह इस राक्षसी प्रथाको बन्द कराया ।

२३-विधवाके गहने वेच डाले-पंडित छोटेकालजी परवार सुपरि० अहमदाबाद बोर्डिंगने लिला है कि हमारी जातिमें : ३० वर्षीय युवककी मृत्यु हुई। उसकी स्थिति बहुत खराब श्री। 📜 जिस दिन कमाने न जावे उस दिन भूखा रहना पहता था। फिर भी जातीय रिवान और शर्मके कारण तेर्रें करना पढ़ी। विधवाके सिरसे पैर तकका गहना (जो चांदीका था) उतारा गया और २५) में बेच दिया गया ! उनसे पगे खाजे बनाये गये । सब कोग जीमने बैठे। मैं भी उनमें से एक था। मृत युवकके बूढ़े बापको भी बिठाया गया। बहुत समझानेपर उपने खाजेका एक भीर तोड़ा मौर बहे ही जोरसे कीक भारी! उधर युवती विधवा चिल्ला रही थी जिससे पत्थर भी पिघल जाता । मैं भीतर ही भीतर रो पड़ा । पंच 🗠 कोग खाजा उड़ा रहे थे, मगर मुझसे नहीं खाया गया। वह दृइय आज भी मेरी आंखोंके सागने घूमता है। एक नहीं, ऐसी अनेक घटनायें होती रहती हैं।

इस प्रकारकी २०-२५ ही नहीं, किन्तु सैकड़ों करुणाजनक घटनार्ये मेरे पास संग्रहीत हैं जो मरणभोजका दुष्परिणाम, पंचीका भत्याचार और भापत्तिमस्तोंकी बर्बादीको स्पष्ट बताती हैं। फिर भी जो लोग कहते हैं कि मरणभोज करनेमें कोई जबर्दस्ती नहीं करता, यह तो मनका सौदा है, दश पांच आदमियोंको जिमाकर ही **भ**दा कर लेनी चाहिये, वे समाजको घोखा देते हैं और इस 🥃 भत्याचारको ढकनेका भसफल प्रयत्न करते हैं । उन्हें तथा समाजको भांखें खोलकर देखना चाहिये कि मरणभोजिया लोग कैसी कैसी स्थितिमें मरणभोज कराते हैं। ऐसे मरणभोजोंमें लड्डू उड़ानेको तो नारकी और राक्षस भी तैयार नहीं होंगे, जैसे मरणभोजोंको समाजका बहु भाग उड़ाता है। यदि विशेष खोज की जाय तो इन घटनाओंसे भी भयंकर घटनायें मिल सकती हैं । क्या इन्हें जानकर अब भी जैन समाज इस पापका त्याग नहीं करेगी?

सुप्रसिद्ध विद्वानों और श्रीमानोंके अभिप्राय।

यद्यपि मरणभोजकी अञ्चास्त्रीयता, अनावश्यकता और भयंकर-वाको हमारे पाठकगण भली मांति समझ गये होंगे, फिर भी मैं मरण-भोजके संबन्धमें जैन समाजके कुछ गण्यमान्य विद्वानों भौर श्रीमानोंके अभिप्राय भी पगट कर रहा हूँ। इनसे वस्तु स्थिति कुछ विशेष स्पष्ट हो जायगी। मैंने अपने पिताजीके स्वर्गवासके बाद 'मरणमोज' न करके 'मरणभोज 'पुस्तक लिखनेका निश्चय किया भौर इस प्रथाके संबन्धमें जैन समाजके करीन १०० गण्यमान्य विद्वानों और श्रीमानों को पत्र मेजे थे, उनमें निम्न लिखित ५ मक्ष पूछे गये थे:-१-म्। जभोजकी उत्पत्ति कब क्यों और कैसे हुई तथा जैनोंमें

उसका प्रचार कबसे है ? २-वया मरणभोज करना जैनशास्त्र स्रोर जैन।चारकी दृष्टिसे उचित है ? ३-वया जैन समाजमें मरणभोजका ८ होना सभी भी भावस्यक है और उसे सर्वथा बन्द कर देना इष्ट नहीं है ? ४-आपके यहां जैन समाजमें मरणभोजकी प्रथा कैसी है ? ५- मरणभोजसे सम्बन्ध रखनेवाली कुछ करुणाजनक घटनायें भी लिखनेकी कपा करें।

यह पत्र पुराने और नये विचारके-स्थितिपालक और सुधा-रक सभी विद्वानों तथा श्रीमानोंके पास मेजे गये थे, किन्तु जो मरणभोजके पक्षपाती हैं, जो मरणभोजमें ही धर्मकी पराकाष्टा मानते हैं भी। तमाम धर्म कर्मको मरणभोजमें ही निहित मानते हैं उन पण्डितोंने तो कोई उत्तर देने तकका कष्ट नहीं किया, कारण कि उनके पास मरणभोजको योग्य सिद्ध करनेके लिये न तो कोई शास्त्रीय प्रमाण है भौर न कोई बुद्धिगम्य तर्क। तथा वे उसका विरोध इसिलिये नहीं कर सकते कि उनमें इतना साहस नहीं और न वे अपने पक्षको छोड़ ही सकते हैं, इसिकये उनने किसी प्रकारका भी कोई अनुकूछ प्रतिकूल उत्तर नहीं दिया।

किन्तु जिनमें साहस है, विवेक है, दूरदर्शिता है और जो - जमानेकी गति-विधिको जानते हैं उनने मुझे पत्रका उत्तर दिया. उनमें से कुछका सारांश मात्र यहाँ प्रगट किया जाता है।

कुछ विद्वानोंके विचार-

१-पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ-संपादक जैनदर्शन तथा बैनबंधु जयपुर लिखते हैं:-मरणमोज़की प्रथा प्राचीन नहीं है। बाह्मणोंके सहयोगसे यह बुराई हममें आई है। जैन शास्त्रोंसे इस मथाका समर्थन नहीं होता। जैनाचारमें इसका कोई स्थान नहीं है। यह आचार नहीं किन्तु रूढ़ि है। मरणभोज करना मिथ्यात है। समाजके किये इसे आवश्यक मानना महा मूर्खता है। जैन धर्मका अद्धानी इसे कभी भावस्थक नहीं समझ सकता। जयपुरमें घीरे २ मरणभोज बंद होरहे हैं। कई प्रतिष्ठित लोगोंने भी मरणभोज नहीं किये हैं। मैंने अपनी माताजीका भी मरणभोज नहीं किया। मेरे पास कई निर्देयतापूर्ण घटनाओं हा संग्रह है। कई लड्डू लोरोंने असहाय युवती विघवाके शरीरके आभूषणोंसे मृत्युभोज कराकर निर्देगताका परिचय दिया है।

२-पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार-भिष्ठाता वीर सेवामंदिर सरसावा-मरणभोजका इतिहास तो मुझे नहीं माछूम, किंतु जैनोंमें इस प्रथाके प्रचलित होनेका कारण ब्राह्मण धर्मके संस्कारोंका पाबस्य जान पहता है । जैन शास्त्र और जैनाचारकी दृष्टिसे मरण-भोज करना उचित नहीं है। यह हिन्दुओं के श्राद्धका एक रूप या रूपान्तर है। जैन समाजमें इसकी कोई आवश्यक्ता नहीं। और न बंद कर देनेसे किसी अनिष्टकी संभावना ही है। हमारे यहां आज कक मरणभोजकी कोई प्रथा नहीं है। पूर्वजोंने इसे अनुचित और अधर्म मानकर छोड़ दिया है। आपने अपने पिताजीका मरणभोज न करके जो साधु कार्य किया है उसके लिये आप घन्यवादके पात्र हैं।

३-पं० नन्हेंलालजी जैन सिद्धांतशास्त्री मोरेना-मापने नुक्ता बंद करके जो साहस किया है वह रहाध्य है। माज-कल नुक्ताकी कोई भावश्यक्ता नहीं है।

४-वाणीभूषण पं० तुलसीरामजी काव्यतीर्थ **पड़ौत-आ**पने बुन्देलखण्ड जैसे प्रदेशमें और फिर ललितपुर जैसे केन्द्रमें तेरई न करके अवस्य ही सत्साहस किया है। इस साहसका में हार्दिक अनुमोदन करता हूँ। यहां अप्रवालोंने तेरईके दिन मात्र कुटुम्बीजन ही जीमते हैं।

५-पं० बंद्गीधरजी न्यायालंकार-जैन सिद्धान्तः महोद्धि, स्याद्वादवारिधि, जैन सिद्धान्त शास्त्री प्रधानाध्यापक स हु० दि० जैन महाविद्यालय इन्दीरने अपनी सासुके मरणभोजके संबंधमें मेरे पत्रके उत्तरमें किस्ता था कि धुकेशल फेरनलालको इस दरिद्राकान्त जीवनमें तेरईं करके अपने आपको ज्यादा दरिद्र व दुरवी नहीं बना लेना चाहिये। मेरी थोड़ीसी भी राय नहीं है कि वे तेरई करें। न जातीय एवं समाजके लोगोंको ही चाहिये कि वे सुकेळाळको तेरई करनेको वाध्य करें। न खुद उन्हें तेरई करनेके लिये उत्सक होना चाहिये।

६-पं० कैलाराचन्दजी शास्त्री-संगदक जैन सिद्धान्त भास्कर, धर्माध्यापक स्याद्वाद महाविद्यालय काशी-मरणभोज मुझे डचित नहीं जान पड़ता। इसकी भावस्यक्ता भी नहीं है। इसे बंद कर देना चाहिये।

७-पं के भुजबली शास्त्री-संपादक जैन सिद्धांत मास्कर आरा-मूडबिद्रीकी तरफ मरणके १६ वें या २१ वें दिन **अपनी शक्तिके अनुसार मृत व्यक्तिके घरवाले** मंदिर**में** प्रायश्चित (दाहादि जनित) के रूपमें अभिषेकादि करते हैं। तथा बिरा-

दरी एवं ब्रह्मचारी आदि गृहत्यागियोंको भोजन कराते हैं। इसे भी प्रायश्चित्तका एक अंग मानते हैं। इसमें भी कोई पंचायती बन्धन नहीं है। असमर्थ लोग २-४ रुपया स्वर्च करके मात्र अभिषेक ही करके शुद्ध हो नाते हैं। मरणभो न करना आवश्यक नहीं है।

- ८-पं० सुमेरुचन्दजी जैन दिवाकर-शस्त्री, न्याय-तीर्थ, बी० ए० एल एल० बी० सिवनी-मैं वर्तमान परिस्थित तथा अर्थ संकटको देखते हुए इस प्रथामें उचित संशोधन चाहता हूं। हमारे यहां पंचायती तौग्वर ४० वर्ष तककी मृत्युकी जीमनवार बन्द है। इससे मैं भी सहमत हूं। यदि व्यक्ति असमर्थ है तो समा-जको उसे बाध्य न करके उचित छूट देना चाहिये। बृहद् भोजके स्थानमें बचा हुआ द्रःय यदि घार्मिक कार्यमें व्यय किया जाय तो समीचीन बात होगी। हमारे श्रीमानोंको आदर्श उपस्थित करना चाहिये।
- ९-पं० मुन्नालालजी काव्यतीर्थ इन्दौर-मरणभोज शास्त्रसम्मत हर्गिज नहीं । द्रव्यवानोंको भपना द्रव्य इसके बदले किसी श्रम कार्यमें लगाना श्रेष्ठ है।
- १०-पं० किञोरीलालजी ञास्त्री-स० सम्पादक जैनगजट पपीरा-मैं मृत्युभोनके विषक्षमें हूं। मैंने स्वयं अपनी वहू के मरनेपर मृत्युभोज नहीं किया। यह बड़ी दुखद प्रथा है।
- ११-द्र्शनशास्त्री पं० आनन्दीलालजी न्याय-तीर्थ जयपुर-जैन समाजमें मृत्युभोजकी पथा बहुत ही भयंकर है। धर्म और जैनाचारसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रथाका शीव्र ही समूळ नाश होना चाहिये।

१२-पं०मोहनलालजी शास्त्री काव्यतीर्थ सिवनी-अज्ञानके प्रभावसे यह प्रथा जैनोंमें प्रवेश कर गई है। जैनशास्त्रोंमें नुक्ताका नाम तक नहीं है। जैनाचारकी दृष्टिसे यह सर्वथा हेय है।

१३-पं० क्रन्दनलालजी न्यायतीर्थ ब्यावर-मरण-भोज जैन शास्त्र और जैनाचारकी दृष्टिसे सर्वथा अनुचित है। जैन समाजमें यह प्रथा सर्वथा अनावश्यक एवं घातक है। सन् २३ में मुझे इसका कटु अनुभव हुआ था. तभीसे में इसका त्यागी हूं। यदि आप इस आन्दोलनमें सफल हुये तो अनेक वर बर्बाद होनेसे बच जायेंगे।

१४-साहित्यरत्न पं० दरबारीलालजी न्यायतीर्थ वधो-ब्राह्मणोंकी जीविकाके अनेक साधनोंमें एक साधनके रूपमें मरणभोजकी प्रथा चली और जब जनसंख्या भादिकी दृष्टिसे श्रमण संस्कृति कमजोर होगई तब जैनोंमें भी इसका प्रचार होगया। मरणभोज जैनशास्त्रों और जैनाचारके सर्वथा विरुद्ध है। यह तो पुरा मिथ्यात्व है। इसके साथ जैनत्वका मेळ ही नहीं बैठता। भाजकळ तो वह भीर भी भनावश्यक है। जितने जल्दी यह बंद किया जाय उतना ही भच्छा है। मैंने अपनी परनी और पिताजीका नुक्ता नहीं किया। करुणाजनक घटनायें तो अनेक हैं। मरणभोजसे लोगोंका नैतिक पतन भी होता है। वे लड्डुओंकी भाशासे दाह संस्कारमें शामिल होते हैं । ऐसी स्वार्थपरता मनुष्य-ताका दिवाल्लियापन है। मरणभोज यदि टैक्स है तो, या पारि-श्रमिक है तो, दोनों ही लकाके चिह्न हैं।

१५-पं० राजेन्द्रकुमारजी न्यायतीर्थ-महामंत्री दि० जैन संघ अंबालाने जैन युवक परिषद इटावाके अधिवेशनमें प्रस्ताव रसा था कि ''नुक्ताकी प्रथा जनधर्म एवं जैन शास्त्रोंके प्रतिकूरु है, इसलिये किसी भी हालतमें मरणभोज नहीं होना चाहिये।" इस प्रस्तावके विषयमें भापने भाष घंटा खूब प्रभावक भाषण भी दिया . था और कहा था कि मैंने स्वयं अपने पिठाजीकी तेरई नहीं की. पं० परमेष्ठीदासने भी नहीं की, आप लोग भी प्रतिज्ञा करिये । तब उसी समय २०० भादिमयोंने मरणभोजका त्याग कर दिया था।

आदर्श त्यागियोंके विचार —

१६-पूज्य बाबा भागीरथजी वर्णी-भापने भपने पिताजीका नुक्ता न करके भट्छा भादर्श उपस्थित किया है। जनोंमें बहुत समयसे मरणभोजकी प्रथा घुसी हुई है। यह हिन्दुओंके श्राद्धका रूपान्तर है। मरणभोज जैनशास्त्र और जैनाचारकी दृष्टिसे उचित नहीं है। जैन समाजमें मरण भोजका होना आवश्यक नहीं, उसे बंद कर देना ही अच्छा है। खेलंडामें मैंने इस प्रथाको बंद करा दिया है। यदि खण्डेलवाल, मारवाड़ी और बुन्देकखण्डके जैनी इस प्रथाका नाश कर दें तो समाजका कल्याण होजाय । इन्हींमें इसका विशेष प्रचार है। मरणभोजकी करुणाजनक घटनायें इतनी भयंकर होती रहती हैं कि उन्हें लेखनीसे लिखना अशक्य है।

१७-धर्मरत्न पं० दीपचन्द्जी वर्णी-जैनोंमें मरण-भोजकी प्रथा कबसे आई सो तो नहीं माल्रम, किन्तु यह बाक्सणोंका अनुकरण है । इसका प्रचार भट्टारकोंके शिथिलाचारसे हुआ है ।

मरणभोज जैन शास्त्र स्रोर जैनाचारकी दृष्टिसे सर्वथा विरुद्ध स्रोर स्नुचित है। नुक्तेसे लेकिक शुद्धिका भी कोई संबंध नहीं है। जैन समाजमें इसकी कर्तई स्नावश्यक्ता नहीं है। मैंने कई जगह इस प्रथाको बंद कराया है। कुछ मूर्ख तो स्नुपने जीते जी स्नुपना नुक्ता कर जाते हैं और मूढ़ समाज उसमें जीमती है। गुजरातमें कई जगह तो बाह्मणोंको बुलाकर रजाई, गदेला, तिकया, जूता (जोड़ा), संगरखा, पगड़ी, लोटा, थाली स्नादि भी देते हैं। यह जैनोंका दयनीय सज्ञान है।

१८-जैनधर्मभूषण ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद्जी-मैं आपकी दढ़तापर साबाशी देता हूं, जो आपने अपने पिताजीकी तेरई नहीं की। जैन शास्त्रोंकी दृष्टिसे तो शुद्धि होनेपर मंदिरमें यथा-शक्ति बिशेष पूजा व धर्मार्थ तथा करुणाभावसे चार दान करना चाहिये। मरणभोज इनके अन्तर्गत नहीं है और न जैन शास्त्रोंमें इसका विधान है और न यह आवश्यक ही है। इसे सर्वथा बंद कर देना चाहिये। मरणभोजसे बढ़ेर सेठोंको भी दिवालिया होना पड़ा है।

१९-ब्रह्मचारी प्रेमसागरजी पंचरता - भट्टारकोंके प्रमा-वसे जैनोंमें यह ब्राह्मणी प्रथा घुस गई है। मरणभोज जैन श्वास्त्रः और जैनाचारकी दृष्टिसे सर्वथा अनुचित है। न तो यह आवश्यकः है और न इसके बंद कर देनेसे कोई द्वानि ही होगी, प्रस्युत समा-जका हित ही होगा। जैन समाजमेंसे इस घातक प्रथाका शीघ्र ही समुक्त नाश होना चाहिये।

२०-**इवे० मुनिश्री न्यायविजय**जी न्यायतीर्थ - एक

ओर विषवा स्त्री, बुड्ढी माता और कुटुम्बीजन रो रहे हों, और दूसरी ओर पंचलोग माल मलीदा उड़ा रहे हों, यह कैसी निष्टुरता है। लोग मृत कुटुम्बियोंको शांति देने आते हैं या उन्हें बर्बाद करने ? समा-जको च।हिये कि वह असहाय विषव। और दुःस्वी कुटुम्बियोंके प्रति समवेदना प्रगट करे, उनकी सहायता करे झीर उन्हें सान्त्वना दे, किन्तु ऐसा न करके उसके घर छोटा भरके पहुंच जाना और रुड्डू **उड़ाना कहांकी मानवता है ? सचमुच ही मरणभोजकी प्रथा मिथ्या**-त्वकी जड़मेंसे उत्पन्न हुई है। इसिलये निरर्थक एवं हानिकारक इस प्रथाको उखाइ कर फेंक देना चाहिये।

कुछ श्रीमानोंके विचार—

२१-रा० भू० रा० ब० दानवीर सेठ हीरालालजी इन्दोर-जैन समाजमें मरणभोज अब आवश्यक नहीं है, कारण कि विधवार्ये और असमर्थ लोग मरणभोजके कारण ही जेवर बेच-कर मकान गिरवी रखकर और कर्ज़ लेकर भागामी जीवनको संइटमय बना लेते हैं। इस आर्थिक संकटके जमानेमें तो समाजकी परिस्थिति इसी प्रथाके कारण करूपनातीत भयानक होगई है । अतः इस प्रथाको सर्वथा बंद कर देना ही इष्टकर है। इःदी-रमें मरणभोजपर सरकारी प्रतिबंध भी है, जिससे १०० भादमि-योंका ही नुक्ता होसकता है। किन्तु यह प्रथा धर्मके नामपर रथ यात्राका रूप घारण करती जारही है। मरणभोजसे सम्बन्ध रखनेवाछी कई करुणाजनक घटनायें यहांपर हुई हैं, जिनके फलस्वरूप विध-बाओं और असमधीकी दशा बड़ी दयनीय होगई है।

२२-रा० व० वाणिज्यभूषण सेठ लालचन्द्जी सेठी उज्जैन-जैनों मरणभोजकी प्रथा बहुत समयसे है। मैंने जहांतक स्वाध्याय किया है वहांतक में यह विना संकोच कह सक्ता हूं कि जैन शास्त्रोंसे इसकी कुछ भी पृष्टि या सिद्धि नहीं होती है। और नुक्तेका रिवान जैन तथा जैनेतरोंमें एकसा ही देखा जाता है। मेरी रायमें मरणभोजकी बिलकुल आवश्यक्ता नहीं है। इस कुप्रथाके कारण वई विधवाओंको अपनी रही सही जीविकाकी आधारभूत पूंनीसे भी हाथ धोना पड़ता है, दरदरकी भिखा-रिणी बनना पड़ता है। मैं तो इस प्रथाको सर्वथा धातक एवं अनुपयुक्त ही समझता हूँ।

२३-साह श्रेयांसप्रसादजी रईस नजीवाबाद— अपनी माताजीके मरणमोजकी कल्पना तो मैं स्वप्तमें भी नहीं कर सकता। यह प्रथा हानिकर है। हमारे प्रान्तमें अप्रवाल जैनोंमें मरणभोज किसीके यहां नहीं होता।

२४-दानवीर श्रीमंत सेठ लखमीचंद्जी भेलसा -हमने अपनी माताजीकी स्वयं तेरई आदि नहीं की । परिषदके बाद यहांके लोग इस घृणित प्रथाको छोड़ते जारहे हैं । इस प्रथासे समाजकी भारी हानि हुई है। इसका समूल नाश होना चाहिये।

कुछ समाजसेवक विद्वानोंके विचार—

२५-बाबू कामताप्रसादजी सं० वीर और जैन सिद्धान्त भाष्कर-जिस समय महारकोंने वैष्णवोंकी नकल करके श्राद्ध तर्पणादिका विधान भपने शास्त्रोंमें किया तब ही से इसका जैनोंमें प्रचार हुआ। जैन दृष्टिसे मरणभोज मिथ्याख कहा जासका है। इस तंगीके जमाने**में यह** प्रथा जितनी जल्दी बन्द हो उतना ही भच्छ। है। हमारी बुढेलवाल जातिमें यह प्रथा प्राय: उठ गई है। करुणकथार्ये तो रोज देखने सुननेको मिळती हैं।

२६–भारतके प्रसिद्ध कहानीकार बा० जैनेन्द्र-कुमारजी देहली-मरणभोजकी उत्पत्तिके विषयमें कुछ नहीं कह सकता । हां, मरणभोज करनेकी बाध्यता हरेक धर्माचारके विरुद्ध है । जैनाचार यदि धर्माचार है तो उसके भी विरुद्ध ही है। मरण-भोजकी प्रथा सर्वथा अनावश्यक है इसे बंद कर देना चाहिये। -यहां पर भी कुछ प्रथा है, पर उसकी भनावश्यकता पर जनमत जागता दीखता है।

२७-श्री० वैरिष्टर जमनाप्रसादजी सब जज-हिन्दू पहाँ सियोंके असरसे जैनोंमें मरणभीज आया है। यह प्रधा कतई उचित नहीं है। यह अनावस्थक है और इसे सर्वथा बन्द कर देना चाहिये। एक दो घटनायें क्या छिलें, रोज ही घटनापर घटनार्थे होती हैं। सैकर्डो घर बर्गद होगये, पर हम नयों अगुवा बनें, इस भयसे लोग करते ही चले जाते हैं। आपने अपने विवाजीकी तेरई न करके जो साहस व दूरवर्शिता दिखाई है उसके किये ववाई !

२८-ला० तनसुखरायजी, मंत्री भा० दिगम्बर जैन परिषद देहली-हर्ष है कि भापने भपने पिताजीका नुक्ता नहीं किया। इस घातक रूढिका शीव्र ही नाश होना चाहिये।

२९-बाब्र लालचन्दजी एडवोकेट-तथा पं० उग्रसेनजी वकील रोहतक-आपका साहस पशंसनीय है। विरोधका मुकाबला च्हुताके साथ करें। मरणभोजकी प्रथाका इसी प्रकार विनाश होगा।

३०-मा० उग्रसेनजी मंत्री परिषद परीक्षाबोर्ड-भव हमारे यहां तो मृत्युभोजको कोई जानता ही नहीं है। जहां इसका रिवाज है वहां भी यह शीघ्र ही मिटना चाहिये। पंच लोग बावकी परीक्षा लेंगे, इसलिये होशयार रहना ।

३१-पं० अजितप्रसाद्जी सब जज, एडवोकेट स्त्रस्वनऊ-मरणभोजकी प्रथा गरीबीमें तो जीवित मनुष्योंको यम-राजके दर्शन करा देती है, संसार नरक होजाता है, आत्मघात मुक्ति-स्वरूप मालूम पड्ने लगता है। यह प्रथा घोर कष्टपद. अत्यन्त हानिकर और हिंसात्मक है। समाजका मुख्य कर्तव्य है कि इस भयंकर नाशकारी प्रथाको श्रीघ्र ही बंद कर दे। धार्मिक तत्व तो इस प्रथामें कुछ है ही नहीं।

३२-रायसाहब नेमदासजी शिमला-जैन शास्त्रीमें मरणभोजका कोई उल्लेख या विवान नहीं पाया जाता । जैनाचारकी दृष्टिसे भी मरणमोज उचित नहीं है। जैन समाजके लिये यह हानिकर प्रथा है। अ।पने अपने पिताजीका मरणभोज न इरके समाजके सामने भच्छा भादर्श उपस्थित किया है।

३३-बा० फतहचन्द्जी सेठी अजमेर-यहां नुका करनेकी कोई अविधि निश्चित नहीं है। कई कोग मृत्युके १५-२० वर्ष बाद भी नुक्ता करते हैं। प्रायः यहां मरणकी तीन ज्योनारें होती हैं, एक तीसरे दिन निकटसंबंधियोंकी जिसमें लगसी पूड़ी ननती है, दूसरी बारहवें दिन बिरादरीकी, तीसरी तेरहवें दिन ज्योनारें यहां आवश्यक हैं, चाहे मरनेवाका युवक हो या आत्मवात का के ही मरा हो ! अविवाहितों के भोज नहीं होते। कावारिस विधवा जीते जी ही अपना बारहवेंका भोज दे जाती है और लोग ख़शीसे जीमते हैं। इस भयंकर एवं अमानुषिक प्रथाका जितने जल्दी नाश हो सो अच्छा है।

३४-स्व० ज्योतिप्रसाद्जी देवबन्द्-जो मरणभोजका लोलपी या समर्थक है उससे भिषक पतित भीर कीन होगा ? जैनोंमें मरणभोजकी उत्पत्तिका उत्तरदायित्व त्रिवर्णाचार जैसे कलंकित ग्रन्थों पर है। इस घृणित प्रथाका जैन धर्मसे क्या सम्बन्ध ? यह तो मिथ्यात्व है। जैन समाजके लिये मरणभोज कर्लंक स्वरूप है। जो इसके पक्षमें हाथ-पांव पीटते हैं वे जैन समाजको पतनकी ओर खींचे जा रहे हैं। हमारे यहां मरणभोजकी प्रथा कतई नहीं है। आपने इस घृणित प्रथाको दुकराकर साहसका काम किया है।

३५-बा०दीपचन्दजी संपादक जैन संसार देहली-मरणभोजकी प्रथा आन वदयक, अनुचित और मनुष्यताके पतिकूल है। इसका सर्वेया बंद होजाना प्रत्येक जातिके लिये हितकर है। आपने विताजीका मरणभोज न करके अनुकरणीय कार्य किया है।

३६—स्व० सेठ हीराचन्द नेमचन्दजी दोशी सोलापुर-मेरे अभिपायसे मरणभोज नहीं करना चाहिये। हमारे यहां चि० गुलाबचन्दजीकी बहुका मरण होगया, ममर मरणमोजः नहीं किया गया है। जीवराज गौतपकी बहुका भी नहीं किया गया। वृद्धावस्थाके कारण में अमण नहीं कर सकता, यदि आप यहां भाकर मेरे साथ घूमें तो सोलापुर जिलेमें यह प्रथा बन्द कराई जासकती है।

३७-पं० कन्हैयालालजी राजवैद्य कानपुर-महां कुटुम्बी लोग रोरहे हों वहां पत्थर-हृदयी लोग न जाने कैसे लड्डू गटकते हैं। मेरे तो मरणभोजका त्याग है। इन प्रथाका जल्दी ही नाश होना चाहिये।

३८-श्री० विष्णुकान्तजी वैद्य संपादक 'वैद्य' मरादाबाद-मरणभोज करना जैन शास्त्र और जैनाचारकी दृष्टिसे सर्वथा अनुचित है। जैन समाजके लिये यह एक मारी कलंक है। इसे सर्वथा बंद कर देना च।हिये । यहां मरणभोज प्राय: बंद है ।

३९-जैन समाजभूषण स्व० सेठ ज्वाला-प्रसाद जी-अपने समाजमें होनेवाली मरणभोजकी नीच प्रथाने समाजकी सभ्यता, उच्चना, महानता, और घार्मिकत का दिनाला बोल दिया है। यह मरणभोजकी घृणित प्रथ समाजके माथे एक बड़ा भारी कलंक है। मरणभीज खावर दया धर्म और प्रेनभावका खुले मैदान गला काटा जरहा है, या मृतक्रो नके बढ़ाने दु खि योंका खून चूना जारहा है। मृतक नो क्का किसी भी जैन सूत्रमें उल्लेख नहीं है। यह बुप्रया जैन धर्म हे स्विथा विरुद्ध है और द्रमरोंकी देखादेखी जैन समाजमें प्रचित्र होगई है। जो हदयहीन मनुष्य इस कुपथाकी किसी प्रकासे पुष्टि करने हैं ने देवल टड्डू

-गटकनेके छिये जैन समाजको धर्मके नामपर घोला देकर मिथ्यात्वके गहरे गड़देमें दक्कते हैं और अपने लिये नर्कगतिका बन्ध बांधते हैं। इस नीच पथाको शीघ्र ही बन्द कर देना चाहिये। इसमें भ्वनी निर्घन या किसी भी अध्यकी कोई शर्त नहीं होनी चाहिये।

४०-कविवर श्री० कल्याणक्रमार 'शशि'-मापसे जो नुक्तेकी बात करते हैं वे स्वयं उपहासास्पद बनते हैं। आपसे मरणभोजकी भाशा हिन्दू मुस्लिम समझौता जैसी है। इस भयंकर प्रथाका समाजसे शीघ्र ही नाश होना चाहिये।

४१-पं**० छोटेलालजी परवार**—सुपरि० दि० जैन बोर्डिंग अहमदावाद—मैं इस भयंकर प्रथाका कट्टर विरोधी हूँ। मेरे हृद्यपर एक घटनाने भारी चोट लगाई है (जो करुणाजनक सची घटनार्झोंने नं० २३ पर मुद्रित है) तभीसे मैंने मरणभोजमें जाना छोड दिया है। नुक्ताका वार्ताला ही मुझे बुरा लगता है।

४२-विद्यारत्न पं० कमलकुमारजी शास्त्री-तथा बा० ममोलक्कंद्रजी खण्डवा—जैनोंमें मरणभोज ब्राह्मणोंके अनुकरणका फल है। जैन शास्त्रोंमें इसका कोई विधि विधान नहीं है। यह प्रथा जैन शास्त्र और जैनाचारक सर्वथा विरुद्ध है। यहां पर यह भयंकर प्रधा मभी भी बुगी तग्ह जारी है।

४३-व्र० नन्हेंलालजी-भट्टार धीय जमानेमें ब्राह्मणोंसे यह किया जैनोंमें आगई है। इसका जैनागम या जैनाचारसे कोई संबंध नहीं है। राजपूतानामें तो इहीं कारी जैन कोगोंमें 'श्राद्ध' भी करते हैं। वागड़ पान्तमें तो इतनः रिवाज़ है कि यदि किसीकी शक्ति १३ दिनमें नुक्ता करनेकी न हो तो पंच लोग जमानत लेकर पगड़ी बांघ देते हैं । फिर सुविधा होनेपर नुका करवाते हैं अन्यथा उसे भटका देते हैं। इघर हूमड्रोंमें 'पिण्ड किया' भी बाह्मणसे कराई जाती है। 'गंगास्नान' और 'गोदान' का भी संब्रह्म किया जाता है। जहां जैन समाजमें इतना मिथ्यात्व घुसा हुआ है वहांकी स्थितिका क्या वर्णन करूं ?

४४-सेठ मूलचन्द किसनदासजी काप**डि**या-संपादक जैनमित्र तथा दिगम्बर जैन, सूरत-मरणभोज किसी भी अवस्थामें आस्त्रोक्त नहीं है। मरण और मोज यह शब्द ही संगत नहीं हैं। मरण भोजकी प्रथा मिथ्यात्वियोंका अनुकरण है। जैनधर्म और जैनाचारसे यह सर्वथा विरुद्ध है। पहले सूरतमें हमारी (वीसा ह्रमड़) जातिमें मरणके ५-५ जीमनवार जबर्दस्ती देना यहते थे। किन्तु अब यह प्रशायहांसे उठ ही गई है। अब तो ८० वर्षके बुड्ढे हा भी मरणभोज नहीं किया जाता। इसी प्रकार अन्य प्रान्तोंमें भी शीघ्र ही बंद होजाना चाहिये। इसके लिये स्वयं शामिल न होनेकी और दूसरोंसे प्रतिज्ञा करानेकी आवश्यका है।

४५-मिश्रीलालजी गंगवाल इन्दौर-यहां नुक्ता भांदो-. लनके समय कई प्रचण्ड जैन विद्वानोंकी सम्मतियां मंगाई गई थीं। उनके बलपर मैं कह सकता हूँ कि इस प्रथाका जैन धर्म और जैनाचारसे कोई संबन्ध नहीं है। इस प्रथाकः बंद होना आवश्यक है।

४६-**पं० सत्यंधरकुमार**जी सेठी -जिस प्रकार जैनोंमें देवी देवताओं की पूजा घुस गई, उसी मकार पड़ी सियों दे संसर्गसे मरणभोज भी घुत गया। जैन शास्त्रीमें कहीं भी इस प्रथाका समर्थन नहीं मिलता। जैनसमाजमें से इस प्रथाका शीव्र ही नाश होना चाहिये।

४७-कस्तूरचन्द्जी वैद्य-मंत्री जैन विषवाश्रम अकोला-जैनधर्म और जैनाचारकी यह विरोधी प्रथा न जाने जैन समाजने क्यों कर अपना छी ? हमारे आश्रममें ऐसी अनेक विघवायें हैं जिन्हें अपने पतिका मरणभोज करके वर्बाद होना पड़ा और फिर निराधार होकर मार्गश्रष्ट होना पड़ा । मगर भमागी जैन समाजकी भांसें ही नहीं खुरुतीं।

४८-आयुर्वेदविशारद पं० सुन्दरलालजी दमोह-जैनागम और जैनाचारकी दृष्टिसे शुद्धिके लिये भी मरणभोज भावस्यक नहीं है। यह तो मात्र मिथ्यात्व हैं। इस घातक प्रथाका शीघ ही नाश होना चाहिये।

४९-एं० बाबूरामजी जैन बजाज आगरा-वैदिक धर्मानुयायियोंके प्रभावसे जैनोंमें यह प्रथा घुसी है। जैन धर्म और जैनाचारसे इसका कोई संबंध नहीं है। इस ग्रथाने समाजको बेहाल कर दिया है। इसका शीघ्र ही नाश होना च।हिये।

५०-श्री० शान्तिकुमार ठवली नागपुर-यह प्रथा धार्मिक नहीं किन्तु सामाजिक कुरूदि है। यह निन्दनीय प्रथा 🖁 । इसका शीघ ही नामनिशान मिटना चाहिये।

५१-पं० रामकुमारजी हमातक र न्यायतीर्थ-मरणमोजकी प्रधा जैनधर्म और समाजके लिये एक भारी करुंक है। इससे समाजका बहुत पतन हुआ है।

इन सम्मतियोंके अतिरिक्त मेरे पास और भी अनेक विद्वान तथा श्रीमानोंके पत्र भाये थे जिनमें उनने मरणभोजके प्रति अपना विरोध प्रगट किया है और मेरे कार्यकी अनुमोदना की है। उन सबकी सम्मतियां और विचार प्रगट करना स्थानाभावके कारण शक्य नहीं है। इसलिये यहांपर मात्र उनमें से कुछके नाम ही प्रगट किये जाते हैं अतः वे मुझे क्षमा प्रदान करेंगे।

१-पं० कुन्दनलालजी न्यायतीर्थ भोपाल, २-मा० मोतीला-· लजी तलवाड़ा, ३-श्री० फूलचन्दजी सोगानी शोपुरक्रकां, ४-बा० नेमीचन्दजी पटोरिया वकील छिंदवाड़ा, ५-एं० भुवनेन्द्रकुमारजी 'विश्व' जबलपुर, ६-मा० जिनेश्वरदासजी भेलसा, ७-मा० ज्ञान-चन्दजी सिरोंन, ८-मा० उत्तमचन्दजी लखनादौन, ९-श्रीमान् ्कपूरचन्दजी केवलारी, १०-श्रीमंत सेठ विरघीचन्दजी सिवनी, ११-पं० सुमेरुचन्दजी न्यायतीर्थ कोलारस, १२-पं० रवींद्रनाथजी न्या-यतीर्थ रोहतक, १३-पांडित महेन्द्रकुमार जी न्यायतीर्थ बनारस, १४-का० जौहरीमलजी सर्राफ देहली, १५-चा० सुदर्शनलालजी एटा, १६-बा॰ कपूरचन्दजी सं० जैन संदेश भागरा, इत्यादि ।

मरणभोज कैसे रुके ?

प्रत्येक कुरीतियां जबर्दस्त आन्दोलनके प्रमावसे शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाती हैं। ऐसी अनेक रूढ़ियां आपने नष्ट होती हुई देस्ती हैं। इसी प्रकार आन्दोलन करनेसे मरणमोजका रुक जाना भी अशक्य नहीं है। आप इस पुस्तकके 'मरणभोज विरोधी आन्दोलन'

पकरणमें देख चुके हैं कि थोड़ेसे आन्दोकनसे अच्छी सफलता मिल रही है। इस भान्दोलनको भभी और भी उम्र बनानेकी भावश्यक्ता है।

इसमें संदेह नहीं कि भान्दोलनका प्रमान घीरे घीरे बढ़ता जाता है। पाठकोंको इस बातका अनुभव होगा कि गत कुछ वर्षीके भान्दोलनसे जनताके विचारोंमें बहुत परिवर्तन हुआ है। यही कारण है कि कई जगह ४०-४५ वर्षसे कम आयुके मृतव्यक्तियोंके मरण-भोज नहीं किये जाते और कई जगह तो इनकी कतई बंदी होगई है। फितने ही विवेकी लोग अपने जीतेजी ऐसा प्रबंध कर जाते हैं कि मेरे मरनेपर मेरा 'मरणमोज 'न किया जाय।

भभी पिरावा नि० श्री० चन्द्रलाल बल्द विहारीलालजी जैनने बाकायदे स्टाम्पपर किस्तत की है कि मेरे मरनेपर मेरा मरणभोज न किया जाय । भाषके कुछ शब्द यह हैं-''यह रिवाज़ हमारे मज़हब जैनके उसुलके खिलाफ है। मज़हब जैनके मुसाफिक किसीके मर जानेके बाद लोंगोंके खिलानेका कोई सवाब नहीं माना गया और न मरनेवालेकी रूहको कोई फायदा पहुंचता है। इसलिये अमोलकचन्द जैन पिरावाको वसिअत तहरीर करके रजिस्ट्री करा देता हूँ कि मेरे और मेरी औरत सुन्दरवाईके मरनेके बाद हम दोनोंका नुक्ता, छहमाही या वर्षी न की जाय। दोनोंके नुक्तामें जो ३५०) खर्च होते उन्हें कायम रखकर उसके सुदका धर्मार्थ उपयोग किया जाय । अगर अमोलकचन्द इसके खिलाफ (तुक्ता) करेगा तो दौलतको बदराहमें लगानेवाला और मेरी रूहको त्रक्रीफ पहुँचानेवाला समझा जायगा । "

इससे पाठक सुमझ सर्देगे कि श्री० चान्द्रकालजीको मरण-भोजसे कितनी घुण र्ीं , और यह भान्दोलनका ही प्रभाव है। इसी प्रकार और भी कई श्रीमानोंने आन्दोलनसे प्रभावित होकर मरणभोज नहीं किया और अच्छी रकम दानमें दी है। अभी हाल ही साहू-शांतिप्रसादनी जैन रोहतास इन्डस्ट्रीज़की मातानीका स्वर्गवास हुआ है। उनने मरणभोजादि न करके ५०००००) पांच लाख रुपयाका भादर्श दान किया है। पूनाके सेठ घोड़ीराम हीराचन्दजी जैनने भपनी माताजीका नुक्ता न करके ५०००) गरीबोंकी रक्षाके लिये दान किये हैं। जबलपुरके सुप्रसिद्ध श्रीमान स० सिंघई भोलानाथ रतनचंदजीका स्वर्गवास होनेपर मरणभोज नहीं किया गया, किन्तु ५००) दान किये गये। झांसीमें सिं० गुलावचचंदजी जैनकी मामी-का स्वर्गवास होगया । उनने मःणभोज न करके यथाशक्ति भच्छा दान किया है। इसी प्रकार और भी अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनसे ज्ञात होता है कि जनतापर आंदोलनका अच्छा प्रभाव पढ़ रहा है।

आन्दोलनका यह भी प्रभाव हुआ है कि यदि कोई इउपूर्वक रसोई बनाता भी है तो कई लोग उसके यहां जीमने नहीं जाते। कुछ ही समयकी बात है कि जोषपुरमें बद्रीनाथजी मुथाने अपनी माताजीका मरणभोज किया। ५०० लोगोंको आमंत्रण दिया। किन्तु उसमें २५० लोग ही संमिलित हुये। इसी प्रकार यदि सर्वत्र बहिष्कार किया जाय तो बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है।

मैंने अपने पितानीका मरणभोज नहीं किया । इससे अच्छा

भान्दोलन हुआ है। परिणामस्वरूप भाग्य वई लोगोंने मरणभोज नहीं किये। जैनमित्र और वीरमें पण्डित गोरेलालजी जैनने समान्वार छगया है कि ''सेंघ्या नि० पं० मोतीलालजीकी पितामहीका अप वर्षकी आयुमें स्वर्गवास हो।या। लोगोंके भाग्रहमें रिवाजानुसार मरणभोजका विचार हुआ। मगर मैंने बहुत समझाया कि अपने गरीब प्रांत (बुन्देलल्ड) में यह बातक प्रथा मिटा देनी चाहिये। तब आपने पं० परमेष्ठीदासजीका अनुकरण करते हुये मरणभोज बन्द कर दिया और गोलापूर्व जैन समाजमें इस घातक प्रथाको बन्द करनेका सर्व प्रथम श्रेय आपने ही लिया। अब स्थाप भागी पितामहीके समरणार्थ एक पुस्तक प्रगट करनेवाले हैं।"

जैन समाजके प्रखरसुवारक रुदैनी नि० पन्नालालजी जैन चिरोरने अपने एक पत्रमें लिखा है कि "आपके समान ही एक मामला मेरे ऊपर अटक गया था। मेरे पिताजीका ७० वर्षकी आयुमें स्वर्गवास होगया। यहांकी समाज मरणभोजके लिये आप्रह करती रही, मगर मैंने आपके साहस और आदर्शका अनुकरण करके मरणभोज नहीं किया।"

इन घटनाओं के उल्लेख करनेका ताल्पर्य यह है कि यदि कोई साहसपूर्वक अपने घरसे सुधार करे तो उसका अनुकरण करनेवाले भी बहुत होजाते हैं। और फिर उनके भी अनुकरण करनेवाले तैयार होजाते हैं। इस प्रकार घीरे घीरे कुरु दियोंका नाश होता जाताहै। मरणभोजको बंद करनेके लिये भी स्वयं नमूना बननेकी आवश्यका है। मरणभोजकी घातक प्रथाको बन्द करनेके लिये प्रत्येक जगहकी ंपरिस्थितिके अनुसार अनेक उपाय हो सकते हैं। किन्तु मैं यहांपर कुछ सर्वसामान्य उपाय लिख रहा हं-

१-यदि आप मरणभोजके विरोधी हैं और यदि इस पुस्तकको पढ़नेके बाद कुछ दया उत्पन्न हुई है तो पतिज्ञा करिये कि मैं किसी भी मरणभोजमें न तो भोजनके लिये सम्मिलित होऊँगा और न इस कार्यमें किसी भी प्रकारका सहयोग ही दुंगा।

२ -यदि भाषके घरमें, कुटुम्बियोंमें या रिक्तेदारोंमें मरण-भोज होरहा है तो मात्र आपके न जाने या उपेक्षा रखनेसे काम नहीं चलेगा, किन्तु आप साहसपूर्वक उसका डटकर विरोध करिये, समझाइये और इतनेपर भी सफलता न मिलनेपर उसके विरोध ़ स्वरूप उपवास करिये । और उसे सबपर प्रगट कर दीजिये ।

३ - अपनी जातिमें, ग्राममें और आसपासके प्रामोंमें जाकर तथा मेला, प्रतिष्ठ। या सभादिके समय लोगोंमें मरणभोज विरोधी प्रचार करिये । तथा अधिकसे अधिक लोगोंसे मरणभोज विरोधी प्रतिज्ञापत्र भराइये, जो " ला० तनसुखरायजी जैन मंत्री दि० जन परिषद-देइली " को पत्र देनेसे यथेष्ट संख्यामें मुफ्त मिलेंगे।

४-जब आपको मास्त्रम हो कि कहीं मरणभोज होनेवाला है ्र तब छाप कुछ प्रभावक लोगोंको साथ लेकर वहां समझाने जाइये और उचित मार्ग बताइये । यदि समझाने पर वह न माने तो उसे **ह्वयं या अपने किसी मण्डलकी ओरसे चेतावनी दीजिये कि यदि** आप मरणभोज करेंगे तो इम डटकर विरोघ करेंगे। यदि इसमें भी सफळता न मिले तो मरणभोज विरोधी इहितहार छपाकर जीमने-

वाकोंके घर तथा आम जनतामें बांटना चाहिये तथा उसमें अपना निश्चय प्रगट कर देना चाहिये। फिर भी यदि सफलता न मिले तो अपनी मण्डलीके कुछ साहसी युनकोंको तथा कुछ बहिनोंको लेकर मरणभोज करनेवालेके दरवाजे पर शांत एवं अहिंसापूर्ण पिकेटिंग (घरना) करिये। फिर देखिये कितने निष्ठुरहृदयी आपकी छातीपर पैर रखकर भोजन करने भीतर घुसते हैं।

श्रीमती लेखवतीजी जैनके शब्दोंमें तो "बिह्नोंको भी पिकेटिंग करना चाहिये, फिर भी जिन निष्ठुर पुरुषोंको मरणभोजमें जाना होगा वे भले ही बिह्नोंकी छातीपर लात रखकर चले जावें।"

५-प्रत्येक नगरमें मरणभोज विरोधी दल स्थापित होना चाहिये भथवा प्रत्येक मण्डल, युवकसंघ, विद्यार्थी संघको यह कार्य भपने हाथमें लेना चाहिये। सफलता भवश्य मिलेगी।

साहसी युवको ! मुझे तुमसे बहुत आशा है। तुम प्रतिज्ञा करो और अपने मित्रोंसे प्रतिज्ञा कराओ कि हम मरणभोजमें किसी प्रकारका भाग नहीं छेंगे। समाजमें मरणभोज जैसी राक्षसी प्रथा चाल रहे और युवक देखा करें यह तो युवकोंके सिर सबसे बढ़ा करुंक है। इस कलंकको मिटानेके लिये मरणभोज विरोधी जबर्दस्त आन्दोलन उठाओ। अच्छे कामोंमें सफलता अवस्य मिलती है।

विवेकशील बहिनो ! तुम तो दया और करणाकी मूर्ति हो। फिर क्यों इस निर्देयतापूर्ण कृदिको पुष्ट कर रही हो ? यदि तुम मरणभोत्रमें जाना छोड़ दो, उसमें किसी मकसका भाग नहीं लो भीर उसका डटकर विरोध करो तो निश्चय ही यह प्रथा समा-जसे जल्दी ही उठ जाय । तुम देख रही हो कि मरणभोजके कारण तुम्हारी विषया बहिनोंकी कैसी दुर्दशा होती है । फिर भी तुम इसका विरोध वयों नहीं करती ? तुम्हारी ओरसे तो कोई आन्दोलन ही नहीं दिखाई देता । तुम्हें तो इसके विरोधमें सबसे आगे होना चाहिये । मुझे विश्वास है कि जब तुम इसके विरोधमें अपनी आवाज़ उठाओगी तब मरणभोजका रहना असम्भव होजायगा ।

समाजके मुखियाओं ! भव देश और समाजकी गति-विधिकों भी देखों तथा विचार करों कि इस भयंकर प्रथाने अपनी समाजका कैसा नाश किया है। सैकड़ों हजारों घर इसीके कारण बरबाद होगये हैं। इसलिये इस रूढ़िका सर्वथा नाश कर दो। आप तो आजकलके स्वतंत्र बातावरणमें जी रहे हैं, तब फिर इस बिनाशक राक्षसी प्रथाको क्यों नहीं मिटा देते ?

सम्माननीय पाठकवर्ग ! इस पुस्तकको पढ़कर यदि भापके मनमें मरणभोज विरोधी विचार उत्पन्न हों तो भाप भी कुछ प्रयत्न करिये। ऐसे कार्य तो संगठन और ऐक्यमे ही होसकते हैं। भाशा है कि यदि भाप लोग सम्मिलित प्रयत्न करेंगे तो अवस्य ही सफलता प्राप्त होगी। जिस दिन जैन समाजसे मरणभोजका मुंह काला होगा उसी दिन जैन समाजका मुख उज्वल होसकेगा।



कविता-संग्रह ।

मरणभोज ।

[रच०-श्री० घासीराम जैन '' चन्द्र ''] सिसक सिसककर इधर रोरही है विधवा बेचारी। उघर वाकसमुदाय विकखता देदेकर किलकारी ॥ नहीं पास है इतना घन जिससे व्यतीत हो जीवन । ऐसी कुदशा छोड़ पधारे स्वर्ग लोक जीवनधन ॥

> कहो किस तरह विश्वमें जीवनका निस्तार हो। कैसे विषवावृन्दका भारतमें उद्घार हो ॥ (१)

अभी तीसरा भी तो पतिका हुवा नहीं है। कामकाज निज कर विषवाने छुना नहीं है। निज प्यारी संतान न भवतक गले लगाई। धीरज तनिक न हुवा न कुछ तनकी सुध पाई ॥

> नक्ता करवाने यहां पंचलोग आने लगे। माल उद्दानेके लिये जेवर विकवाने लगे॥ (२)

विधवा कहती कही किस तरह जाति जिमाऊँ। कर्जा छूं या निज जेवर गिरवी रखवाऊँ॥ नहीं पास पैसा है जिससे काम चलाऊँ। भगवन् ! ऐसे दुखमें कैसे घीरज पाऊँ ॥

> सह न सकूंगी तनिक भी मैं डलाइने जातिमें। नुक्ता करना ही पड़े सहं समी दुख गातमें ॥ (३)

3

बोले पंच तुम्हारे पतिका नाम बड़ा है। किया उन्होंने यहां आजतक काम बड़ा है।। बुद्धिमान थे सौर जातिमें नाम कमाया। अपना मस्तक कभी नहीं नीचा करवाया॥

> गर उनका होगा नहीं नुक्ता वैसी शानसे। कैसे अपनी जातिमें बैठोगी अभिमानसे ॥ (४)

विधवाको देदेकर वार्ढे हा नुक्ता करवाया। जेवर वेचाया मकान उसका गिरवी रखवाया ॥ पांच पांच या चार वरसके बालक भी पालेगी। उघर जातिद्वारा आये संकटको भी टालेगी॥

> ऐसी दुष्ट प्रथामई जाति तुझे धिकार है। जहां पेटको होग्हा इतना अत्याचार है।। (५)

यह तो थी असमर्थ समर्थीकी अब सुनो कहानी। जिसको सुनकर भर आयेगा निज आंखोंमें पानी ॥ बीस वरसका पुत्र सेठजीका था गौरवशाली। 🕙 जिसे निरस्व सह वधू सेठजीको छाई हरियाळी॥

> कारुच्क्रके चक्रमें हुवा अधिक बीमारथा। बचनेका उसका तनिक रहा नहीं आसार था।। (६)

एक वही था उनके वह इकलौता बेटा। हाय अचानक उसे कालने भान समेटा ॥ विवाहिता वधू विकलती छोड़ सिधारा। चला सेठकी छातीपर क्या काल दुभारा॥

हाय हायकर विविध विध शोक वहां होने लगा। सारा ही परिवार तब विलख विलख रोने लगा॥ (७)

भरे दुष्ट कोर्गोने उसका भी नुक्ता करवाया। कन्दन करती विधवाका कुछ भी तो तरस न भाया॥ परवा नहीं द्रव्यकी लाखों भरे हुवे थे घरमें। पर अनर्थका हंका भारी बनता था जगभरमें॥

> कहो कौन रोगा नहीं देख इमारी नीचता। जिसे देखकर मूर्व भी सहसा आंर्खे मींचता॥ (८)

किसी शास्त्रमें नुक्तेका सुविधान नहीं है। जुक्तामें कोई स्वजातिकी शान नहीं है॥ स्वर्ग लोकमें मृत नरका सम्मान नहीं है। पूर्व-जनोंकी इसमें कोई शान नहीं है॥

> फिर क्यों ऐसी कुप्रधा की कीचड़में फंस रहे। तुम्हें देखकर सभ्यगण "चन्द्र" सभी हैं इंस रहे॥ (९)

भरे माइयो अन तो युग उन्नतिका भाया। नहीं चलेगा ढोंग यहां भन यह मनभाया॥ सत पथपर भा ऐसी दुष्ट प्रथाएं छोड़ो। क्रिटिक कुरीति कुमार्ग सदा इनसे मुख मोड़ो॥

> प्राण बचाओ जातिके त्याग दीनता हीनता। ''चन्द्र'' न हरगिज इस तरह फैलाओ श्रति दीनता॥(१०)

नुक्तेकी भेट!

[रचियता-कविवर श्री॰ करुयाणकुमार केन " शशि "] सामाजिक अत्याचारीं पर हो लो पानी पानी। यक्त पान्तके एक नगरकी है यह करुण कहानी ॥ सरक स्वभावी जैनी लाला दीनानाथ विचारे। क्रूरकारुसे कवरूत होकर असमय स्वर्ग सिंघारे ॥ (१) अपने पीछे वीस वर्षकी विषवा पत्नी छोड़ी। मानों इस निर्देयी कर्मने सुन्दर कली मरोही ॥ लाका दीनानाथ बहुत थे साधारण व्यापारी। स्वर्च इसि छिये हो जाती थी कमी कमाई सारी ॥ (२) इस कारण ही अपने पीछे अधि ह नहीं धन छोडा । क्रिया कर्ममें खर्च होगया जो कुछ भी था थोड़ा ॥ विधवा अबळा 'रत्न प्रभा' का रहा न नेक सहारा । कैसे होगा बेचारीका आगे हाय गुज़ारा॥(३) पर समाजके आधीशोंका इसपर ध्यान नहीं था। मानों पंचायती राज्यमें इसको स्थान नहीं था ॥ यह निर्देशी समाज न उसकी किञ्चित सुघ लेती थी। विलख विलख कर भवला पानी पाण दिये देती थी (४) सम्पति, सन्तति हीन प्रथम थी पति अब हुआ पराया। भोली युवती सब कुछ खो धरहाय हुई असहाया ॥ तिसपर एक नया संकट यह रस्नप्रभापर आया। पंचोंने जल्दी ' नुका ' करनेका हुक्म सुनाया (५)

एकाएक नये संकटसे धवरा गई विचारी। नाच गई भांखोंमें आकर नव भविष्यकी ख्वारी ॥ सोचा था कुछ जोड़ गाठ जीवन निर्वाह करूँगी। धर्म ध्यान रत जैसे होगा वावी पेट भरूँगी (६) पर नुक्तेके महाशापने सब पर पानी फेरा। हाय अधूरी ही निद्रामें असमय हुआ सबेरा ॥ पहीं और मरतीके ऊपर ये दो लातें ज्यादा । कैसे अब रक्खे समाजमें अञ्जुण्ण कुरु मर्थादा (७) आखिर सब पन हार गई फिर पंचों पर बेचारी। बही दीनतायुत रो रो करके यह अर्ज गुज़ारी ॥ पंचराज ! मैं हाय लुट गई अशुभ कर्मकी मारी। प्राणेश्वर मर गये किन्तु हा मैं न मरी हत्यारी ॥ (८) जीवन भार सिरपड़ा मेरे इसको ढोने दीजै। पर इस 'नुक्ते' के कारण मेरी मत ख्वारी कीजे ॥ भाप सोचिये कैसे संभव होगा हुक्म बजाना। जब कि नहीं है यहां पेट भरनेके लिये ठिकाना ॥ (९) पंचेंकि अरो बहुतेरी विधवा रोई घोई। पर रुड्डू-लोलुग पापी दलमें न पसीजा केई ॥ सब कुछ कहा दुहाई भी दी किन्तु न कुछ फल पाया ! सिकताथलपर ६ हो किसीने भला कभी जल पाया ॥ (१०) बोले पंच पापिनी इमसे अधिक न बात बनाना । ं यह प्राचीन धर्म है इसको पड़े जरूर निमानाः॥

कुशल चाहती है अपनी तो नुका करना होगा। वरना दण्ड बड़ा भारी फिर इसका भरना होगा ॥ (११) भवला समझी खूब दण्ड जो उसको भरना होगा । हो समाजसे ख़ारिज फिर दरदरपर फिरना होगा ॥ यही पंच परमेश्वर फिर उल्टा परिणाम निकार्के । इन्हें न कुछ संको च पंच यह जो कुछ भी करडा छें।। (१२) महासंकटोंकी सिरपर घनघोर घटा घिर आई। मानों हो इस ओर कूप उस ओर मयं इर खाई ॥ समझ गई इस पंच क बहरीसे जो कुछ होनाथा। व्यर्थ पत्थरोंके आगे सिर धुनधुनकर रोना था ॥ (१३) फिर उठ चकी नाट्यसा करके वह लापरवाहीका । कहती गई नाश हो जल्दी इस तानाशाहीका ॥ पह न अधिक पचहेमें उसने शीव्र किया यह निर्णय। सभी संइटोंका कारण है मेरा जीवन निर्दय ॥ (१४) अतः नाशकारी कुपथापर इसका अंत उचित है। ईश्वर जाने मुरदेका साजानेमें क्या हित है ॥ अस्तु, कुएमें कूद पड़ी हो नुकेसे दुःखित मन। तनिक देरमें अन्त होगया उसका कोमळ जीवन ॥ (१५) वता नहीं इस मांति नित्य ही हा ! कितनी अवलाएें। जीवनकी बलि चढ़ा चुकी हैं छोड़ करूण गाथाएँ ॥ अभी मेंट होंगी कितनी कुछ उसका नहीं ठिकाना । कव होगा यह नष्ट अष्ट पाखण्ड अतीव पुराना ॥ (१६)

प्राणाधारसे !

[रच०-पं० राजेन्द्रकुमारजी जैन 'कुपरेश्व' साहित्यरत्र ।] नाथ आपके साथ उसी दिन, यदि मैं भी मर जाती ! तो मरनेसे अधिक आपदा, यह मुझ पर क्यों आती॥ में दुखिया हा यहां रह गई, और साथ है कचा। मटक रहा दाने दानेको, आज तुम्हारा बचा।। १।। नहीं खबर लेनेवाला है, भूख प्यासकी मेरी। मैं हूं और काल है मेरा, फूटी किस्मत मेरी॥ हाय व्यथा अपनी भी तो मैं, नहीं कहीं कह सकती। रो सकती हूं डाय न मैं पर, रोकर भी रह सकती ॥ २ ॥ पंचींका आदेश मुझे हा, पूरण करना होगा। करूं नहीं तो, नहीं जातिने, मेरा रहना होगा॥ मरण भोज करना ही होगा, कैसी करूं भरे रे। छोड गये तुम तो प्रीतम पर, पास न कुछ भी मेरे ॥ ३ ॥ ्बेचूं यह रहनेका घर क्या, या इस तनके गहने। नहीं किया तो नाथ ताइने, मुझे पहेंगे हहने।। यह बचा होदर धनाथ हा. भटके मारा मारा। पर पंचोंका पेट हाय क्या, भर दुं लड्डू द्वारा ॥ ४ ॥ माओ पंचो भरे जीमलो, मैं हूं लाल खड़ा है। इमें मिटा दो तुमको तो फिर, होगा लाभ बहा है।। मरणभोज हों मरणभोत्र ही, पंची भरे करूंगी। अपना और काढ अपनेका, हां ! हां !! हनन ककंगी ॥ ५ ॥

लडूलोभी पंच।

(रच०-श्रीमती कपळादेवी जैन-सूरत।)

मरणके लड्डूलोभी छोग,

भाज बनकर परमेश्वर पंच। ल्ट्रते विधवाओंको खूब,

दया आती नहिं उनको रंच ॥ १ ॥ कलेजा पत्थरका करके. बने लड्डू खानेमें दक्ष। लूटने वे अबलाओंको.

बने बैठे हैं पूरे यक्ष ॥ २ ॥ नहीं हो विषवाके घरमें.

व्यवस्था कलके खानेकी। कगाये रहते फिर भी आश,

पंच तो छड्डू पानेकी ॥ ३ ॥ भगर होनेसे द्रव्यविहीन.

बिचारी वह विषवा नारी। नहीं कर सकनेकी नुक्ता,

प्रगट करती है लाचारी ॥ ४ ॥ पंच तब धमकी दे उसको, कराते मरणभोज भारी।

लुटाकर उसमें वह सर्वस्व,

भटकती भूखी दुखबारी ॥ ५ ॥

मृत्यभोज निषेघ ।

[रच०-पं० शुकदेवपसादजी तिवारी विद्याभूषण ।] कह की कह अब है गई, समुझि न जाय। यह समाज कस है गई, बुद्धि विहाय ॥ समदर्शीपन यानें. दियो भगाय। दुजेके दुलमें सुख. रही मनाय ॥ पंचनकी बुधि झिंगुरन, चरिगे हाय। ऐसिन दुरमति फैली, कही न जाय।। जाति बीच यदि कोऊ कहुँ मरि जाय। तीन दिनोंके पीछे, सब जुरि जांय। मृतक ढोर पे मानहु, गिद्ध उड़ाँय। पेसहि जीभ सँभारें, अरु करुचाँय॥ देखत नाहिं विपत्ती, दुखियन केर। स्त्रोयो मानुस घरको. सेवहिं टेर ॥ दया गँवा दई हियसों, भये कठोर। निरदई है के निरने, दयो बटोर ॥ देवत निरने, घरकी, दशा अलाँग। दुखी जीव सब घरके, का कर खाँय ॥ इतने पै, पुरुखनकी, कथा सुनाँय। केंची होय रम्रह्या, बात न जाय ॥ चढा सरग पै सबको, देत गिराय। वीछेका किर है है, दया न भाय ॥

फाटत चिठिया लिख किख. बढ़ी हुकास । गिनन लगे दिन पै दिन लग गई आस ॥ कैसिन भई तैयारी, लखी न जाय। मरि मरिके सब छोटा, बैठिसि भाय ॥ करि करिके तारीकें, कमे उदान। उड़ा उड़के चिलगे, होत विहान॥ रोवत दुस्वी कुटुमवा, करत विकाप। कबहुँ न हेरत फिरिके, कीन्हेसि पाप ॥ भूखे मरत कड़कवा, घर बिक जाय। फेरिन पूछत कोऊ, वर पर आय।। मृतक भोज जो खावत पाप कमात। इतने हूपे विक है लाज न आता। दुखी कुटुममें जाके, माल उड़ात। मानहु मानस मक्षक, तिन कहँ तात।

गीव, श्वान, कीमा सरु, बने श्वगार । मृतक भोजमें जाकर, खावत माल ॥

भैय्यन! बिनवों तुम सन, है कर जोर। कछु इक अरजी सुनिल्यो, पावन मोर ॥

कबहुँ न जाकर खाबहु, मिरतक भोज। कठिन कमाई खाकर, जीवह रोज । दया करह दुस्तियन पे, बनो दयाछ । तासों नित प्रभु तुम पर, रहे कृपाछ ॥

एक दिना जेवनमें, अमर न होय। मृतक भोज पा बितवत, जीवन कोय ? करिल्यो भाज प्रतिज्ञा "कबहुँ न जाँग। मृतक भोजके भोजन, इबहुँ न खाँय ॥" ' निरबळ'' की यह बिनती, लेबहु मान ।

सुख सम्पति सन्तति, पावहु यश मान ॥

मरणभोजकी भट्टी।

[रचयिता-कविरत्न पं० गुणभद्र जैन] छिखदे सत्वर करुण लेखनी मरण कहानी, सुन जिसको पाषाण हृद्य हो पानी पानी; जबतक यह दुष्प्रथा रहेगी जीवित भूपर, भावेंगे संकट भनेक हा! अपने ऊपर; मरणभोजकी अग्निमें, स्वाहा कितने होगवे। पाठक ! भाप निहारिये, होते हैं कितने नये ॥ १ ॥ बनकर विष यह प्रथा जातिकी नसमें व्यापी, हुये सभी इसके शिकार सज्जन या पापी; घरमें मिलता नहीं पेटमर भी हो खाना. पर पंचोंको तो अवस्य हा ! पहे खिलाना;

निर्घन करती जारही, आज जातिको यह प्रथा। दिल दहलादे भाषका, दुखपद है इसकी कथा।। २ ॥ घर उजाड़ बन रहे, आज कितनोंके इससे, अंतरका दुल कहें पासमें जाकर किससे;

बरकर पावक रूप प्रथा यह हमें जलाती, शह्य तुल्य भाजनम चित्तको नित्य दुखाती; मरणभोजकी रीतिमें, भाग लगा देंगे जभी। सुखमें होगी लीन भति, यह समाज सत्वर तभी ॥ ३ ॥ चिर संचित यह द्रव्य धूरुमें हाय ! मिलाते,

करके यह ज्यौनार कौनसा हम सुख पाते; है दुख पहले यही गुमाया निज प्रिय जनको; और गुमाकर उसे गुमाते हैं फिर घनको.

इस शठताकी भी भही, सीमा क्या होगी कहीं। मूरखमें सरताज भी, हमसा होगा ही नहीं ॥ ४ ॥

खिडा विविध पकान्न कीनसा पुण्य कमाते. देनेसे ज्यौनार मृतक जन कौट न आते: दुख अवसरपर नहीं कार्य यह शोभा पाता. क्यों करते यह कृत्य ध्यानमें लेश न साता:

> जान^{खू} त्रकर कुपथके, बनते आंज गुलाम हैं। इसीलिये संसारमें, हीन हमारे काम हैं।। ५ ॥

रोती विघवा कहीं, कहीं भगिनी है रोती. बैठी जननी कहीं चित्तमें व्याकुरू होती: रोता है हा ! पिता, कहीं आता भी रोता, रो रो कर शिशु कहीं, दुःखसे भूपर सोता;

पाषाणोंके चित्रभें, का देता वो नीर है। परिजनमें सर्वत्र ही, ऐसा दुल गम्भीर है।। ६ ॥ दे न उसे सन्तोष, पेट हम अपना भर कर, जाते हैं निज सदन, मोदकोंकी बातें कर; कहलाते हैं मनुज किन्तु, पशुसे हैं क्या कम, होकरके भी मनुज हुए, जब उन प्रति निर्मम;

दुखपद दृश्य विलोकते, करते जो भाहार हैं। उनसे तो उत्तम कहीं, बनके भील गंवार हैं॥ ७॥ होती है ज्यौनार कहीं, घर गिरवी रख कर, भथवा तनके सकल, भूषणोंका विकय कर; फिर भी नहिं हो द्रव्य पूर्ण तो, चक्की दलकर, कूट पीसकर, किसी मांति पानी भी भरकर;

> करना पड़ता कृत्य यह, पंचींका 'कर' है कड़ा। मृतक-भोज ही विश्वमें, धर्म आहो! सबसे बड़ा ॥८॥

लख इसके परिणाम हगोंमें पानी आता, हा ! हा ! प्रश्वर हृदय सहज टुक्ड़े होजाता; रो पड़ते निर्जीव द्रव्य भी इनके दुखसे, कह सकते हम किस प्रकार उस दुखको मुखसे;

हाय! हमारे पापने, हमें बनाया दीन है।
कर पोषण उन्मार्गका, यह समान अतिदीन है॥
दो मगवन्! सद्बुद्धि शीघ्र हम आप विचारें,
उत्तम पश्चमें चलें कभी नहिं हिम्मत होरं,
करें कुद्धि विनाश सत्यका जगमें जय हो;
सबका जीवन सदा यहां निर्भय सुखमय हो,

दो शक्ती इस पापकी, सत्वर मूळ उसाइ दें। फिरसे इस संसारमें, धर्मस्तंमको गाइ दें॥१०॥

*	<u> </u>
पं॰ परमेष्टीदासजी न्यायतीर्थ द्वारा-	
लिखी गईं–	
यह क्रान्तिकारी पुस्तकें अवश्य मंगाइये।	
१-चर्चामागर सर्म २-द्रानिवचार समी ३-परमेष्ठि पद्यावली ४-दस्साओंका पूज ५ विज्ञातीयविवाहम ६-चारदत्त चरित्र ७-जैनधमकी उद्यार ,, गुजराती =) ८-मरणभोज मिलनेका प	क्षा =) =), -) =), -)

